चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (सीआईएफ) की ओर से प्रकाशन

hello childline

संस्करण ७२ • जुलाई २०१५

चाइल्डलाइन जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय, चौबीस घंटों के लिए, मुत, आपातकालीन, फोन आउटरीच सेवा है; जो उनके दीर्घकालिक पुनर्वास और देखभाल से जोड़ती है।

कांस्य
सर्वश्रेष्ठ हाउस जर्नल
पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया
कॉरपोरेट कोलैटरल अवार्ड २०१५

३ रा पुरस्कार
सर्वश्रेष्ठ हाउस जर्नल
पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया
राष्ट्रीय पुरस्कार
२०१४

२रा पुरस्कार
सर्वश्रेष्ठ हाउस जर्नल
पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया
राष्ट्रीय पुरस्कार
२०१३

CHILD LINE 1098 NIGHT & DAY

संपादक की मेज से

प्रिय चाइल्डलाइनर

हेलो **चाइल्डलाइन** के एक और संस्करण में आपका स्वागत है! वर्ष २०१५, हमारे लिए अपार खुशियां लेकर आया और हमारे विश्वास को और मजबूत बनाया। यह वर्ष सीआईएफ की कई प्रमुख उपलब्धियों, घटनाओं, गतिविधियों और नए विकासों का गवाह बना। सीआईएफ के आउटस्टैंडिंग संचार प्रयासों के कई प्रमुख मंचों पर अनेक पुरस्कार जीतने की वजह से हम इस वर्ष को लंबे समय तक याद रखेंगे।

हमारे नन्हें सितारे 'कोमल' ने सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक फिल्म श्रेणी में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जीता जबकि, 'इनोसेंस' और 'कोमल' फिल्म ने लाइंग एलिफैंट फेस्टिवल एनिमेशन और शॉर्ट फिल्म्स कंपीटिशन २०१५ में क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता। हम हमारे काम की प्रशंसा से बहुत खुश हैं।

इसके अलावा, सीआईएफ के बाल यौन शोषण जागरुकता कार्यक्रम (Child Sexual abuse Awarness Program- CSAAP) ने सर्वश्रेष्ठ सामाजिक जिम्मेदारी संचार के तहत 'सोने 'की ट्रॉफी जीती जबकि एसोशिएसन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (ABCI) अवार्ड्स २०१४ में हमारे साल २०१२–१३ के वार्षिक रिपोर्ट ने 'सर्वश्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट' के तहत सोने की ट्रॉफी जीती।

जब सीआईएफ को चाणक्य अवार्ड्स २०१५ में बच्चों के सशक्तिकरण के लिए विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पीआरसीआई कोलैटरल्स अवार्ड्स २०१५ में हमारे बाल यौन शोषण जागरुकता कार्यक्रम (Child Sexual abuse Awarness Program - CSAAP), वार्षिक रिपोर्ट और हेलो **चाइल्डलाइन** को स्वर्ण, रजत और कांस्य से सम्मानित किया गया, तो वह हमारे लिए बेहद खुशी का पल था। अपने संचार के पेशेवर मानकों के संदर्भ में सीआईएफ के लिए ये पुरस्कार बहुत बड़ी मान्यताएं हैं।

नियमित श्रेणियों के अलावा, इस अंक में **चाइल्डलाइन** द्वारा देशभर में मनाए गए अंतरराष्ट्रीय बाल हेल्पलाइन दिवस समारोह और स्कूलों में बाल संरक्षण नीति को भी फीचर किया गया है।

आशा है आपको यह अंक पसंद आएगा।
शुभकामनाओं के साथ
अगले अंक तक

चाइल्डलाइन क्या है?

चाइल्डलाइन, बच्चों की सेवा व संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर की २४ घंटे, मुत, आपातकालीन फोन आउटरीच सेवा है। साल १९९६ में मुंबई में इसकी शुरुआत हुई थी और अब देश भर के ३१ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ३२९ शहरों में यह संस्था अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।

चाइल्डलाइन का उद्देश्य अधिकारहीन बच्चों का पुनर्वास करना और असुरक्षित स्थितियों से देखभाल करना है। **चाइल्डलाइन** आवासीय स्थलों में राहत और पुनर्वास, चिकित्सा लाभ, प्रत्यावासन, बचाव, भावनात्मक सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करती है।

देश भर में **चाइल्डलाइन** परियोजना को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) द्वारा एकीक.त बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के तहत समर्थन प्राप्त है।

इस अंक में

मामले का अध्ययन
Page 03-05
बाल संरक्षण नीति
Page 16-18
देश भर में गतिविधियां
Page 19-30

मामले का अध्ययन

मेरठः परित्यक्त बच्चे के लिए नया जीवन

चाइल्डलाइन मेरठ ने कूड़ेदान में छोड़े गए नवजात बच्चे को बचाया

चाइल्डलाइन को एक व्यक्ति ने फोन किया और बताया कि मेरठ में ईदगाह, दिल्ली रोड के नजदीक के एक कूड़ेदान में एक नवजात बच्चा मिला है। फोन करने वाले ने इस बच्चे को सड़क के किनारे रखे कूड़ेदान में पाया था। **चाइल्डलाइन** की टीम तुरंत उस जगह पर पहुंची और उस बच्चे से मिली। बच्चे को संक्रमण हो गया था और उसे तत्काल चिकित्सीय सहायता की जरूरत थी। टीम बाल कल्याण अधिकारी और पी. एस. रेलवे रोड के एस.एच.ओ. से संपर्क में थी और उन्होंने इस मामले के बारे में उन्हें सूचना दे दी थी। पी. एस. रेलवे रोड के अधिकारियों की मदद से **चाइल्डलाइन** टीम ने बच्चे को नवजात देखभाल हेतु डॉ. पी.पी. एस. चौहान के क्लिनिक पर ले गई। डॉ. चौहान ने बच्चे को मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाने को कहा। इसके बाद बच्चे को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था।

इस बीच **चाइल्डलाइन** टीम ने बाल कल्याण समिति, मेरठ से मुलाकात की और उन्हें बच्चे के बारे में सूचित किया। अनिवार्य व्यवस्थाएं की गईं और इस मामले में **चाइल्डलाइन** मेरठ की टीम द्वारा पूरा सहयोग उपलब्ध कराया गया। बाद में बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बच्चे की जानकारी कुछ स्थानीय अखबारों में प्रकाशित की गई थी। आगे की कार्रवाइयों के लिए **चाइल्डलाइन** ने बाल कल्याण समिति को बच्चे के बारे में रिपोर्ट दी।

इस बीच, सीडब्ल्यूसी ने मामले की जांच की और बच्चे को लखनउ के राजकीय बाल गृह में भेजने और गोद लेने के लिए राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएए) के साथ जरूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

इंदौर : कई दिनों तक एक कमरे में बंद, और दुष्कर्म की शिकार की शिकार नाबालिग लड़की को चाइल्डलाइन ने बचाया

*इंदौर के हवाईअड्डा क्षेत्र के एक मकान में १० वर्ष की बच्ची बंद कर के रखी गई थी और गुंड़ा से प्रॉपर्टी डीलर बना एक आदमी अपनी महिला सहयोगी की मदद से लगभग एक सप्ताह से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। **चाइल्डलाइन** टीम के सदस्यों की मदद से शहर की पुलिस ने जब बच्ची को मकान से आजाद कराया तब जाकर यह मामला सामने आया।*

इंदौर के देपालपुर के सुमता गांव से आई नाबालिग लड़की और उसके माता– पिता इंदौर के हतोड इलाके में बने सुनील के फार्महाउस में काम करते थे। इंदौर के कलानी नगर इलाके का रहने वाला सुनील, पिछले कुछ सालों से ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था। वह शहर में एक लोकप्रिय रेस्त्रां का भी मालिक है। कमाई कम होने की वजह से परिवार हमेशा और काम की तलाश में रहता था। जब सुनील ने अपने घर के छोटे– मोटे काम करने के लिए उनकी बेटी को रखने की बात की तो वे और पैसे कमाने के अवसर को देखते हुए इनकार नहीं कर सके। लेकिन सुनील के मन में उस युवा बच्ची के लिए कुछ और ही योजना थी।

घर के काम–काज कर अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए सुनील लड़की को अपनी सहयोगी पिंकी के घर ले गया। लेकिन कम– से–कम पिछले एक सप्ताह से, सुनील लड़की को पिंकी के घर पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। माना जाता है कि जिस घर में पिंकी रहती है वह सुनील का ही है और लड़की के साथ पहले पिंकी ने ही मार–पिटाई की थी। फिर उसने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने में सुनील की मदद की।

हवाईअड्डा पुलिस स्टेशन के सब–इंस्पेक्टर संतोष पांडे के मुताबिक, उन्हें मकान में बच्ची के बंद होने की सूचना **चाइल्डलाइन** से मिली जिसके बाद देर–

रात की गई छापेमारी में बच्ची को मकान से बरामद किया गया। बाद में, महिला पुलिसकर्मियों और **चाइल्डलाइन** के सदस्यों ने बच्ची से बात की, जिसने सुनील और पिंकी द्वारा पिछले करीब एक सप्ताह से किए जा रहे यौन शोषण के बारे में बताया। नाबालिक को फिर पुलिस उसके माता– पिता के पास ले गए जहां उसने उन्हें एक सप्ताह तक चली दरिंदगी की कहानी सुनाई, जिसके बाद बच्ची की मां ने सुनील और पिंकी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

इसके बाद दो अभियुक्तों सुनील कारोलया और उसकी महिला सहयोगी पिंकी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जब पुलिस और **चाइल्डलाइन** टीम ने लड़की को बरामद किया तब तक सुनील अपना सारा सामान बांध कर भाग चुका था। हालांकि, दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा ३७० (किसी भी व्यक्ति को दास के तौर पर खरीदने या रखने), धारा ३७६डी (नाबालिग से दुष्कर्म), (आम उद्देश्य के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया गया काम) और २३ (गलत तरीके से लाभ कमाना) के तहत गिरतार किया गया। १९९० के दशक के शुरुआत में एक हत्या करने के साथ– साथ मल्हारगंज, चंदन नगर, रावजी बाजार और हवाईअड्डा पुलिस स्टेशनों में दर्ज १७–१८ आपराधिक मामलों के अभियुक्त सुनील को पुलिस ने चार माह की गहन खोज के बाद गिरतार किया था।

एक साल की कानूनी लड़ाई और अदालती कार्रवाई के बाद सुनील और पिंकी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। अदालत ने कैद कर एक बच्ची के बार– बार यौन शोषण को जघन्य .त्य करार दिया और ऐसे काम में एक महिला के शामिल होने की घोर निंदा की। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अभियुक्तों को उनके आखिरी सांस (अर्थात मृत्यु) तक जेल में ही रखा जाएगा।

मामले का अध्ययन

चाइल्डलाइन पुडुक्कोटई और तंजावुर ने मिलकर बंधुआ मजदूरों को बचाया

*१८ वर्ष के कम उम्र के ३२ बंधुआ मजदूरों को **चाइल्डलाइन** पुडुक्कोटई और तंजावुर ने पुलिस के साथ मिलकर बचाया और उन्हें बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सौंप दिया।*

अंतरराष्ट्रीय न्याय मिशन (आईजेएम) के सदस्यों और **चाइल्डलाइन** पुडुक्कोट्टई और तंजावुर के संयुक्त प्रयास से ३२ बंधुआ मजदूरों को बचाया गया। इनमें पुडुक्कोट्टई के बाहरी इलाके नम्बूरनपट्टी के गन्ना फार्म के १४ बच्चे भी हैं। इस अभियान में अनुसूचित जनजाति के कुल ८ परिवारों को बचाया गया।

३२ बंधुआ मजदूर जिसमें से १४ बच्चे पुडुक्कोट्टई के फार्म से बचाए गए। इन सभी बच्चों के माता– पिता अनपढ़ और अकुशल श्रम पर पूरी तरह से निर्भर थे। चूंकि वे अपने परिवार के लिए पर्याप्त पैसे नहीं कमा सकते थे और इसलिए उन्हें अलग– अलग जगहों पर छोटे– मोटे काम करने को मजबूर किया जाता था। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनमें से किसी के भी पास रहने के लिए उचित घर नहीं था, उनके पास अपने बच्चों को काम करने की जगह पर ले जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। यहां बच्चों को अपने माता– पिता के जैसे ही काम करने को मजबूर किया जाता था ताकि वे भी अपने परिवार की कमाई में कुछ योगदान कर सकें। ये मजदूर कांचीपुरम, तिरुवन्नरनालाई और वेल्लोर जिलों में पाए जाने वाले अपने ग्रामीण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं।

चाइल्डलाइन पुडुक्कोट्टई के सदस्यों से नम्बूरेनपट्टई के कुछ निवासियों के एक सेल ने मुलाकात की और दावा किया कि उनके गांव के गन्ना कटाई के काम में बंधुआ मजदूर भी हैं। इस सूचना के आधार पर, **चाइल्डलाइन** और आईजेएम के सदस्यों ने क्षेत्रीय स्तर पर जांच की और सूचना को सही पाया। **चाइल्डलाइन**

के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य पर जागरुकता फैलाने वाले कार्यकर्ताओं के रूप में तुरंत उस जगह का दौरा किया और मामले की पुष्टि की। उसी दिन उन लोगों ने चुप–चाप मजदूरों की गतिविधियों का वीडियो भी बना लिया।

प्राथमिक जांच में यह पता चला कि ठेकेदार ने हर एक परिवार को ४,००० रुपयों से लेकर ११,००० रुपयों तक का भुगतान कर, लोगों को काम पर रखा था। धनराशि एक वर्ष के लिए काम करने को इच्छुक लोगों (बच्चों समेत) की संख्या के आधार पर अलग– अलग होती था। अगर परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते तो परिवार को बतौर मजदूरी २० रुपये के साथ एक किलो चावल मिल सकता था। बदले में ठेकेदार जब भी काम दे मजदूरों को करना होगा।

मजदूर– ठेकेदार और परिवारों की मुश्किलों के बारे में सभी जानकारी इक्ट्ठा करने के बाद, **चाइल्डलाइन** ने पुडुक्कोट्टई के राजस्व संभागीय अधिकारी (आरडीओ) और कलेक्टर से संपर्क किया। कलेक्टर के निर्देश के अनुसार, आरडीओ, **चाइल्डलाइन** के प्रतिनिधि और पुलिस ने उस जगह छापेमारी की, परिवारों को बचाया और ठेकेदार को गिरतार कर लिया। बचाए गए मजदूरों को गंधर्वेदकोट्टल में एक विवाह हॉल में रखा गया था और उन्हें जिला कलेक्ट्रेट ले जाए जाने की उम्मीद थी।

बचाए गए मजदूरों ने बताया कि उन्हें हर रोज १२ से १४ घंटों तक काम करना होता था, हालांकि उन्हें अपने गांव के मंदिर महोत्सव में शामिल होने के लिए दो महीने की छुट्टी दी जाती थी। सभी १०९८ ने बताया कि उनके ठेकेदार उन्हें गाली देते और उनके साथ मार– पिटाई करते थे।

चाइल्डलाइन ने बचाए गए परिवारों के बच्चों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए और पुडुक्कोट्टई के आरडीओ ने उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराई। जारी किए जाने संबंधी प्रमाणपत्र और पुनर्वास सहायता दिए जाने के बाद उन सभी को उनके संबंधित गृहनगर भेज दिया गया।

बालिका वधुः चाइल्डलाइन ने पश्चिम बंगाल में नाबालिग लड़की का विवाह रोका

पंपा पाहान, पश्चिम बंगाल की १५ वर्षीय आदिवासी लड़की है। वह कक्षा ९वीं में पढ़ने वाली एक अच्छी छात्रा है, उसके पिता बैद्यनाथ पाहान दैनिक मजदूर और उसकी मां लक्ष्मी पाहान गृहणि हैं। बहुत की बुरी परिस्थियों वाले इस परिवार की मासिक आमदनी सिर्फ २,००० रुपये है। परिवार के एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति उसके पिता जो लक्ष्मी, पंपा और उसकी चार बहनों के खाने–पीने की व्यवस्था करते हैं।

अपनी बेसहारा स्थिति को देखते हुए पंपा के पिता ने उसकी शादी कर देने का फैसला किया। मजबूत इच्छाशक्ति वाली पंपा चूंकि अभी पढ़ाई करना चाहती थी इसलिए उसने अपने पिता के इस फैसले का बहुत विरोध किया। माता– पिता को मनाने के सभी प्रयासों के बाद उसके पास विवाह प्रस्ताव को मान लेने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा।

अरुण सरकार नाम के एक व्यक्ति ने १०९८ पर फोन किया और **चाइल्डलाइन** को पंपा की जल्द ही होने वाली शादी के बारे में बताया।

इसके बाद, **चाइल्डलाइन** ने लड़की के परिवार से मुलाकात की। पूरी जांच के बाद, जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी जो बाल विवाह रोक अधिकारी (सीएमपीओ) भी थे, के पास एक शिकायत दर्ज कराई गई। सीएमपीओ ने

मामले का अध्ययन

उसकी तरफ से, मामले की लिखित में जानकारी बालुरघाट पुलिस स्टेशन को दी। उचित अधिकारी से मिली जानकारी के बाद, बालुरघाट पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारी और **चाइल्डलाइन** ने मिलकर पंपा की शादी को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया।

लंबी चर्चा, समझाने– बुझाने और परामर्श के बाद, पंपा के माता– पिता, उसके संबंधी और पड़ोसी बाल– विवाह के परिणामों से आवश्वत हुए और नतीजतन टीम इस विवाह को रोकने में सफल हुई। इसके अलावा, पंपा के पिता ने १८ वर्ष की होने से पहले अपने बेटी का विवाह न करने की भी प्रतिज्ञा की। पंपा, अब अपनी पढ़ाई कर रही है और उज्ज्वल करिअर के लिए योजनाएं बना रही है।

*आवश्यकता के अनुसार पहचान गोपनीय रखने के लिए बच्चों के नाम बदल दिए गए हैं।

औसत के परे बच्चों के लिए प्रगतिः एमडीजी से सीखना। संस्करण ११। २०१५–०८–०७

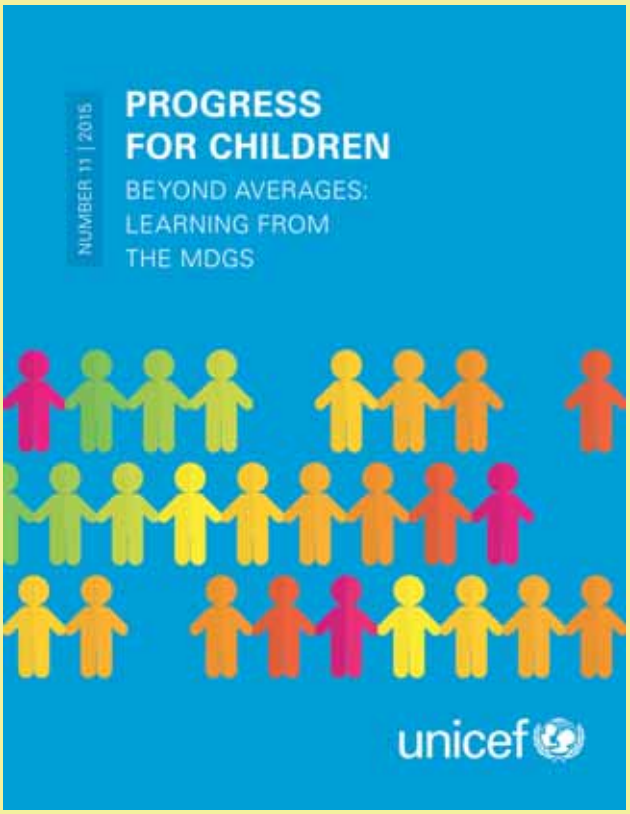

इतिहास में एमडीजी सबसे सफल वैश्विक गरीबी–विरोधी पहल है। जैसा कि सहस्राब्दी घोषणा में अपनाया गया है यह समृद्ध, कुशाग्र, स्वतंत्र, गरिमामय और शांत विश्व को दर्शाता है । साल २००० से, जब दुनिया के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा को अपनाया और सहस्राब्दी घोषणा लक्ष्यों के प्रति खुद की प्रतिबद्ध किया, प्रत्येक वर्ष, यूनिसेफ की लैगशिप प्रोग्रेस फॉर चिल्ड्रेन रिपोर्ट इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी करती है। बच्चों से संबंधित सहस्राब्दी घोषणा लक्ष्यों (एमडीजी) पर यूनिसेफ की अंतिम रिपोर्ट द प्रोग्रेस फॉर चिल्ड्रेन बियॉन्ड एवरेजेजः लर्निंग फ्रॉम द एमडीजी (ग्यारहवां संस्करण) ने, सहस्राब्दी घोषणा लक्ष्यों (एमडीजी) के अंतिम तारीख के बाद बच्चों के लिए हुई प्रगति और असमानताओं को प्रस्तुत किया। इसने बताया कि एमडीजी ने दुनिया के बच्चों के जीवन में सुधार के लिए बहुत मदद की लेकिन पिछले १५ वर्षों में किए गए विकास प्रयास लाखों वंचितों के पास पहुंचने में विफल रहे।

रिपोर्ट ने पाया, साल २००० में वैश्विक समुदाय द्वारा एमडीजी के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर किए जाने की तुलना में २०१५ में एक बच्चे के जीवित रहने और फलने–फूलने की संभावना बहुत अधिक हुई, बावजूद इसके लाखों जरूरतमंद बच्चे पीछे छूट गए हैं। अन्य क्षेत्रों के अलावा बच्चों के जीवित रहने, पोषण, मां– से– बच्चे में होने वाले एचआईवी संक्रमण और प्राथमिक स्कूल के माहौल जैसे क्षेत्र में आंकड़े महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाते हैं। रिपोर्ट में उन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है जहां अंतरराष्ट्रीय समुदायों को सबसे कमजोर बच्चों तक पहुंचने और सतत विकास हासिल करने के लिए ध्यान देना और काम करना चाहिए।

प्रोग्रेस फॉर चिल्ड्रेन संस्करण ११ पढ़ने के लिए क्लिक करें:
http://www.childlineindia.org.in/Progress-for-Children-publications-by-UNICEF.html

सम्मान

६२वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक फिल्म –'कोमल'

*बाल यौन शोषण पर **चाइल्डलाइन** की एनिमेशन फिल्म 'कोमल' ने सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक फिल्म की श्रेणी में ६२वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता।*

जानेमाने एनिमेशन फिल्म निर्माता श्री कीरीत खुर्राना (दाएं) २४ मार्च, २०१५ को नई दिल्ली में आयोजित ६२वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से पुरस्कार प्राप्त करते हुए। इस मौके पर वित्त, विदेश मामलों और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित थे।

चाइल्डलाइन की फिल्म 'कोमल' ने ६२वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार २०१४ में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक फिल्म की श्रेणी में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। फिल्म में बच्चों को खुद को यौन शोषण से बचाने के लिए प्रभावशाली और संक्षेप में जरूरी जानकारियां दी गईं हैं। जानेमाने एनिमेशन फिल्म निर्माता श्री कीरीत खुर्राना और क्लिम्ब मीडिया की उनकी टीम ने यह फिल्म बनाई थी। २४ मार्च, २०१५ को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित ६२वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

पुरस्कार जीतने के बाद **चाइल्डलाइन** इंडिया फाउंडेशन के संचार एवं रणनीति पहल प्रमुख, श्री निशित कुमार ने कहा, ' **चाइल्डलाइन** को देश में बच्चों के यौन शोषण के सबसे अधिक मामलों की शिकायत मिल रही है। **चाइल्डलाइन,** पीड़ितों को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है और दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश भी। साल २०१४ में, **चाइल्डलाइन** ने बाल यौन शोषण के २५०० से भी अधिक मामलों को निपटाया। दुर्भाग्य से ऐसे व्यस्कों की संख्या बहुत अधिक नहीं है जो अपने बच्चों को सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बीच का अंतर बताने के लिए खुल कर बातचीत करते हैं। बच्चे के यौन शोषण को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और ज्यादातर युवा भी इस पर ध्यान नहीं देते। इसके अलावा कई लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि बच्चे उन लोगों के द्वारा सबसे अधिक शोषित होते हैं जिनपर उनका सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही **चाइल्डलाइन** ने 'कोमल' फिल्म बनाई है। इस फिल्म को अब कई स्कूलों और बच्चों के समूहों में दिखाया जा रहा है ताकि बच्चों को शांत और सामान्य .ष्टिकोण के साथ संवेदनशील बनाया जा सके। 'कोमल' का उद्देश्य माता–पिता, शिक्षकों और दूसरों में जागरूकता फैलाने के साथ– साथ बच्चों को अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बीच का फर्क समझा कर सशक्त बनाना है।

चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन में संचार एवं रणनीति पहल टीम द्वारा अवधारणाबद्ध और क्लिंब मीडिया में निर्देशक कीरीत खुर्राना और उनकी टीम द्वारा बनाई गई फिल्म 'कोमल' राष्ट्रव्यापी घटना बन गई है, और हर दिन यह और अधिक लोगों के पास पहुंच रही है। फिल्म पंद्रह भाषाओं में रीलिज की गई है – अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, गुजराती, कोणकणी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बांगला, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी और उर्दू। प्रत्येक १५ भाषाओं के लिए इन ४५ सुलभ संस्करणों के साथ सांकेतिक भाषा विंडो भी तैयार किया गया है। सुपर्स और वॉयस ओवर्स के साथ ये सुलभ फिल्में मूक–बधीरों और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए भी बनाई गईं हैं।

फिल्म एक बच्ची कोमल के बारे में है जो ७ वर्ष की होनहार, संवेदनशील और खुशमिजाज लड़की है। उसके नए पड़ोसी– श्री बक्शी, जो अपनी पत्नी के साथ आए हैं, उसके पिता के पुराने दोस्त हैं। कोमल ने जब तक श्री बक्शी का कड़वा सच नहीं जाना था तब तक उनसे बहुत करीब से जुड़ी थी। फिल्म

सम्मान

में, **चाइल्डलाइन** दीदी सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बच्चों को विस्तार से बताती है ताकि वे खुद की रक्षा करने के लिए अच्छी तरह तैयार हों और अगर कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो विश्वासी व्यस्कों से मदद मांग सकें। फिल्म यौन शोषण से खुद को बचाने के लिए बच्चों को अनिवार्य जानकारी प्रभावशाली तरीके से संक्षेप में बताती है।

यूट्यूब पर अब तक ७० लाख से भी अधिक बार देखे और शेयर किए जा चुकने, ह्वाट्सऐप पर वायरल होने और फेसबुक पर ८०,००० से भी अधिक शेयर करने के बाद १० मिनट की इस फिल्म ने थोड़े से ही समय में कई लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। नेपाल, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मंगोलिया, मलेशिया, श्रीलंका, तिब्बत, सिंगापुर, अफगानिस्तान, सउदी अरब, ईरान और अन्य देशों ने फिल्म को अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में भी बनाने की मांग की है ताकि पूरी दुनिया के बच्चों को इससे लाभ मिल सके। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने औपचारिक रूप से 'कोमल' का अंतरराष्ट्रीय संस्करण बनाने का अनुरोध किया है ताकि दुनिया के कई हिस्सों में वे अपने शरणार्थी शिवरों के लिए इसे स्थानीय स्तर पर डब कर सकें। यह इस बात का सबूत है कि कोमल ने दुनिया भर में लोगों के दिलों को छुआ है।

'कोमल' को कई न्यूज चैनलों और कई देशों की सोशल मीडिया पर दिखाया गया है। भारत में इसे आवासीय सोसायटियों और थिएटर समूहों में दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। समय के साथ, 'कोमल' ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मान्यता प्राप्त की है।

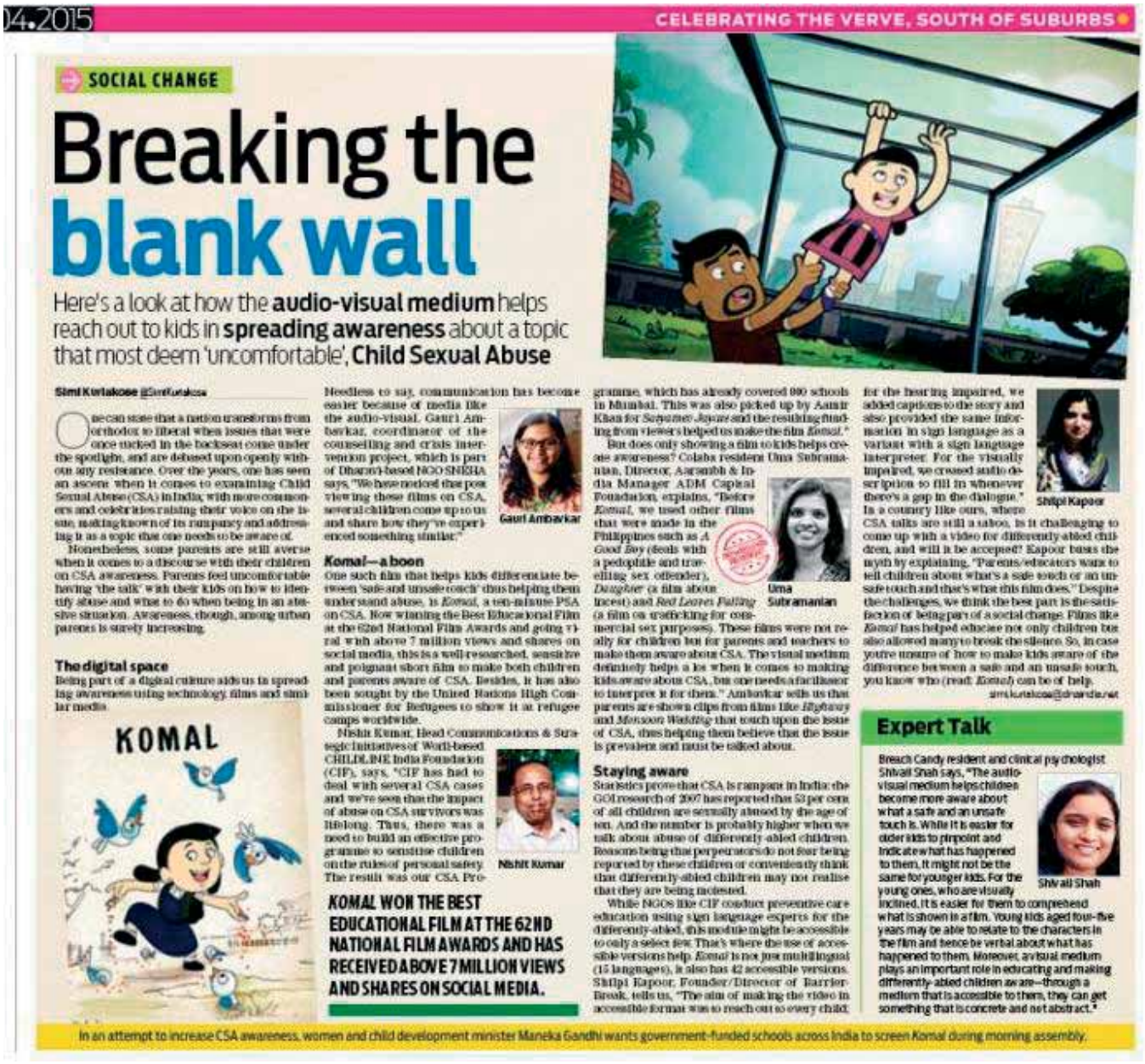

04.2015 CELEBRATING THE VERVE, SOUTH OF SUBURBS

SOCIAL CHANGE

Breaking the blank wall

Here's a look at how the **audio-visual medium** helps reach out to kids in **spreading awareness** about a topic that most deem 'uncomfortable', **Child Sexual Abuse**

Simi Kuriakose @SimiKuriakose

One can state that a nation transforms from orthodox to liberal when issues that were once tucked in the backseat come under the spotlight, and are debated upon openly without any resistance. Over the years, one has seen an ascent when it comes to examining Child Sexual Abuse (CSA) in India; with more commoners and celebrities raising their voice on the issue, making known of its rampancy and addressing it as a topic that one needs to be aware of.

Nonetheless, some parents are still averse when it comes to a discourse with their children on CSA awareness. Parents feel uncomfortable having 'the talk' with their kids on how to identify abuse and what to do when being in an abusive situation. Awareness, though, among urban parents is surely increasing.

The digital space

Being part of a digital culture aids us in spreading awareness using technology, films and similar media.

Needless to say, communication has become easier because of media like the audio-visual. Gauri Ambarkar, coordinator of the counselling and crisis intervention project, which is part of Dharavi-based NGO SNEHA says, "We have noticed that post viewing these films on CSA, several children come up to us and share how they've experienced something similar."

Gauri Ambavkar

Komal—a boon

One such film that helps kids differentiate between 'safe and unsafe touch' thus helping them understand abuse, is *Komal*, a ten-minute PSA on CSA. Now winning the Best Educational Film at the 62nd National Film Awards and going viral with above 7 million views and shares on social media, this is a well-researched, sensitive and poignant short film to make both children and parents aware of CSA. Besides, it has also been sought by the United Nations High Commissioner for Refugees to show it in refugee camps worldwide.

Nishit Kumar, Head Communications & Strategic Initiatives of World-based CHILDLINE India Foundation (CIF), says, "CIF has had to deal with several CSA cases and we've seen that the impact of abuse on CSA survivors was lifelong. Thus, there was a need to build an effective programme to sensitise children on the rules of personal safety. The result was our CSA Programme, which has already covered 900 schools in Mumbai. This was also picked up by Aamir Khan for *Satyamev Jayate* and the resulting finding from viewers helped us make the film *Komal*."

Nishit Kumar

KOMAL WON THE BEST EDUCATIONAL FILM AT THE 62ND NATIONAL FILM AWARDS AND HAS RECEIVED ABOVE 7 MILLION VIEWS AND SHARES ON SOCIAL MEDIA.

But does only showing a film to kids helps create awareness? Colaba resident Uma Subramanian, Director, Aarsunbh & India Manager ADM Capital Foundation, explains, "Before *Komal*, we used other films that were made in the Philippines such as *A Good Boy* (deals with a pedophile and traveling sex offender), *Daughter* (a film about incest) and *Red Leaves Falling* (a film on trafficking for commercial sex purposes). These films were not really for children but for parents and teachers to make them aware about CSA. The visual medium definitely helps a lot when it comes to making kids aware about CSA, but one needs a facilitator to interpret it for them." Ambavkar tells us that parents are shown clips from films like *Highway* and *Monsoon Wedding* that touch upon the issue of CSA, thus helping them believe that the issue is prevalent and must be talked about.

Uma Subramanian

Staying aware

Statistics prove that CSA is rampant in India; the GOI research of 2007 has reported that 53 per cent of all children are sexually abused by the age of ten. And the number is probably higher when we talk about abuse of differently-abled children. Reasons being that perpetrators do not fear being reported by these children or conveniently think that differently-abled children may not realise that they are being molested.

While NGOs like CIF conduct preventive care education using sign language experts for the differently-abled, this module might be accessible to only a select few. That's where the use of accessible versions help. *Komal* is not just multilingual (15 languages), it also has 42 accessible versions. Shilpi Kapoor, Founder/Director of Barrier-Break, tells us, "The aim of making the video in accessible format was to reach out to every child. For the hearing impaired, we added captions to the story and also provided the same information in sign language as a variant with a sign language interpreter. For the visually impaired, we created audio description to fill in whenever there's a gap in the dialogue."

Shilpi Kapoor

In a country like ours, where CSA talks are still a taboo, is it challenging to come up with a video for differently-abled children, and will it be accepted? Kapoor busts the myth by explaining, "Parents/educators want to tell children about what's a safe touch or an unsafe touch and that's what this film does." Despite the challenges, we think the best part is the satisfaction of being part of a social change. Films like *Komal* has helped educate not only children but also allowed many to break the silence. So, in case you're unsure of 'how to make kids aware of the difference between a safe and an unsafe touch, you know who (read: *Komal*) can be of help.

simi.kuriakose@dnaindia.net

Expert Talk

Breach Candy resident and clinical psychologist Shivali Shah says, "The audio-visual medium helps children become more aware about what a safe and an unsafe touch is. While it is easier for older kids to pinpoint and indicate what has happened to them, it might not be the same for younger kids. For the young ones, who are visually inclined, it is easier for them to comprehend what is shown in a film. Young kids aged four-five years may be able to relate to the characters in the film and hence be verbal about what has happened to them. Moreover, an visual medium plays an important role in educating and making differently-abled children aware—though a medium that is accessible to them, they can get something that is concrete and not abstract."

Shivali Shah

In an attempt to increase CSA awareness, women and child development minister Maneka Gandhi wants government-funded schools across India to screen *Komal* during morning assembly.

सम्मान

फिल्म को ८वें अंतरराष्ट्रीय फिल्मसाज में अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन पुरस्कार, लाइंग एलिफैंट फेस्टिवल एनिमेशन और शॉट फिल्म कॉम्पिटिशन २०१५ में सर्वश्रेष्ठ पीएसए श्रेणी के तहत दूसरा पुरस्कार, फिक्की में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म, एनिमेटेड शॉट फिल्म– प्रोफेशनल (अंतरराष्ट्रीय) श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फ्रेम्स (बीएएफ) पुरस्कार २०१४, पब्लिक रिलेशन सोसायटी ऑफ इंडिया की तरफ से सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट फिल्म, राष्ट्रीय पुरस्कार २०१४ प्राप्त हुआ। ग्रीस में होने वाले ८वें पासरोकोकालो इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और एनिम आर्ट फेस्टिवल २०१४, ब्राजील में भी इस फिल्म के आधिकारिक तौर पर चुने जाने की पुष्टी हुई है।

टीम क्लिंब मीडिया का हमारा दिल से धन्यवाद

हमारी फिल्म कोमल देखने के लिए यहां क्लिक करें।
http://bit.ly/Lase8y

'कोमल' ने ६२वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार २०१४ में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार जीता।

क्या आप जानते हैं?

भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है। इसकी स्थापना १९५४ में हुई थी। साल १९७३ से भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और भारतीय पैनारोमा के साथ भारत सरकार का फिल्म महोत्सव निदेशालय इसे प्रशासित करता है। दो मुख्य श्रेणियों– फीचर फिल्म और गैर– फीचर फिल्म के तहत विजेता सभी भाषाओं से चुने जाते हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन को भी पुरस्.त किया जाता है।

सम्मान

'कोमल' १५ भाषाओं में डीवीडी संस्करण

बाल यौन शोषण पर **चाइल्डलाइन** की एनिमेशन फिल्म 'कोमल' १५ भाषाओं– अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगाली, असमिया, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, कोणकणी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़, में सीआईएफ द्वारा मार्च २०१५ में रीलिज की गई थी।

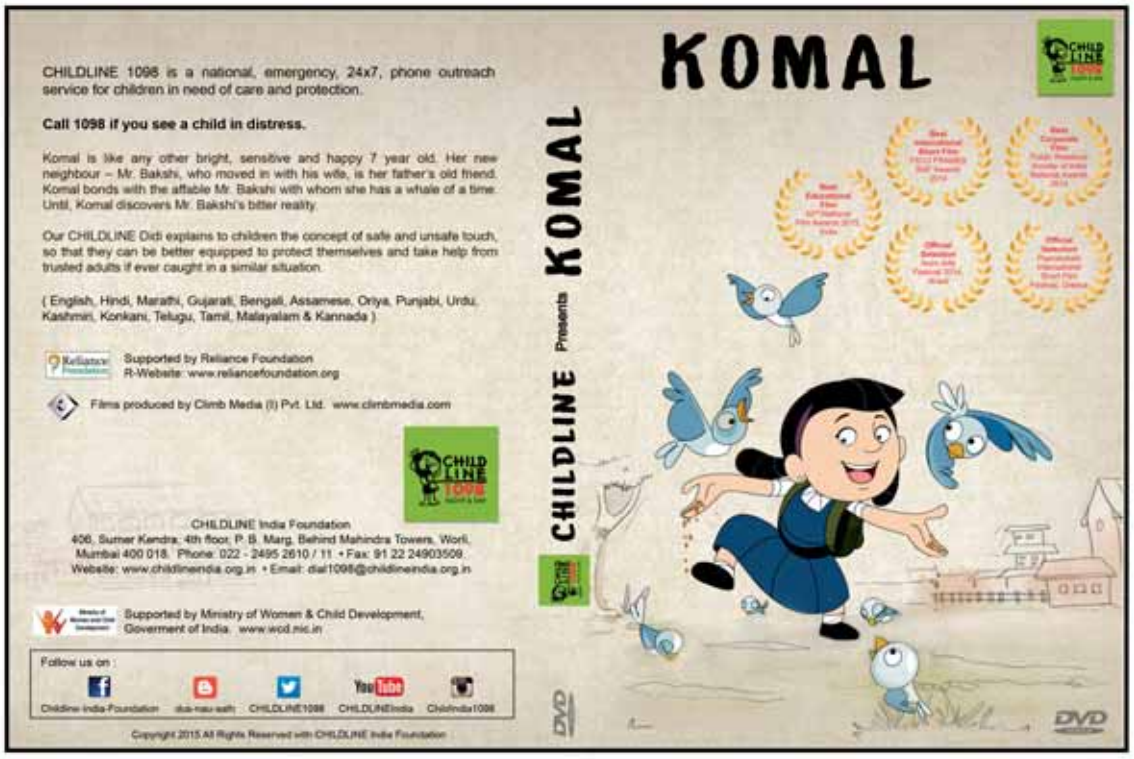

चाइल्डलाइन वारंगल को बाल रक्षा पुरस्कार

बाल अधिकारों और संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय काम करने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) द्वारा **चाइल्डलाइन** वारंगल को 'बाल रक्षा' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बधाई।

सम्मान

फ्लाईंग एलिफैंट फेस्टिवल २०१५ में 'इनोसेंस' और 'कोमल' के लिए दूसरा और तीसरा पुरस्कार

चाइल्डलाइन की फिल्मों 'इनोसेंस' और 'कोमल' ने लाइंग एलिफैंट एनिमेशन एंड शॉर्ट फिल्म कॉम्पीटिशन २०१५ में क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया। केरल के त्रिवेंद्रम में आयोजित फ्लाईंग एलिफैंट फेस्टिवल में सांसद श्री शशि थरुर से पुरस्कार प्राप्त करते क्लाइंब मीडिया के श्री कीरत खुर्राना, निर्देशक।

फ्लाईंग एलिफैंट एनिमेशन एंड शॉर्ट फिल्म कॉम्पीटिशन २०१५ में सांसद श्री शशि थरुर से पुरस्कार प्राप्त करते क्लाइंब मीडिया के श्री कीरत खुर्राना, निर्देशक

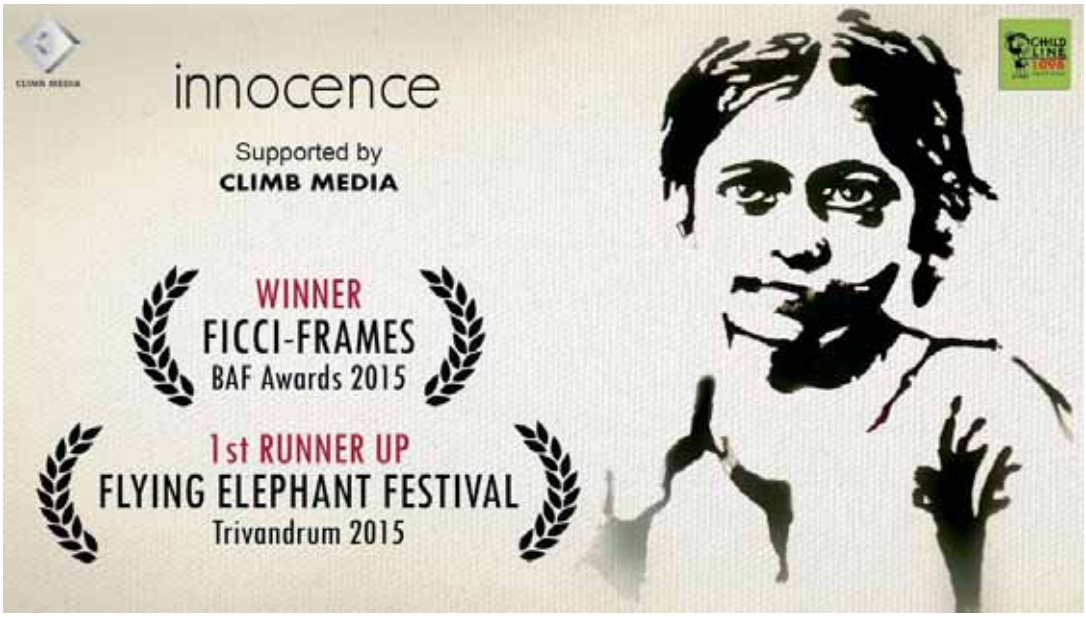

सम्मान

सीआईएफ की वार्षिक रिपोर्ट और सीसैप (CSAAP) ने एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशंस ऑफ इंडिया (एबीसीआई) अवार्ड्स २०१४ में 'सोना' जीता; हमारी यात्रा का एक और मील का पत्थर

सीआईएफ के उत्कृष्ट संचार प्रयासों ने एक और सम्मान अर्जित किया– सीआईएफ 'वार्षिक रिपोर्ट' और ' CSAAP ' ने एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशंस ऑफ इंडिया (एबीसीआई) अवार्ड्स २०१४ जीता।

सीआईएफ के बाल यौन शोषण जागरुकता कार्यक्रम (CSAAP) ने 'सर्वश्रेष्ठ सामाजिक जिम्मेदारी संचार' के तहत सोने की ट्रॉफी जीती सीआईएफ की वार्षिक रिपोर्ट २०१२–१३ ने भी 'सर्वश्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट' की श्रेणी में सोने की ट्रॉफी जीती

(बाएं से दाएं) होटल ताज प्रेसिडेंट, मुंबई में आयोजित ५४वें वार्षिक पुरस्कार एनआईटीई में ज्योति फ्रैंकलिन, रिसोर्स मोबलाइजेशन, सीआईएफ; बाल यौन शोषण जागरुकता कार्यक्रम (CSAAP) से निकोलेट डिसूजा ; संचार और रणनीति पहलों की तरफ से सुश्री रीमा डिसूजा और सुदेश पी एम

२७ फरवरी २०१५ को होटल ताज प्रेसिडेंट, मुंबई में आयोजित ५४वें वार्षिक पुरस्कार एनआईटीई में सर्वश्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट के लिए कम्युनिकेशन एंड स्ट्रैटेजी इनिशिएटिव्स, सीआईएएफ के सुश्री रीमा डिसूजा और सुदेश पी एम ने भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री विनोद पांडे से पुरस्कार प्राप्त किया जबकि सीआईएफ के बाल यौन शोषण जागरुकता कार्यक्रम (CSAAP) की निकोलेट डिसूजा और रिसोर्स मोबलाइजेशन, सीआईएएफ की ज्योति फ्रैंकलिन ने एसीसी लिमिटेड के कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस के वाइस प्रेसिडेंट श्री आर. नंद कुमार से बेस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन अवार्ड प्राप्त किया।

भारत के सबसे प्रतिष्ठित कम्युनिकेशन अवार्ड्स में एबीसीआई अवार्ड्स भी है। एबीसीआई १९५७ से बिजनेस कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल्स (व्यापार संचार पेशेवरों) के लिए भारत की सबसे बड़ी गैर– लाभकारी संगठन है। एबीसीआई ने व्यापार संचार पेशा और जनसंपर्क पेशे को बनाया है। करीब १,००० सदस्यों वाला यह संगठन उद्योग, तकनीक, परामर्शदाता कंपनियां, सरकार, संघ और अस्पताल, संचार के लिए स्कूल, पेशेवर सेवा कंपनियां और गैर– लाभकारी संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में एबीसीआई अपनी तरह की एक मात्र कंपनी है जो व्यापार संचार में उत.ष्टता को बढ़ावा देती है। संघ व्यापार संचार के पेशे में अद्भुत प्रतिभाओं को मान्यता देने और पुरस.त करने के लिए एनआईटीई वार्षिक पुरस्कार का आयोजन करती है।

बाल अधिकारों और संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय काम करने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) द्वारा **चाइल्डलाइन वारंगल** को 'बाल रक्षा' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बधाई।

वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें:
http://bit.ly/19wJMXn

CSAAP के बारे में और पढ़ें:
http://bit.ly/1lpjR8R

सम्मान

सीआईएफ को पीआरसीआई चाणक्य अवार्ड २०१५ दिया गया; CSAAP, वार्षिक रिपोर्ट और हेलो चाइल्डलाइन ने पीआरसीआई कॉरपोरेट कोलैटरल अवार्ड २०१५ जीता।

१४ मार्च २०१५ को पीसीआरआई के ९वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव २०१५ में पीआरसीआई कोलैटरल अवार्ड लेते सीआईएफ के सीएसआई प्रमुख श्री निशित कुमार

१३ मार्च २०१५ को पीआरसीआई चाणक्य अवार्ड ग्रहण करते श्री हीनू सिंह (दाएं से दूसरे), प्रमुख, एनआरआरसी, सीआईएफ, श्री निशित कुमार (दाएं से तीसरे), प्रमुख, सीएसआई, सीआईएफ

इस वर्ष पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) कॉरपोरेट कोलैटरल अवाड्र्स और चाणक्य अवाड्र्स २०१५ **चाइल्डलाइन** इंडिया फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छे रहे। संस्थान ने एक तरफ चाणक्य अवाड्र्स २०१५ में बच्चों के सशक्तिकरण के लिए विशेष जूरी पुरस्कार जीता तो पीआरसीआई कोलैटरल अवाड्र्स २०१५ में अपने उत्कृष्ट संचार के लिए स्वर्ण, रजत और कांस्य जीता।

सर्वश्रेष्ठ जन सेवा अभियान के तहत बाल यौन शोषण जागरुकता कार्यक्रम (CSAAP) को **स्वर्ण**

सर्वश्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट के तहत सीआईएफ के वार्षिक रिपोर्ट २०१२–१३ को **रजत**

सर्वश्रेष्ठ हाउस जर्नल– इन हाउस मैग्जिन के तहत हेलो **चाइल्डलाइन** के लिए **कांस्य**

१३ और १४ मार्च २०१५ को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित ९वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव २०१५ में यह पुरस्कार सीआईएफ के कम्युनिकेशंस एंड स्ट्रैटेजी प्रमुख श्री निशित कुमार ने प्राप्त किया जबकि सीआईएफ के लिए चाणक्य पुरस्कार सीआईएफ के उत्तर क्षेत्रीय संसाधन केंद्र प्रमुख श्री हीनू सिंह ने पीआरसीआई के चीफ मेंटर और चेयरमैन एमिरट्स श्री एम. बी. जयराम और अन्य उपस्थित गणमान्य अतिथियों से प्राप्त किया।

जनसंपर्क,संचार, विज्ञापन, शिक्षा और कई अन्य संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र में पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) पीआर पेशेवरों के लिए पंजी.त निकाय है। भारत भर में इसके १८ से भी अधिक सक्रिए चैप्टर्स हैं। आज पीआरसीआई जनसंपर्क पेशेवरों के लिए देश में जन संपर्क के केई क्षेत्रों में विचारों के वैश्विक आदान–प्रदान का पसंदीदा मंच बन चुका है। पीआरसीआई के कॉरपोरेट कोलैटरल अवाड्र्स में विभिन्न श्रेणियों में समर्थन देने के लिए संचार में पेशेवर मानकों को मान्यता प्रदान करता है जबकि पीआरसीआई चाणक्य अवाड्र्स लोगों और संगठनों को उनके चुने गए क्षेत्र में उत.ष्टता के लिए मान्यता प्रदान करता है बल्कि उनके काम में गहरी प्रतिबद्धता को भी मान्यता प्रदान करता है।

हेलो चाइल्डलाइन न्यूजलेटर को देखने के लिए यहां क्लिक करें :
http://bit.ly/1elhHzF

CSAAP के बारे में और पढ़ें :
http://bit.ly/1lpjR8R

वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें :
http://bit.ly/19wJMXn

चाइल्डलाइन सलाहकार समिति की बैठकें

प्रत्येक **चाइल्डलाइन** शहर में शहर के अंदर **चाइल्डलाइन** सेवा शुरु किए जाने के तुरंत बाद एक **चाइल्डलाइन** एडवाइजरी बोर्ड (सीएबी) बनाया जाता है। सीएबी में सरकारी अधिकारी, स्वयंसेवी संगठन, निगम और संबंधित व्यक्ति होते हैं।

सीएबी के मुख्य कार्यों में **चाइल्डलाइन** की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना और सेवा को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाना शामिल है। प्रत्येक शहर/नगर में सीएबी का संयोजन अलग–अलग हो सकता है, लेकिन सीएबी के सुझाए गए सदस्यों में समाज कल्याण विभाग/ महिला एवं बाल विकास के अधिकारी, महानगर पालिका निगम,आईसीडीएस, शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, किशोर न्याय, रेलवे, मीडिया, शिक्षा, दूरसंचार, अन्य एनजीओ नेटवर्क, **चाइल्डलाइन** नोडल, सहयोगी, सहायक और संसाधन संगठन के प्रतिनिधि शामिल हैं।

यह **चाइल्डलाइन** मॉडल का अच्छी तरह से आजमाया और परीक्षण किया हुआ तत्व है। यह एक पैनल की तरह काम करता है जो संबद्ध प्रणालीयों के संगठनों के सभी निर्णयकर्ताओं (पुलिस, स्वास्थ्यसेवा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, दूरसंचार, राज्य महिला और बाल विभाग, रेलवे, न्यायपालिका,आदि) को एक साथ लाता है और ओपन हाउस सेशन और मामलों में हस्तक्षेप के दौरान शहर में बच्चों के मुद्दों को प्रस्तुत करता है।

मुद्दों को सुलझाने के लिए सीएबी **चाइल्डलाइन** को सहायक प्रणालियों के साथ सीधे बातचीत करने का मंच प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सहायक प्रणालियों के संगठन बाल सुरक्षा में सक्रिए स्टेकधारक भी हों। सीएबी की बैठकें तिमाही में एक बार आयोजित की जाती हैं।

शहरः राजकोट

झलकियां: १०९८ के बारे में बताने के लिए **चाइल्डलाइन** स्टिकर अभियान

परिणामः **चाइल्डलाइन** जामनगर टीम ने गतिविधियों, इस अवधि के दौरान **चाइल्डलाइन** द्वारा किए गए मामलों में हस्तक्षेपों और आने वाली चुनौतियों के बारे में संक्षिप्त समीक्षा की। **चाइल्डलाइन** ने १०९८ पर एस. टी. और रेलवे स्टेशनों में स्टिकर अभियान के साथ जागरुकता फैलाया।

डॉ. मेहुल रुपानी, कनकसिंह जाला, एसडीओ, राजकोट, डॉ. दीपक पीपालिया, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, सुश्री पलकबाजाडेजा, डीसीपीओ, श्री परमार, डॉ हर्षद पटेल, एसीपी, क्राइम, डॉ. सी.सी. व्यास, श्री एच.आर. पटेल, निगम के सहायक संचारक, श्री के. बी. जाला– एसीपी यातायात, श्री ए.एफ, सिद्धि. डॉ पुर्वीबेनुचाट, डॉ एन.टी. नाकुम ने बैठक में हिस्सा लिया।

पुलिस, जिला अधिकारी और एनजीओ के प्रतिनिधि मिलकर और पुलिस स्टेशनों, जिला कल्याण अधिकारी और रेलवे अधिकारियों के बीच निकट सहयोग के साथ काम करने का सामूहिक फैसला किया गया।

बाल श्रम पर जागरुकता, रात में बचाए जाने वाले बच्चों के लिए आश्रय घरों, अस्पतालों में भर्ती कराए गए बच्चों की चिकित्सा रिपोर्ट जैसे पहलों पर भी चर्चा की गई ।

शहरः विरुधुनगर

झलकियां: सीएबी की बैठक विरुधुनगर के जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई।

परिणामः विरुधुनगर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नर्सों, यौन अपराध से बच्चों की रक्षा अधिनियम (POSCO),२०१२ के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए **चाइल्डलाइन** ने प्रशिक्षण आयोजित की।

विरुधुनगर के पंचायत में १०९८ के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए **चाइल्डलाइन** होर्डिंग्स का उपयोग किया गया। **चाइल्डलाइन** की इस पहल में पंचायत प्रमुख ने अपना सहयोग दिया।

चाइल्डलाइन ने प्रतिभागियों को यौन अपराध से बच्चों की रक्षा अधिनियम (POSCO) के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विरुधुनगर के स्कूलों में बाल यौन शोषण जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

विरुधुनगर के सरकारी और पंजी.त घरों में **चाइल्डलाइन** द्वारा १०९८ के बारे में जागरुकता कार्यक्रम किए गए।

चाइल्डलाइन ने विरुधुनगर के सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों को बाल विवाह अधिनियम पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया।

शहरः दीमापुर

झलकियां: राज्य पुलिस की वेबसाइट में १०९८ पर जागरुकता के लिए **चाइल्डलाइन** एक्सप्रेसीओना

परिणामः **चाइल्डलाइन** दीमापुर ने **चाइल्डलाइन** के काम– काज की समीक्षा करने और इसकी सेवाओं में सुधार के लिए सुझावों हेतु **चाइल्डलाइन** एडवाइजरी बोर्ड (सीएबी) का आयोजन किया।

राज्य पुलिस की वेबसाइट में १०९८ पर जागरुकता के लिए **चाइल्डलाइन** एक्सप्रेसीओना (लोगो और लिंक)।

मिशन के निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) ने सभी अवर सचिवों को **चाइल्डलाइन** की सहायता करने का निर्देश दिया।

चाइल्डलाइन सलाहकार समिति की बैठकें

शहरः रामनाथपुरम

झलकियांः रामनाथपुर में १०९८ के प्रसार के लिए **चाइल्डलाइन** होर्डिंग्स

परिणामः सीएबी की बैठक रामनाथपुरम के जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई।

१०९८ के बारे में जानकारी फैलाने के लिए रामनाथपुरम जिले के सभी प्रमुख स्थानों पर **चाइल्डलाइन** ने होर्डिंग्स लगाए।

रामनाथपुरम में शिक्षा विभाग के साथ बैठक में **चाइल्डलाइन** ने १०९८ पर स्कूली शिक्षकों के लिए जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

समूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि सभी चर्चों, मंदिरों, मस्जिद अधिकारी और विवाह भवनों के मालिक किसी भी शादी की अनुमति देने से पहले बच्चे की उम्र का सत्यापन करेंगें। विवरणों और निर्देशों के साथ सभी हितधारकों के पास सर्कुलर भेजे जाएंगे।

चाइल्डलाइन ने यौन अपराध से बच्चों की रक्षा अधिनियम (POSCO),२०१२ पर प्रशिक्षण का भी आयोजन किया।

शहरः गुवाहाटी

झलकियांः गुवाहाटी के स्कूलों में **चाइल्डलाइन** 'ड्रॉप बॉक्स'

परिणामः **चाइल्डलाइन** के साथ अपनी समस्याओं और चिंताओं को बांटने के लिए **चाइल्डलाइन** गुवाहाटी के स्कूलों में 'ड्रॉप बॉक्स' लगाएगा।

आसाम के एसपी, सीआईडी ने गुवाहाटी के कमिश्नर और अन्य एसपी को **चाइल्डलाइन** का समर्थन देने का निर्देश दिया है।

गुवाहाटी के स्कूलों में १०९८ के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए **चाइल्डलाइन** जागरुकता सत्रों का आयोजन करेगा।

असम के प्राथमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक ने इस काम में अधिकारियों को **चाइल्डलाइन** का सहयोग करने का निर्देश दिया है।

शहरः बेलारी

परिणामः तहसीलदार, कुडीलिगी, **चाइल्डलाइन** उप केंद्र कुडीलिगी तालुका, बेलारी जिला ने कुडीलिगी में पहली तालुका एडवाइजरी बोर्ड बैठक का आयोजन किया।

पुलिस सब– इंस्पेक्टर, सामाजिक कल्याण अधिकारी, प्रखंड शिक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई और श्रम विभाग के प्रतिनिधि इसमें मौजूद थे।

१०९८ के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए आटो में **चाइल्डलाइन** स्टिकर अभियान चलाया गया।

कुडीलिगी के तहसीलदार ने शिक्षा विभाग और पंचायत विकास अधिकारियों को बाल विवाह के मामलों मे **चाइल्डलाइन** की मदद करने का निर्देश दिया।

बीडर में स्कूलों में दीवारों पर चित्रकला (पेंटिंग्स) के जरिए **चाइल्डलाइन** ने १०९८ पर जागरुकता पैदा की। तहसीलदार ने सभी पंचायचत विकास अधिकारियों को **चाइल्डलाइन** का सहयोग करने का निर्देश दिया।

ममलों में हस्तक्षेप करने के लिए कुडीलिगी के तहसीलदार ने पुलिस विभाग को सहयोग करने का निर्देश दिया।

आम जनता तक पहुंचने के लिए **चाइल्डलाइन** के बैनरों को बस स्टॉप पर लगाए गए।

शहरः कन्नूर

झलकियांः **चाइल्डलाइन** ने कन्नूर में बाल भिक्षावृत्ति अभियान (चाइल्ड बेगरी ड्राइव) चलाया

परिणामः कन्नूर के एडीएम चेंबर में **चाइल्डलाइन** कन्नूर के सीएबी की बैठक आयोजित की गई।

कन्नूर नगरपालिका, पुलिस विभाग, डीएलओ, एलएसजी, डीडीपी के सहयोग से **चाइल्डलाइन** ने कन्नूर में भिक्षावृत्ति अभियान चलाया।

ओ.मुहम्मद असलम, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (एडीएम) ने बैठक की अध्यक्षता की।

सीडब्ल्यूसी के साथ **चाइल्डलाइन** ने आदिवासी इलाकों में स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों पर प्राथमिक अध्ययन किया और संबंधित विभागों और एलएसजी के साथ मिलकर जरुरी कार्रवाई की।

बच्चों और बाल संरक्षण के मुख्य क्षेत्रों से संबंधित कानूनों पर महिला अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण। एडीएम ने प्रशिक्षण के आयोजन हेतु डीवाईएसपी और डीसीआरबी को जरुरी तैयारियां करने का निर्देश दिया था।

बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति पर जागरुकता फैलानेके लिए **चाइल्डलाइन** ने शहर भर के प्रमुख स्थानों पर १०९८ पर जागरुकता होर्डिंग्स लगाए।

चाइल्डलाइन सलाहकार समिति की बैठकें

शहर : पुडुक्कोट्टई

झलकियां: स्कूलों में १०९८ पर जागरुकता के लिए दीवार पर पेंटिंग।

परिणाम: पुमडुक्कोट्टई में सीएबी की बैठक की अध्यक्षता पुडुक्कोट्टई के जिला कलक्टर, श्री गणेश, आई.ए.एस. ने की।

कलेक्टर ने एसएसए कोष की मदद से अतिरिक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी (एसीईओ) को जिले के सभी स्कूलों में दीवार पर पेंटिंग के जरिए **चाइल्डलाइन १०९८** पर जागरुकता फैलाने का निर्देश दिया।

पुडुक्कोट्टई के कमिश्नर के सहयोग से **चाइल्डलाइन** ने सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड पर **चाइल्डलाइन** होर्डिंग्स लगाए।

कलक्टर ने जिला समाज कल्याण विभाग को आयु प्रमाण पत्र को फिर से सत्यापित करने के लिए सभी विवाह भवनों और मंदिरों को सर्कुलर भेजने का निर्देश दिया।

डीएसडब्ल्यूसी, डीसीपीयू, एएचटीयू और **चाइल्डलाइन** की विशेष टीम नेजिले के सभी बाल घरों का दौरा किया और उनमें बच्चों के लिए मौजूद सुविधाओं की जांच की।

शहर: जामनगर

कलक्टर कार्यालय में हुई जामनगर की सीएबी बैठक की अध्यक्षता जामनगर के अतिरिक्त कलक्टर ने की।

बैठक में जामनगर **चाइल्डलाइन** के निदेशक श्री जमनाभाई सुजित्र, डीवाईएसपी –श्री इंदुआ मकवाना, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष– श्रीमति भावनाबेन ...., डीसीपीयू अधिकारी श्री समीरभाई परीचा, रेलवे प्रबंधक– श्री आर. के. शर्मा, बीएसएनएल प्रबंधक श्री एम.एम. कुनानी, सीएल समन्वयक और टीम के सदस्य मौजूद थे।

शहर: कुड्डालोर

जिला कलक्टर कार्यालय में **चाइल्डलाइन** कुड्डालोर के सीएबी बैठक का आयोजन किया गया था।

जिला कलक्टर ने मुख्य शैक्षणिक अधिकारी (सीईओ), जिला विकलांग पुनर्वास अधिकारी (डीडीआरओ), और मैट्रीकुलेशन स्कूलों के इंस्पेक्टर (आईएमएस) को सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मैट्रिकुलेशन स्कूलों और कुड्डालोर के विशेष स्कूल इलाकों में फिल्म 'कोमल' की स्पेशल स्क्रिनिंग करने हेतु जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

बाल विवाह बचाव के दौरान **चाइल्डलाइन** टीम को समर्थन देने के लिए जिला कलक्टर ने एसपी को सभी पुलिस स्टेशनों में निर्देश उपलब्ध कराने को कहा।

सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने सभी पुलिस स्टेशनों को लापता बच्चों की एफआईआर लिखना अनिवार्य करने संबंधी निर्देश जारी किए।

शहर और प्रखंड (**ब्लॉक**) स्तर पर सीएबी चाइल्डलाइन की प्रमुख नीति निर्माता निकाय है।

बाल संरक्षण नीति

सभी स्कूलों में बाल संरक्षण नीति का होना अनिवार्य है

कर्नाटक के बेंगलुरु में एक स्कूल में छह वर्ष के बच्चे के साथ यौन शोषण के चौंका देने वाले मामले ने स्कूलों में बाल संरक्षण नीति की जरुरत का महत्व साबित किया। देश भर में बच्चों की सुरक्षा चर्चा का मुख्य विषय बन गया। बच्चों को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। बच्चों के साथ काम करने वाले संगठन और पेशेवरों को यह जरुर सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी नीतियां और प्रथाएं बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी तंत्रों को सुनिश्चित करने के क्रम में इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाती हैं। साथ ही उन्हें बच्चों के लिए सुरक्षा और स्कूलों में ऐसी घटनाओं का पता लगाने को भी सुनिश्चित करना चाहिए।

रवि, घर से भागा हुआ १० साल का बच्चा, मुंबई पहुंचता है। वह स्कूल जाना नहीं चाहता। बचपन में पोलियो की वजह से उसका दायां पैर खराब हो गया था। दूसरे बच्चों द्वारा लंगड़ा बुलाया जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। भारत के स्कूलों में ऐसी कहानियां आम हैं। स्कूल न जाने की यह वजह नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्कूलों को ऐसी जगह माना जाता है जो भेदभाव से मुक्त हो और सीखने के अनुकूल माहौल प्रदान करें (एवरीवेयर चाइल्ड प्रोजेक्ट। प्रत्येक जगह में बच्चों के अनुकूल स्थान)।

शिक्षा सेवा के क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति बच्चों और युवाओं को सुरक्षित रखने में भूमिका निभाता है। स्कूल में हर पल बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सीखने का सुरक्षित माहौल तैयार करना, अवसादग्रस्त छात्रों या नुकसान पहुंचा सकने वालों की पहचान करना और फिर उपयुक्त कदम उठाना, महत्वपूर्ण है। स्कूलों में बच्चे दिन का ज्यादातर समय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अपने शिक्षकों के साथ बिताते हैं। उनमें से कई बच्चों के साथ– साथ समुदाय के लिए भी रोल मॉडल होते हैं। बच्चों की कमजोरियों के प्रति संवदेनशील बनने के लिए अगर शिक्षित किया जाए तो शिक्षक भी स्कूल के साथ– साथ समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण उल्लंघन की पहचान, पर कार्रवाई करने और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस बात की भी व्यापक पैमाने पर रिपोर्ट की गई है कि स्कूलों में महिला शिक्षकों की मौजूदगी स्कूलों की बालिकाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। अध्ययन के इस खंड में स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात, महिला शिक्षिकाओं की उपस्थिति और बाल संरक्षण में प्रशिक्षण की उपलब्धता, की जांच की जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) में बाल संरक्षण को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, ' देश के माहौल, क्षमताओं और प्रतिक्रियाओं को बच्चों को हिंसा, शोषण, गाली– गलौज, अनदेखी और संघर्ष के प्रभावों से बचाने एवं सुरक्षित करने के लिए सशक्त बनाना।' इसके लिए शिक्षा प्रणालियों को बाल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी क्योंकि बच्चे स्कूल के माहौल में अपने बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा बिताते हैं, और स्कूल परिवार के बाद बच्चों के लिए दूसरी प्रेरक व्यवस्था भी है।

बाल संरक्षण नीति (सीपीपी) क्या है?

बाल संरक्षण नीति (सीपीपी) आशय का कथन है जो बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले मानकों, संचालन दिशानिर्देशों और संरक्षात्मक पैमानों को रेखांकित करती है। यह सभी संस्थानों, सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों और उनके कर्मचारियों को जो बच्चों के काम से जुड़े हैं, के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने हेतु दिशानिर्देश उपलब्ध कराती है। बच्चों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह एक उपकरण है जो किए जाने वाली कार्रवाई को स्पष्ट परिभाषित कर बच्चों और कर्मचारी दोनों की सुरक्षा करता है। साथ ही यह व्यवहार की स्थिरता भी सुनिश्चित करता है ताकि सभी कर्मचारी एक ही प्रक्रिया का पालन करें।

क्या आप जानते हैं?

- २००२ का ८६वां संविधान संशोधन शिक्षा को भारत में बच्चों का मौलिक अधिकार मानता है। बच्चों के अधिकारों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, २००९, कई तंत्रों की व्यवस्था करता है जो स्कूलों में सुरक्षित स्थान और उनके विकास और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की भी सुविधा को सुनिश्चित करता है।
- **चाइल्डलाइन १०९८** रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि कई स्कूलों ने चाइल्डलाइन पोस्टर को दिखाने में सहमति दिखाई या **चाइल्डलाइन** टीम द्वारा स्कूलों में बच्चों के लिए जागरुकता कार्यक्रमों को आयोजित करने की अनुमति दी, ज्यादातर स्कूलों में फोन या हॉटलाइन तक पहुंच नहीं थी जहां से वे १०९८ पर मुत में फोन कर स्कूल में परेशान करने वाले किसी मुद्दे के बारे में बता सकते हैं।

बाल संरक्षण नीति

स्कूलों को अनिवार्य रूप से बाल संरक्षण नीति तैयार और लागू करनी चाहिए और उन्हें अपनी प्रक्रियाओं, पाठ्यक्रमों और कर्मचारियों की भर्ती में बाल संरक्षण में शामिल करना चाहिए। शिक्षा प्रणालियों में बाल सुरक्षा की अवधारणा को शामिल करने से स्कूलों के कामकाज के तरीकों, स्कूल में बच्चों के व्यवहार और बच्चों के साथ शिक्षकों एवं स्कूल के अधिकारियों के बातचीत की पद्धति में अनिवार्य बदलाव हो सकते हैं।

भारत में कई नागरिक समाज संगठनों ने सीपीपी की जरुरत को समझा है और अपनी सेवा और कार्यक्रम में उसका मसौदा तैयार करने एवं उसे लागू करने के लिए रक्षात्मक उपाय किए हैं।

द एवरीवेयर चाइल्ड प्रोजेक्ट– ए चाइल्ड फ्रेंडली प्लेस इन एवरी स्पेस (प्रत्येक जगह बच्चों के अनुकूल स्थान) को **चाइल्डलाइन ने २०११** में जारी किया था, बाल संरक्षण मानकों के सेट के संयोजन का पालन बच्चों के स्थान पर किया जाना चाहिए, इनमें से एक स्थान स्कूल हो सकता है। देशव्यापी परामर्श प्रक्रिया की गई, जिसमें, बाल संरक्षण मानकों को तैयार करने के लिए नागरिक समाज के विशेषज्ञ एकजुट हुए। अध्ययन के दौरान यह पता चला कि सिर्फ १० फीसदी स्कूलों में ही बाल संरक्षण नीति थी जबकि सिर्फ १ फीसदी स्कूलों में यौन शोषण नीति थी। बाल संरक्षण तंत्रों पर किया गया यह राष्ट्रीय अध्ययन बताता है कि चूंकि बच्चों के लिए स्कूल को सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है इसलिए लिखित बाल संरक्षण नीति की जिम्मेदारी स्कूलों की है।

स्कूलों से संबंधित कुछ अन्य बातें:

२८ फीसदी स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग– अलग शौचालय नहीं थे।

सिर्फ **४** फीसदी स्कूल ही बच्चों को फिल्टर का पानी उपलब्ध कराते हैं।

७७ फीसदी स्कूल बच्चों को बिना फिल्टर किया हुआ पानी उपलब्ध कराते हैं।

१९ फीसदी स्कूल बच्चों को किसी भी प्रकार के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराते।

८६ फीसदी स्कूलों में आपात स्थितियों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स (प्राथमिक चिकित्सा बक्स) थीं; सर्वेक्षण में शामिल स्कूलों में से **१४** फीसदी स्कूलों में चिकित्सीय आपात स्थिति से निपटने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स (प्राथमिक चिकित्सा बक्स) की सबसे बुनियादी सुवधि तक उपलब्ध नहीं थी।

६० फीसदी से अधिक स्कूलों में वांछित **१:३०** के मुकाबले बेहतर शिक्षक–छात्र अनुपात था।

६४ फीसदी स्कूलों में पुरुष शिक्षकों के मुकाबले महिला शिक्षकों की संख्या अधिक थी जिससे अनुकूल लैंगिक अनुपात देखने को मिला।

९० फीसदी से अधिक स्कूलों में महिला शिक्षिका थीं।

२ फीसदी से भी कम स्कूलों में स्कूल काउंसलर (परामर्शदाता) थे।

सिर्फ **१२** फीसदी उत्तरदाताओं (प्राचार्य) ने बाल अधिकारों और बाल संरक्षण पर किसी प्रकार का प्रशिक्षण लिया था।

७४ फीसदी निजी स्कूलों के मुकाबले **९२** फीसदी सरकारी स्कूलों में पीटीए की मौजूदगी मिली।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित मामलों के लिए **३** फीसदी, लैंगिक भेदभाव पर **२** फीसदी स्कूलों में और शारीरिक दंड़ के मुद्दे पर **४** फीसदी स्कूलों में शिकायत समिति मिलीं।

बच्चों के लिए शिकायत पुस्तिका या शिकायत बॉक्स वाले स्कूलों का प्रतिशत क्रमशः **२०** फीसदी और **२१** फीसदी थी।

६४ फीसदी स्कूलों ने कहा कि स्कूल परिसर से बाहर बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं हैं।

सिर्फ **५** फीसदी स्कूलों में बच्चों को सजा नहीं दी जाती थी।

सजा के तौर पर बच्चों को उनके सहपाठियों के सामने मारे जाने के मामले **३३** फीसदी स्कूलों और नीचा दिखाए जाने के मामले **१२** फीसदी स्कूलों में दर्ज किए गए।

३६ फीसदी स्कूल जहां गाली दिए जाने के मामले सामने आए उनमें से **२१** फीसदी स्कूलों ने इसके खिलाफ फॉलो–अप कार्रवाई की।

बाल श्रम की वजह से **२८** फीसदी स्कूलों; बाल विवाह की वजह से **२१** फीसदी स्कूलों में छात्रों के स्कूल छोड़ने की बात सामने आई।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक स्कूल को बाल संरक्षण योजना बनाने की जरूरत है जिसमें स्कूल परिवहन, चिकित्सा सुविधाएं, भौतिक संरचना, शौचालय, कर्मचारी प्रशिक्षण और दंड़ एवं गाली के प्रारुप जैसे सभी कारकों को कवर किया जाना चाहिए। स्कूल का बाल संरक्षण नीति सभी बच्चों, कर्मचारियों, माता–पिता/ अभिभावकों और जनता के लिए मुत में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इसके अलावा प्रत्येक बाल संरक्षण नीति में – नीति कथन, आचरण संहिता ; ध्यानाकर्षण नीति (Whistle blower policy); कार्यान्वयन दिशानिर्देश होना चाहिए। इसके अलावा इसमें मुख्य हितधारक की स्पष्ट जिम्मेदारी के साथ बच्चों के अनुकूल संस्करण जो बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध हो, होना चाहिए। बाल संरक्षण नीति न्यूनतम मानक है जिसे प्रत्येक संस्थान को जरुर अपनाना चाहिए। यह दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) दिशानिर्देशों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें यह कहा गया है कि स्कूल में बच्चे के दाखिले के समय सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए माता– पिता और छात्र एवं शिक्षकों को दिशानिर्देशों पर हस्ताक्षर करना होगा।

बाल संरक्षण नीति

बच्चों के सुरक्षा की जिम्मेदारी बच्चे की देखभाल से सीधे जुड़े या न जुड़े, समाज के प्रत्येक सदस्य की है। स्कूलों में बाल संरक्षण नीति बच्चों से संबंधित कानून से परे बच्चों के सरंक्षण का विस्तार करने का प्रयास है और इसे बच्चों को कई खतरों से सुरक्षित रखने की दिशा में लंबा रास्ता तय करना होगा। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक स्कूल के लिए बाल संरक्षण नीति बनाना अनिवार्य है। यह स्कूल प्रबंधन को न्याय के लिए मार्ग दिखाता है और बाल अधिकारों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले में सभी अनिवार्य कार्रवाई करने की इजाजत देता है।

'Schools must have child protection policy'

Asha Sridhar

Increased awareness of the Protection of Children against Sexual Offences (POCSO) Act, 2012, is needed

CHENNAI: Following the rape of a six-year-old in a Bangalore school last month, activists are stressing the need for schools to have a child protection policy.

Also needed is increased awareness of the Protection of Children against Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.

Vidya Reddy of Tulir-Centre for the Prevention & Healing of Child Sexual Abuse said schools must conduct mandatory orientation in child protection for all staff members joining the institution.

"There must be a clear-cut code of conduct and a reporting mechanism in every school. The orientation will also protect the staff and define boundaries so there is little room for ambiguity when they interact with students," she said, adding it should also outline how the allegation is managed after disclosure.

In 2012, the school education department issued a government order that said teachers found guilty of child sexual abuse would face compulsory retirement, removal or dismissal.

Academic credentials of the teacher would also be cancelled, it said.

The department, through the State Council for Educational Research and Training, also held training programmes for primary- and middle-school teachers on child rights and protection.

An official, while stating that a teacher in Namakkal was dismissed some time ago, was non-committal on the number of such cases reported and action taken, since the government order came into effect.

A March 2013 CBSE circular stressed that teachers, management and all employees in schools be made aware of the POCSO Act's provisions. It asked all CBSE schools to publicise the provisions of the Act and keep at least one copy of the gazette notification in the school library.

Anuradha Vidyashankar, head, south regional resource centre, Childline India Foundation, a nodal agency of the Union Ministry of Women and Child Development, said their '1098' helpline received around 155 calls, last year.

"The POCSO Act makes reporting (of abuse cases) mandatory and it is important to break the silence. A lot of groups are working to create awareness. However, not just children, adults too must be made aware of the Act," she said. It is recommended that all schools have a child protection policy, and have it on paper, because schools are considered safe spaces for children, she said.

CHILDREN DESERVE A SECURE ENVIRONMENT WHERE THEY SPEND A GOOD PART OF THE DAY

WHAT SCHOOLS SHOULD DO: TOI looks at best practices for safety

ANY ANSWERS?

More than a week after the abuse case came to light, nothing much has happened on the ground. TOI gives a lowdown on the loose ends

1 Why has the school management not been questioned as yet?

The alleged rape took place on the campus on July 2, but the management never went to police. Not only the culprits, but those who saw Rhea (name changed) immediately after the crime were school employees. Yet, police have only managed to obtain a statement from the school, which accepted that such an incident took place on its campus. The principal and other teachers are yet to be interrogated.

2 Why did the teacher named Susan take Rhea to a dark room?

The girl told counsellors she was taken to a dark room on the third floor by Susan, apparently a teacher. Yet police have not questioned any teacher by that name. Who is Susan and why did she leave the child alone in the room? The school teachers are denying the existence of a dark room, though.

3 Who is the other female teacher who saw Rhea after the male teachers left?

In her statement to counsellors, Rhea said Puja, a teacher, was the first to see her after she was sexually assaulted. The teacher allegedly saw the girl bleeding. Is this teacher not crucial to the case as she could've easily made out the child was sexually assaulted?

4 Who was the second male teacher who abused Rhea?

School spokespersons say there are only four male teachers in the institution and claimed all of them are in police custody. But police said they have only Mustafa in their custody, and admit Rhea's statement says she was sexually assaulted by two men. Counsellors say the girl has identified the two attackers. Why is the second rapist still free?

5 Who was the doctor on the campus who examined Rhea?

According to the child's statements, the teacher who saw her brought a doctor. Who was this doctor? Why have police not examined him? The doctor was most likely to have realized the girl was sexually assaulted. Did he bring the matter to the notice of the teacher and other school authorities?

6 What first aid was given to Rhea?

The doctor is said to have given the child an injection. Shouldn't the doctor have first spoken to the child's parents to check her medical history? What was the doctor's diagnosis before he went ahead with treatment?

Policies and practices to prevent child sexual abuse

There are various ways in which a campus can be sanitized against sex fiends. Installation of CCTVs could be an explicit way, but schools need to drive home the message repeatedly that child sexual abuse will not be tolerated by incorporating penal provisions against it in all its documents. They should draw up an elaborate mechanism of grievance redressal in child sexual abuse cases. Schools should make it clear they are open to addressing concerns over sexual abuse and not try to sweep the matter under the carpet.

CCTV A MUST

"This can happen to any child, in any situation, from any economic background. Children need protection from violence and abuse, be it physical or psychological. When we look at children, most of us don't think of protecting them, and against whom. CCTVs in schools is just one solution, but what happens beyond the range of these cameras? Who watches the footage? Is it real-time monitoring? These questions are answered only if adults dealing with children are checked out beforehand. There has to be continuous monitoring.

Dr Sreelakshmi Gupta | FORMER UNICEF REPRESENTATIVE

Sensitize teachers, other staffers to sexual abuse

Awareness programmes must be held periodically for teachers on what is sexually inappropriate behaviour and how children can be handled without being physically touched. The focus should be on good touch and bad touch. Teachers must be made aware and be on guard against innocuous gestures of encouragement which could become sexually inappropriate. Training should include all categories of workers who come in contact with children, including those handling housekeeping and transport responsibilities.

TOUCHING CARE

"Children understand slang and not technical terms. But those words can't be used in a handbill for teachers. It's a challenge to train teachers too in this regard. Open talks in the classroom can educate children. Already, children are exposed to many things through the media. It's a challenge to teach them. Children must be told about the child helpline number 1098. These are as important as the curriculum. A friendly environment must be created in classroom, so a child talks freely to teachers on any doubtful behaviour.

Nagasimha G Rao | ACTIVIST, CHILD RIGHTS TRUST

Awareness on reporting child sexual abuse

All institutions must have an arrangement to report sexual abuse. The arrangement should be publicized and both parents and children must be aware of it. It's better there's a system in place to ensure children themselves are encouraged to report sexual abuse. But parental involvement is mandatory from the stage of reporting to redressal. Children and parents must be convinced that any reporting does not invite retaliation. A publicized redressal mechanism will ensure the institution is transparent and won't obfuscate issues.

PARENTS AND KIDS

"School managements should appoint counsellors who can convey the need of reporting abuse to children of different age groups. Children should be taught about basics like good and bad touch, and good and bad look, so they can differentiate the behaviour of any person. Teachers should be trained in handling sexual abuse cases. Parents should alert school authorities without hesitation. In fact, not reporting abuse is also an offence.

Anuradha BS | MEMBER, KARNATAKA STATE COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

OFFSIDE

Involve parents in awareness against abuse

It isn't only the child who bears the brunt of the trauma of sexual abuse. Parents are equally traumatized. Given that it's parents who share an unalloyed relationship with their children, they are the first to know if their child has been misbehaved with. The best way to combat child sexual abuse on campus is to involve parents in measures taken to combat the menace. Parents' involvement is crucial as they can sensitize children to the issue and also help them come to terms with any trauma inflicted on them.

COUNSEL THE KIDS

"Getting parents involved in creating awareness about child sexual abuse by holding occasional camps in school is a good idea. Most parents don't know what to tell their children about such issues. Schools have to put in some effort to sensitize parents, who further tell children at home. It should be started at the age of two. Children should start talking about their body parts without shame and guilt.

Sushma Rao | CONSULTANT, CHILD AND ADULT PSYCHIATRIST, BGS GLOBAL HOSPITALS

Strict and swift action against perpetrators

It Schools must put in place clear measures to show they are serious about cracking down on child sexual abuse. The accused must not be treated with kid gloves and schools must ensure that children and campuses are completely insulated from such elements. If schools treat abuse complaints against its staffers promptly, it only promotes a culture bereft of fear. Child sexual abuse fiends thrive on fear among children. The accused may not be guilty till proved so, but the school should adopt a zero-tolerance policy.

SEXUAL ABUSE

LISTEN TO US: Young kids drive home a message to the CM

"Existing penal laws should be applied effectively against perpetrators. Investigation should be prompt and sensitive. If needed, special courts should be set up for speedy justice. Whether the perpetrator is convicted or not, society should maintain a distance from him, so he realizes his guilt. If such persons enter politics, society should reject them.

T Madiyal | DG&IGP (RETD)

Schools should conduct checks on all staff

Police verification is not the only form of background check that is required of teachers. Background checks can be done in various ways and are not only pre-recruitment. They can also be done as part of the employee's probationary period. Children should be part of this background check and their anonymous feedback should be taken. Schools must also work with police to ensure there's a ready database of child sexual abuse fiends available.

TEACHERS HISTORY

"It's a must that school authorities have background information on those employees working with children. They may be permanent or contract based. Besides, there should be a centralized database with information about people accused of sexual harassment. If this is missing, child abusers can find jobs in other institutions, which increases their chances of repeating the crime. The Child Protection Policy must be implemented strictly in all schools, residential schools and hostels.

Sindhu Naik | EDUCATIONAL VOLUNTEER

देश भर की गतिविधियां

चाइल्डलाइन ने फरीदकोट में ओपन हाउस का आयोजन किया

फरीदकोट में बच्चों के लिए ओपन हाउस

चाइल्डलाइन टीम को ध्यान से सुनते बच्चे

चाइल्डलाइन फरीदकोट ने बच्चों के लिए फरीदकोट में ओपन हाउस का आयोजन किया। ओपन हाउस ने बच्चों को अपने विचारों को सबके सामने रखने, सुझाव/ प्रतिक्रिया देने के लिए मंच दिया। इस ओपन (खुले), बेहिचक बातचीत ने बच्चों के साथ **चाइल्डलाइन** टीम को बच्चों की समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने में मदद की।

चाइल्डलाइन गुना द्वारा जन्मदिवस समारोह

चाइल्डलाइन गुना ने बच्चों के लिए जन्मदिवस समारोह का आयोजन किया

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, डब्ल्यूसीडी, श्री गोयल और आईसीडीएस प्रोग्राम अधिकारी श्री श्रीवास्तव ने गुना में **चाइल्डलाइन** जन्मदिवस समारोह में हिस्सा लिया।

जिले में १०९८ सेवा के चार साल पूरा होने पर **चाइल्डलाइन गुना** द्वारा आयोजित इस जन्मदिवस समारोह में बच्चों ने खूब मस्ती की।

पीओसीएसओ एक्ट २०१२ और जेजे एक्ट २००० पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

मणिपुर विश्वविद्यालय के नृविज्ञान (एंथ्रोपोलॉजी) विभाग के साथ मिलकर **चाइल्डलाइन इंफाल** ने 'बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ एक्ट २०१२) और किशोर न्याय अधिनियम २००० और इंफाल में **चाइल्डलाइन,** डीसीपीयू और बाल घरों के बीच संपर्क विषय पर एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। संसाधन व्यक्तियों ने किशोर न्याय अधिनियम और पीओसीएसओ एक्ट २०१२ के बीच के फर्क के बारे में बताया।

कोहिमा में बच्चों के लिए ओपन हाउस

बच्चों को उनके विचारों/ सुझावों को व्यक्त करने, अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए मंच प्रदान करने के उद्देश्य से **चाइल्डलाइन कोहिमा** ने बच्चों के लिए कोहिमा के जेल कॉलोनी पंचायत में ओपन हाउस का आयोजन किया।

कोहिमा में ओपन हाउस में बच्चे

द मार्टिन लूथर क्रिस्चियन यूनिवर्सिटी (एमएलसीयू) शिलांग के छात्रों के साथ चाइल्डलाइन कोहिमा की टीम ने 'व्यक्तिगत सुरक्षा नियम– अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श' पर एक प्रहसन प्रस्तुत किया। करीब ८५ बच्चे, २८ व्यस्क जिसमें युवा विंग के नेता और कॉलोनी के परिषद सदस्य भी थे, ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

देश भर की गतिविधियां

देवीपुर में 'विद्यालय चलें, चलाएं अभियान'

देवीपुर में शिक्षा पर जागरुकता कार्यक्रम

देवीपुर में शिक्षा पर जागरुकता कार्यक्रम विद्यालय चलें, चलाएं अभियान के हिस्से के तौर पर जिला प्रशासन के साथ देवघर में

चाइल्डलाइन देवघर ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, देवीपुर में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। छात्रों और उनके माता– पिता के बीच बाल विवाह और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरुक बनाने के लिए **चाइल्डलाइन** की टीम ने बच्चों के साथ मिलकर एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया।

नोएडा में ओपन हाउस

बच्चों की भागीदारी एक और कड़ी नहीं है बल्कि यह **चाइल्डलाइन** के कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं के साथ ही जुड़ी है। चाइल्डलाइन में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए **चाइल्डलाइन नोएडा** ने नोएडा में माला स्मृति होम और साईं .पा होम में बच्चों के लिए ओपन हाउस का आयोजन किया।

नोएडा के ओपन हाउस में बच्चों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया

कटकः जेजे सिस्टम और बाल अधिकारों पर पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यशाला

बाल अधिकारों पर पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यशाला

कटक की कार्यशाला में प्रतिभागी

बल कल्याण समिति, कटक के सहयोग से **चाइल्डलाइन कटक** ने पुलिस कर्मियों के लिए कटक में जिला स्तर की एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एसजेपीयू के सदस्य, पुलिस अधिकारी, मीडिया वाले, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, डीसीपीयू के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कटक के पुलिस उपायुक्त श्री संजीव अरोड़ा, इसमें मुख्य अतिथि थे। सीडब्ल्यूसी, कटक की सदस्य श्रीमति डॉली दास ने सीडब्ल्यूसी की भूमिका और जिम्मेदारियों पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

ओडीशा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील श्री सौरा चंद्र महोपात्रा, ने सत्र की शुरुआत कानून और उसकी प्रासंगिकता के बारे में बता कर की। उन्होंने प्रतिभागियों के सवालों का जवाब भी दिया। कटक के पुलिस उपायुक्त श्री संजीव अरोड़ा ने सभी पुलिस अधिकारियों से चाइल्डलाइन की सभी प्रकार से सहायता करने की अपील की।

देश भर की गतिविधियां

बल यौन शोषण, पीओएससीओ एक्ट और जेजे एक्ट पर कार्यशाला

चाइल्डलाइन ठाणे द्वारा आयोजित, कार्यशाला में डीसीपीयू, डीडब्ल्यूसीडी, एनजीओ के अधिकारी, पीओएससीओ एक्ट २०१२, जेजे एक्ट पर चर्चा

एक दिन की कार्यशाला का आयोजन माथान पुलिस हॉल में किया गया था। इसमें बाल यौन शोषण (सीएसए), बाल यौन अपराध संरक्षण (पीओएससीओ) एक्ट, २०१२, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) एक्ट, २०१२ पर सीडब्ल्यूसी के सदस्य, डीसीपीयू, डीब्ल्यूसीडी के अधिकारी, बाल गृहों के प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाने के लिए बुलाया गया था। कार्यशाला में इन्हें मामलों के निपटारे में कैसे वे मिलकर काम कर सकते हैं, के बारे में भी बताया गया।

डीडब्ल्यूसीडी ठाणे, सलाम बालक ट्रस्ट और प्रेरणा मुंबई के सहयोग से **चाइल्डलाइन ठाणे** द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में १०० से अधिक अधिकारियों शामिल हुए। संसाधन व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन्स) ने बाल यौन शोषण, पीओएससीओ एक्ट, जेजे एक्ट की बुनियादी बातों के जरिए अधिकारियों की रुचि बनाए रखी। ओरिएंटेशन सत्र के साथ कार्यशाला अपने चरम पर पहुंची और इसका समापन संसाधन व्यक्तियों एवं प्रतिभागियों के बीच चर्चा एवं विचारों के आदान– प्रदान के साथ हुआ।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए सुश्री प्रीति पाटकर ने कहा, बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामलों में पीओएससीओ एक्ट महत्वपूर्ण साबित होता है और इसीलिए इस एक्ट और उसके कार्यान्वयन के बारे में जानना हम में से प्रत्येक के लिए अनिवार्य है। सुश्री पाटकर ने एक्ट के रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं पर भी बात की।

इसके बाद सलाम बालक ट्रस्ट के श्री मिलिंद बिडवाई के सहयोग से एनजीओ, सीडब्ल्यूसी और डीडब्ल्यूसीडी के बीच संयुक्त चर्चा हुई। कार्यशाला में पीओएससीओ एक्ट और जेजे एक्ट के कई खंडों और उप– खंडों को समझने की जरूरत पर भी जोर दिया गया।

देश भर की गतिविधियां

चाइल्डलाइन ने इंटरनेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन डे मनाया

१७ मई को इंटरनेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन डे मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के चाइल्ड हेल्पलाइन अपने काम और उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन इंटरनेशनल (सीएचआई) द्वारा घोषित, इंटरनेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन डे चाइल्ड हेल्पलाइनों के लिए वैश्विक समारोह का दिन होता है जब वे बच्चों और युवाओं के संरक्षण एवं सशक्तिकरण की दिशा में किए गए अपने कार्यों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। **चाइल्डलाइन** इंडिया फाउंडेशन ने इस दिन को, १०९८ के बारे में जागरुकता फैलाकर और प्रत्येक बच्चे के लिए हेल्पलाइनों की महत्वपूर्ण भूमिका की तरफ ध्यान आकर्षण कर मनाया।

इस वर्ष भारत भर में **चाइल्डलाइन** द्वारा इंटरनेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन डे बहुत धूमधाम से बनाया गया। इस दिन विभिन्न स्तरों पर कई प्रकारीं गतिविधियां आयोजित की गईं। इन सभी गतिविधियों में जनता के लगातार एवं निस्वार्थ सहयोग और संलग्नता मुख्य बात रही।

राजनंदगांव

चाइल्डलाइन राजनंदगांव ने राजनंदगांव में आश्रय गृह घर के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गईं और बच्चों को लजीज खाना परोसा गया। टीम ने ड्रॉइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। इस अवसर पर आश्रय गृह के बच्चों ने सांस्.तिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।

आयोजन | बालिकाओं ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा

चाईल्ड हेल्प लाइन दिवस मना

अधिकारों की दी जानकारी

बेलारी

बाल अधिकारों पर विशेष कार्यक्रम

चाइल्डलाइन बेलारी ने बीडीडीएस परिसर (कैंपस) में बाल अधिकारों पर विशेष कार्यक्रम के साथ इंटरनेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन डे मनाया। बेलारी जिला न्यायालय की सीजेएम श्रीमति शांता एच ने समारोह का उद्घाटन किया।

लोगों के बीच **चाइल्डलाइन** १०९८ पर जागरुकता फैलाना इस दिन का मुख्य उद्देश्य था। चाइल्डलाइन टीम ने १०९८ सेवा के महत्व और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। बच्चों के लिए रैली, बाल अधिकारों पर शपथ, सांस्.तिक कार्यक्रम, कठपुतली शो का भी आयोजन किया गया।

देश भर की गतिविधियां

बीदर

जिला अधिकारियों के लिए १०९८ पर जागरुकता कार्यक्रम

चाइल्डलाइन १०९८ पर एक जागरुकता कार्यक्रम के साथ **चाइल्डलाइन** ने इंटरनेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन डे मनाया। इस समारोह में सरकारी विभागों के १०० से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

औरद तालुक के तहसीलदार, सीडीपीओ, डीसीपीयू बीडर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों ने इस पहल में सहयोग देने की बात की। कार्यक्रम में हेल्पलाइनों के महत्व पर जोर दिया गया और हेल्पलाइन प्रणाली तंत्र के बारे में बताया गया।

अंतप्पा सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए विशेष दिन

हुमनाबाद के अंतप्पा गवर्मेंट प्राइमरी स्कूल कोचिंग सेंटर के बच्चों के लिए **चाइल्डलाइन** द्वारा आयोजित जागरुकता कार्यक्रम आकर्षक सत्र रहा। कार्यक्रम में 150 से ज्यादा बच्चे सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा बने। **चाइल्डलाइन** की टीम ने बच्चों से बातचीत की और उनके लिए गतिविधियों का आयोजन किया। सत्र के दौरान टीम ने १०९८ सेवा की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। सत्र में टीम और बच्चों की बातचीत के अलावा, बच्चों के लिए खेल और प्रतियोगिताएं भी थीं।

भालकी में स्वयंसेवकों की बैठक

भालकी में **चाइल्डलाइन** ने बुद्ध मंदिर हॉल में स्वयंसेवकों की बैठक कर इंटरनेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन डे मनाया। इसमें भालकी तालुका के अलग– अलग गांवों से ३० से अधिक स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य प्रतिभागियों को १०९८, बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के बारे में जागरुक बनाना था। बीडर के जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी श्री प्रशांत बीरादर ने बैठक की शुरुआत की। सहयोग की अध्यक्ष और सदस्य सुश्री कविता हुशारे ने बाल अधिकारों और कानून के विभिन्न अवधारणाओं के बारे में जानकारी दी।

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ

19 ಮೇ 2015 3

ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ದಿನಾಚರಣೆ

देश भर की गतिविधियां

गुलबर्गा

गुलबर्गा में बाल अधिकारों पर अभियान

नगर निगम, श्रम और पुलिस विभाग के सहयोग से **चाइल्डलाइन गुलबर्गा** ने शहर भर में बाल अधिकारों के लिए एक अभियान चलाया। इस एक दिवसीय अभियान में बहुत सारी गतिविधियां आयोजित की गई जिनका उद्देश्य नगर निगम, श्रम, पुलिस विभाग और आम जनता को १०९८ और बच्चों के लिए दोस्ताना स्थान जिसमें बच्चों के लिए हेल्पलाइन सेवा भी शामिल है, की जरुरत, के बारे में बताना था। अभियान का संदेश बाल अधिकारों की रक्षा में सामूहिक जिम्मेदारी लेना था।

शिमोगा

चाइल्डलाइन अभियान ने १०९८ के बारे में जागरुकता फैलाई

चाइल्डलाइन शिमोगा ने शहर के सार्वजनिक स्थानों पर १०९८ सेवा पर बैनर अभियान चलाया। रैली, बाल अधिकारों पर अभियान जैसी आयोजित की गई अन्य गतिविधियों में बच्चों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

मैसूर

बाल अधिकारों पर नुक्कड़ नाटक

बाल अधिकारों, बाल शोषण एवं पीओसीएसओ एक्ट २०१२ पर जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से **चाइल्डलाइन मैसूर** ने मैसूर में आरटीओ सर्कल एवं सकाउट्स एंड गाइड्स ग्राउंड पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। लोगों ने एक बच्चे के अधिकारों के हनन पर चाइल्डलाइन टीम द्वारा किए गए नाटक के मंचन का लुत्फ उठाया जिसमें उस बच्चे का दूसरे बच्चों के जैसे अपने बचपन का आनंद नहीं ले पाना बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया था। टीम ने लोगों के बीच पैम्फलेट्स भी बांटें और चाइल्डलाइन सेवा के बारे में उन्हें बताया।

मैंगलोर

१०९८ पर कठपुतली शो और आउटरीच

चाइल्डलाइन मैंगलोर ने इंटरनेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन डे के अवसर पर कठपुतली शो के साथ विशाल आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। १०९८ पर जागरुकता फैलाने में ९२.७ बिग एफएम ने **चाइल्डलाइन** का सहयोग किया।

सीआईएफ के एसआरआरसी की सुश्री चित्रा अंचन के साथ **चाइल्डलाइन** मैंगलोर टीम के सदस्य बिग एफएम के आरजे इर्रोल द्वारा होस्ट किए जा रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए

इंटरनेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन डे ने बच्चों के लिए सुरक्षित विश्व के निर्माण में विश्व भर मौजूद हजारों स्वयंसेवकों के कठिन परिश्रम और योगदान का समारोह मनाया। यह दिन लोगों को बच्चों के लिए सुरक्षित और खुशहाल माहौल बनाने हेतु हमारे **चाइल्डलाइन** जैसे संस्थानों की जरुरत समझाने के लिए मनाया जाता है। हालांकि प्रत्येक **चाइल्डलाइन** ने देशभर में अलग-अलग गतिविधियों का आयोजन किया, राष्ट्रीय स्तर पर **चाइल्डलाइन** की सफलता के लिए प्रत्येक टीम द्वारा किए गए प्रयास ने अपना योगदान दिया है और भारत के लाखों बच्चों तक १०९८ को पहुंचाया है।

देश भर की गतिविधियां

ईटानगर में ओपन हाउस

ओपन हाउस में अमर ज्योति स्कूल के बच्चे

बाल अधिकारों और **चाइल्डलाइन** १०९८ सेवा पर बच्चों में जागरुकता पैदा करने के लिए **चाइल्डलाइन ईटानगर** ने चिंपू के अमर ज्योति स्कूल में ओपन हाउस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में बहुत अधिक संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया और उन्होंने **चाइल्डलाइन** टीम के साथ अपनी समस्या/ विचारों को साझा किया।

चाइल्डलाइन कोरापुट

ओडीशा में **चाइल्डलाइन कोरापुट** की शुरुआत **चाइल्डलाइन** टीम द्वारा एक इनहाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ओडीशा के दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्र के पुलिस आईजी, श्री वाई. के. जेठवा आईपीएस ने की। इस अवसर पर फिल्म कोमल दिखाई गई। समारोह में पुलिस आईजी, डीएसपी एचआरपीसी, सीडब्ल्यूसी, डीसीपीओ और मीडियाकर्मी मौजूद थे।

ट्रिंग ट्रिंग.... कोरापुट में **चाइल्डलाइन** सुविधा

स्कूल असेंबली के दौरान फिल्म कोमलः श्रीमति मेनका गांधी

Film on bad touch to bring down crimes

Moushumi Das Gupta
moushumi.gupta@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Centre is looking to curb increasing incidents of sexual offences involving school children by creating awareness through a film offering tips on how to fend off inappropriate touching.

As part of the sensitisation campaign, women and child development (WCD) minister Maneka Gandhi wants government-funded schools across the country to screen the special film during morning assembly.

The film, titled Komal, which tells the story of a little girl who became a victim of sexual abuse by her father's friend, won the national award for best education film.

VISUAL MEDIUM

Women and child development (WCD) minister Maneka Gandhi wants government-funded schools across the country to screen the special film during the morning assembly. The film, titled Komal, tells the story of a little girl who was sexually abused by her father's friend.

"The idea is to make the children aware about the issue without making them uncomfortable. A seven or an eight-year-old needs to be told how to differentiate between a good touch and bad touch and who to reach out to in case they are victimised," Gandhi told HT.

A 2007 WCD ministry study found that more than 53 % children in India have faced some-form of sexual abuse.

To ensure that the message reaches out to a maximum number of school children, Gandhi wrote to human resource development minister Smriti Irani and minority affairs minister Najma Heptulla last week, requesting them to circulate the film in schools under their ministries.

"I would like to draw your attention on the problem of molestation and sexual abuse in school-going children. This abuse is done often by friends ... of parents or teachers and staff in schools. Therefore, there is a need to sensitise the children on what constitutes an 'inappropriate touch' or what is molestation and this needs to be done at an early age of seven-eight years," says the letter to Irani and Heptullah.

बच्चों को बाल सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा नियमों के बारे में बताने के लिए मंत्री, महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्रालय, श्रीमति मेनका गांधी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को अपने मंत्रालयों के अधीन फिल्म कोमल को प्रसारित करने का निर्देश दिया है। संदेश अधिकतम स्कूली बच्चों तक पहुंच सके इसे सुनिश्चित करने के लिए श्रीमति मेनका गांधी ने मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमति स्मृति ईरानी और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री सुश्री नजमा हेपतुल्ला को पत्र लिखकर देश भर के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की असेंबली फिल्म को दिखाने के का निर्देश दिया है।

बाल अधिकारों और १०९८ पर छात्र पुलिस कैडेट्स

चाइल्डलाइन त्रिवेंद्रम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ५० से अधिक छात्र पुलिस कैडेट्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन त्रिवेंद्रम के कट्टेला आवासीय एचएस स्कूल में किया गया था। केरल बाल अधिकार ऑब्जरवेट्री के राज्य समन्वयक श्री एम मनीश नायर, **चाइल्डलाइन** त्रिवेंद्रम के जिला समन्वयक श्री जोबी एपी ने बाल अधिकारों, बाल संरक्षण, बाल कानून और **चाइल्डलाइन** १०९८ पर सत्र लिए। समारोह में ओरिएंटेशन सत्र और चर्चाएं हुईं।

चाइल्डलाइन त्रिवेंद्रम के श्री जोबी ए पी

देश भर की गतिविधियां

चाइल्डलाइन ने अंतरराष्ट्रीय लापता बाल दिवस (इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रेन्स डे) मनाया

हर वर्ष लापता होने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या पता नहीं है। अनुमान प्रति वर्ष ६०,००० से लेकर ९०,००० बच्चों का है। इसका मतलब है प्रत्येक ६ से ८ मिनटों में एक बच्चा लापता हो जाता है। सबसे बुरी बात तो यह है कि लापता होने वाले बच्चों में से करीब ४० फीसदी बच्चे कभी नहीं मिल पाते। बच्चे क्यों 'लापता' हो जाते हैं? ऐसा परिवार/ परिवार से बाहर के सदस्यों द्वारा अपहरण, घर से भाग जाना या परिवार और परिस्थितियों द्वारा घर से भागे जाने को मजबूर किया जाना, कठिन या आक्रामक माहौल, की वजह से होता है। इनमें से कुछ बाल तस्करों के जाल में फंस जाते हैं; और बाकी यू हीं लापता रहते हैं। एक वर्ष में १०९८ को लापता मामलों से संबंधित ५,००० से अधिक फोन कॉल आते हैं और मामले की जानकारी पुलिस को देने, सरकारी निकायों और क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को सचेत किए जाने जैसे काम किए जाते हैं।

हालांकि लापता बच्चों पर हमारे अभियान का एक ही उद्देश्य है– लापता होने वाले बच्चों से संबंधित मुद्दों के प्रति ठोस जागरुकता पैदा करना, स्थानीय स्तर के पहलों का उनके इलाके में मौजूद मुद्दों पर फोकस कराना। अंतरराष्ट्रीय लापता बाल दिवस भारत समेत पूरी दुनिया में २५ मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय लापता बाल दिवस के दिन दुनिया के लोग घर वापस लौटे बच्चों का अभिनंदन करते हैं, अपराध का शिकार हो चुके बच्चों की याद करते हैं और लापता बच्चों की खोज का प्रयास जारी रखते हैं। उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को लापता बच्चों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना और आशा का संदेश फैलाना है।

चाइल्डलाइन भारत की एक मात्र हेल्पलाइन सेवा है जो एक वर्ष में हजारों बच्चों को बचाती और उन्हें उनके परिवारों से मिलाती है, अंतरराष्ट्रीय लापता बाल दिवस जैसे दिन सबसे आगे रहता है। इसका उद्देश्य लापता बच्चों की सूचना देने को प्रोत्साहित करना और लापता मामलों पर और अच्छी कार्रवाई पर जोर देना है। साथ ही कड़े संदेश के साथ उन्हें घर वापस लाना और लोगों को बच्चों के साथ होने वाले अपराध के खिलाफ खड़े होने प्रोत्साहित करना है। इस विषय पर प्रचार करने के प्रयास में चाइल्डलाइन ने एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जिसने लोगों को हमारी टीम के साथ मिलकर लापता बच्चों के मुद्दे पर एक साथ आने को प्रोत्साहित किया।

बैंगलोर

चाइल्डलाइन बैंगलोर ने जारुकता फैलाई

माडिवाला पुलिस, लापता बच्चा ब्यूरो के अधिकारियों, एसजेपीयू के सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के साथ **चाइल्डलाइन बैंगलोर** ने सार्वजनिक स्थानों पर जागरुकता फैलाकर और घर– घर अभियान के माध्यम से बॉम्मनाहाली के गुलबर्गा कॉलोनी, जहां बड़ी संख्या में बच्चे लापता पाए गए, के करीब १२०० परिवारों को कवर करते हुए अंतरराष्ट्रीय लापता बाल दिवस मनाया।

त्रिवेंद्रम

त्रिवेंद्रम में जागरुकता कार्यक्रम

चाइल्डलाइन त्रिवेंद्रम ने सार्वजनिक स्थानों पर अनेक गतिविधियों, श्री चित्रा होम में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर अंतरराष्ट्रीय लापता बाल दिवस मनाया। कार्यक्रमों का शुभारंभ केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्री बाबू ने किया।

देश भर की गतिविधियां

मैंगलोर

बाल अधिकारों पर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए चाइल्डलाइन ने हाथ मिलाया

अंतरराष्ट्रीय लापता बाल दिवस के अवसर पर **चाइल्डलाइन मैंगलोर** को महिला एवं बाल कल्याण विभाग, कानूनी सेवा प्राधिकरण, दक्षिण कन्नड़ जिला; बाल संरक्षण इकाई, युवक मंडल, जप्पिनामोगारु का साथ मिला और सब ने मिल कर आंतरराष्ट्रीय लापता बाल दिवस मनाया। वरिष्ठ सिविल जज, श्री गणेश और दक्षिण कन्नड़ जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने समारोह का शुभारंभ किया।

श्री. गणेश ने लापता बच्चों के मामले में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा , 'बच्चों के लापता होने में माता– पिता भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। वे अक्सर बच्चों पर दबाव डालते

हैं और उन्हें घर से भाग जाने को मजबूर करते हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'माता– पिता को बच्चों की समस्या को समझना चाहिए और उसका इस तरह से समाधान करना चाहिए जिसमें बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे लेकिन ऐसा करते समय बच्चों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहिए।' जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री उमन ए ने कहा, बच्चे कहां से लापता हो रहे हैं, इसके बारे में सोचना अनिवार्य है।

मैंगलोर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री चिंगप्पा, **चाइल्डलाइन** मैंगलोर के निदेशक श्री रानी डिसूजा, बाल विकास परियोजना अधिकारी सुश्री गुलाबी, युवक मंडली के अध्यक्ष श्री दीनेश अंचन, जेप्पीनेरनोगारु और लापता बच्चा ब्यूरो के समन्वयक श्री रविचंद्रन उपस्थित थे।

कोलार

बाल अधिकारों पर कोलार में विशेष कार्यक्रम

तालुक निःशुल्क कानूनी सहायता सेवा, महिला एवं बाल विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला लापता बाल ब्यूरो और केजीएफ एडवोक एसोसिएशन के साथ मिलकर **चाइल्डलाइन कोलार** ने कोलार के केजीएफ एडवोकेट एसोसिएशन हॉल में अंतरराष्ट्रीय लापता बाल दिवस मनाया। वरिष्ठ सिविल जज माननीय श्री सुब्रमणियन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तालुक निः शुल्क कानूनी सहायता सेवा के अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी सदस्य, केजीएफ के अध्यक्ष, सदस्य उपस्थित थे।

देश भर की गतिविधियां

चाइल्डलाइन बीडर द्वारा बाल विवाह पर नुक्कड़ नाटक

बाल विवाह पर ग्रामीणों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से **चाइलडलाइन बीडर** ने बच्चों के साथ बीडर के हमीलापुर गांव में बाल विवाह पर एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। नाटक का उद्देश्य बाल विवाह और शिक्षा के महत्व पर लोगों में जागरुकता बढ़ाना था।

चाइल्डलाइन बीडर ने बाल विवाह पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया।

चाइल्डलाइन ने कन्नूर में पीओसीएसओ एक्ट पर अधिकारियों को जानकारी दी

डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी और आदिवासी विभाग के साथ मिलकर **चाइल्डलाइन कन्नूर** ने पीओसीएसओ एक्ट २०१२ पर एक दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी प्रसारकों, छात्रावास वार्डनों, परामर्शदाताओं को एक साथ लाकर उन्हें पीओसीएसओ एक्ट २०१२ के बारे में जानकारी प्रदान करना और बाल शोषण के मामलों से वे कैसे निपट सकते हैं, के बारे में बताना था।

कन्नूर की नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमति रोशनी घालिद, ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कन्नूर के डीएलओ श्री बेबी कैस्ट्रो, आईटीडीपी के परियोजना अधिकारी श्री मधु ने समारोह को संबोधित किया।

पीओसीएसओ एक्ट पर कन्नूर में प्रशिक्षण कार्यक्रम

पीओएससीओ एक्ट पर कार्यशाला का समापन कन्नूर के सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष मैथ्यू थेल्ली ने और बाल मनोविज्ञान पर दूसरे सत्र का कन्नूर के सीडब्ल्यूसी के सदस्य श्री उमर फारुख ने किया। इसके बाद सीडब्ल्यूसी,

डीसीपीओ के साथ चर्चा की गई और प्रतिभागियों ने अपने विचारों/ चिंताओं को सबके सामने रखा।

हैपी बर्थडे, चाइल्डलाइन बीरभूम

बच्चों ने पार्टी का आनंद लिया

चाइल्डलाइन बीरभूम ने कहानिका शॉर्ट स्टे होम के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। केक काटने के अलावा, बच्चों ने **चाइल्डलाइन** बीरभूम द्वारा आयोजित समारोह के दौरान संगीत और चॉकलेट का भी मजा लिया।

देश भर की गतिविधियां

चुन्नाबारु बोट हाउस में एक मजेदार दिन

चुन्नाबारु बोट हाउस में बच्चे

चाइल्डलाइन पुडुचेरी जब एक आश्रय गृह के ७० बच्चों को चुन्नाबारु बोट हाउस में मस्ती के लिए ले गया तो हर तरफ खुशी का माहौल था। पुडुचेरी पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष ने कार्यक्रम को झंडी दिखा कर रवाना किया और बच्चों ने **चाइल्डलाइन** टीम के साथ बड़ी सी नाव में जीवन रक्षक जैकेट पहन कर पूरा दिन मस्ती किया।

धालाल में चाइल्डलाइन ने १०९८ पर अधिकारियों को जानकारी दी

सीडब्ल्यूसी, सीडीपीओ, आंगनबाड़ी और आशा कर्मचारियों एवं बीडीओ कार्यालय के अन्य कर्मचारियों को जानकारी देने के उद्देश्य से **चाइल्डलाइन धालाल** ने **चाइल्डलाइन** १०९८ पर एक उप–प्रमंडलीय स्तर का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद के शलभाधिपट्टी ने किया जबकि चामानू ब्लॉक के बीडीओ ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। सीडब्ल्यूसी, सीडीपीओ, चामानू के सदस्य, आंगनबाड़ी और आशा कर्मचारियों और बीडीओ कार्यालय के अन्य कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

चाइल्डलाइन कोच्ची के लिए बचाव (रेस्क्यू) वैन– रोटरी क्लब ..... का धन्यवाद

चाइल्डलाइन कोच्ची के लिए खुशखबरी। रोटरी क्लब कला.... ने **चाइल्डलाइन** को परेशान बच्चों तक पहुंचने और टीम को विभिन्न बचाव ऑपरेशनों एवं सार्वजनिक स्थानों पर आउटरीच प्रोग्राम में मदद करने के लिए एक वैन प्रदान की। ३० जून २०१५ को, **चाइल्डलाइन** कोच्ची की

रोटरी जिला गवर्नर से ओमनी वैन प्राप्त करते
डॉ. मैरी वीनस जोसेफ, फ्र. वर्गीज

निदेशक (नोडल) डॉ. मैरी वीनस जोसेफ और डॉन बॉस्को स्नेह भवन के सचिव फ्र. वर्गीज ने रोटरी कर्मकेंद्र..., कोच्ची में रोटरी जिला गवर्नर द्वारा ओमनी वैन प्राप्त की।

कटिहार में बाल अधिकारों पर चित्रकला प्रतियोगिता

बाल अधिकारों के प्रति बच्चों को जागरुक करने के उद्देश्य से **चाइल्डलाइन कटिहार** ने कटिहार में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें करीब ५० बच्चों ने हिस्सा लिया। सभी बच्चों को विभिन्न मुद्दों के बारे में उनकी समझ को कला के माध्यम से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

देश भर की गतिविधियां

बाल अधिकारों और बाल संरक्षण पर आरपीएफ कर्मियों को चाइल्डलाइन राजकोट ने जानकारी दी

सीआईएफ, डब्ल्यूआरआरसी की सुश्री विजयंती ममतोरा ने प्रतिभागियों का परिचय दिया

अधिकारों और बाल संरक्षण पर एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें राजकोट डिविजन के सहायक डिविजनल सुरक्षा आयुक्त श्री उदयवीर सिंह, **चाइल्डलाइन राजकोट** के केंद्र समन्वयक श्री दीपेन भारवाडिया और सीआईएफ के पश्चिमी क्षेत्रीय संसाधन केंद्र की सुश्री विजयंती ममतोरा ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

सिंह, **चाइल्डलाइन** राजकोट के केंद्र समन्वयक श्री दीपेन भारवाडिया और सीआईएफ के पश्चिमी क्षेत्रीय संसाधन केंद्र की सुश्री विजयंती. ममतोरा (दाएं से बाएं) राजकोट में आरपीएफ के लिए प्रशिक्षण में राजकोट डिविजन के सहायक डिविजनल सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ श्री उदयवीर

राजकोट डिविजन के सहायक डिविजनल सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ श्री उदयवीर सिंह ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उनसे **चाइल्डलाइन** के पहलों में सहयोग देने की गुजारिश की। सुश्री विजयंती ममतोरा ने **चाइल्डलाइन** के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया। उन्हें बाल अधिकारों और रेलवे के अधिकारियों के संपर्क में आने वाले बच्चों से बातचीत के तरीके पर बोलना था। रेलवे में बच्चों के भीख मांगने, रेलवे स्टेशन आने वाले बच्चों, प्लेटफॉर्म या ट्रेनों, रेलवे दुर्घटनाओं और अन्य मामलों के लापता बच्चों से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई।

वारंगल में चाइल्डलाइन वैन

वारंगल की जिला कलक्टर श्रीमति वी. करुणा ने वारंगल में **चाइल्डलाइन** वैन को हरी झंडी दिखाई। यह वैन **चाइल्डलाइन** टीम को उनके बचाव कार्यों, किसी बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के काम या सार्वजनिक स्थानों पर **चाइल्डलाइन** के आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी जरूरतों में मदद करेगी। जिले में मोबाइल वैन सेवा के विस्तार के लिए **चाइल्डलाइन वारंगल** को पैसों की मदद सर्व शिक्षा अभियान के तहत मिली है। वारंगल की जिला कलक्टर का धन्यवाद।

ड्रग्स के शिकार बच्चों के लिए विशेष सेवाओं पर कार्यशाला

क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी), नार्थ–।। के साथ मिलकर उत्तर क्षेत्रीय संसाधन केंद्र (एनआरआरसी), सीआईएफ ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ड्रग्स के शिकार बच्चों के लिए विशेष सेवाओं पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में बच्चों में दवा के उपयोग की मात्रा के मूल पहलुओं, मानसिक– सामाजिक हस्तक्षेपों, सड़क पर रहने वाले बच्चों में दवाओं के उपयोग के लिए हस्तक्षेप, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप और **चाइल्डलाइन** के मामलों में इसके महत्व को कवर किया गया।

एनआरआरसी प्रमुख सुश्री हीनू सिंह

प्रशिक्षण का आयोजन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉ. विश्वदीप चटर्जी और सीआईएफ के उत्तर क्षेत्रीय संसाधन केंद्र की प्रमुख सुश्री हीनू सिंह ने किया था। **चाइल्डलाइन** अमृतसर, शिमला, कांगड़ा, जम्मू, सोलन, सिरमौर, गुरुदासपुर, मंडी और लुधियाना से ३० से अधिक प्रतिभागियों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया। कार्यशाला को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एसजेएंडई) एवं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) का समर्थन मिला था।

सीआईएफ बज

'चाइल्डलाइन कॉलिंग.... इज इंडिया लिस्टनिंग ?' चाइल्डनेट वॉल.८

जनवरी २०१२ से दिसंबर २०१३ की अवधि के लिए **'चाइल्डलाइन कॉलिंग.... इज इंडिया लिस्टनिंग?'** चाइल्डनेट डाटा का एक विश्लेषण पेश करता है। यह प्रकाशन चाइल्डनेट द्वारा जनवरी २०१२ से दिसंबर २०१३ की अवधि के दौरान प्राप्त फोन के विश्लेषण पर आधारित है। साल २०१२ में चाइल्डनेट द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल हस्तक्षेप मामलों की संख्या ७३,१२१ और २०१३ के लिए १,०८,३७९ थी। जनवरी २०१२ से दिसंबर २०१२ के बीच **चाइल्डलाइन** ने राष्ट्रीय स्तर पर कुल ३९,०४,२८५ फोन प्राप्त किए जबकि जनवरी २०१३ से दिसंबर २०१३ के बीच यह संख्या ३८,८३,७२२ थी। इसमें २०१२ के २,११,९५० सूचना कॉल्स और २०१३ की २,१२,४५७ सूचना कॉल्स भी शामिल हैं। ये सूचना कॉल **चाइल्डलाइन** और बच्चों से संबंधित उसकी सेवाओं जैसे गोद लेने संबंधी सेवा, वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, बोर्डिंग आवास, बाल दिशानिर्देश क्लिनिक और ऐसे ही अन्य मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए की गईं थीं।

'चाइल्डलाइन कॉलिंग.... इज इंडिया लिस्टनिंग?' प्रकाशन का उद्देश्य फोन कॉल्स की प्र.ति, हस्तक्षेपों की प्र.ति, फोन करने वालों का प्रोफाइल, उनकी हैसियत और भारत में **चाइल्डलाइन** सेवा की स्थिति को दर्शाना है। आंकड़े सेवा के प्रभाव, सेवा के उपयोगकर्ताओं, **चाइल्डलाइन** को फोन करने के कारणों, बच्चों द्वारा शोषण का सामना करने के अनुभवों और **चाइल्डलाइन** द्वारा किस प्रकार के हस्तक्षेप किए जाते हैं, के बारे में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया (फीडबैक) उपलब्ध करते हैं। यह भारत में बच्चों की स्थिति पर और अधिक गहन शोध और विश्लेषण के लिए सामग्री उपलब्ध कराता है। यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि यह प्रकाशन सिर्फ चाइल्डनेट में दर्ज किए गए फोन कॉल से संबंधित हस्तक्षेपों का ही विश्लेषण करता है।

साल २०१२ में **चाइल्डलाइन** को ५,६४,१०७ फोन और साल २०१३ में ५,५९,०७४ फोन कॉल आए जिन्हें साइलेंट कॉल्स के तौर पर वर्गी.त किया गया। ये वैसे फोन कॉल्स थे जहां फोन करने वाले व्यक्ति ने न बोलने का विकल्प चुना था। **चाइल्डलाइन** टीम के सदसें ने सेवाओं के बारे में सूचना देने में सक्रिए भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने फोन करने वाले व्यक्ति (पुरुष/ महिला) को जब भी वे सहज महसूस करें, बोलने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इसी तरह पिछले कुछ वर्षों में, तकनीकी कनेक्टिविटी समस्याओं की वजह से ब्लैंक कॉलों की संख्या बढ़ गई है।

चाइल्डलाइन को साल २०१२ में ५५,३०५ और साल २०१३ में ७९,११३ फोन कॉल्स फॉलो–अप मामलों के लिए किए गए।

जिन बच्चों की सहायता की गई उनके प्रोफाइल

आंकड़े बताते हैं कि **चाइल्डलाइन** की पहुंच बनी

- सबसे अधिक ११ से १५ वर्ष (४४ फीसदी) के आयु वर्ग के बच्चों में
- लड़कों की संख्या (६२ फीसदी) लड़कियों की संख्या (३८ फीसदी) के मुकाबले अधिक थी।

फोन करने वाले (कॉलर) का प्रोफाइल

बतौर आपातकालीन हेल्पलाइन और आउटरीच सेवा के **चाइल्डलाइन** को विभिन्न प्रकार के कॉलरों से फोन आए। आंकड़े बताते हैं कि १२ फीसदी फोन बच्चों ने खुद के लिए या अपने दोस्त के लिए किए, २० फीसदी फोन **चाइल्डलाइन** के सदस्यों ने किए, २५ फीसदी युवाओं ने, १६ फीसदी परिवार के सदस्यों ने, १७ फीसदी संबद्ध प्रणालियों और ४ फीसदी फोन स्वयंसेवी संगठनों के व्यक्तियों द्वारा किए गए।

फोन के स्रोतः

हस्तक्षेप के कुल मामलों में से दोनों ही वर्षों में ५० फीसदी कॉल १०९८ पर मिले। साल २०१२ में **चाइल्डलाइन** टीमों द्वारा आउटरीच गतिविधि के दौरान ३० फीसदी फोन कॉल और २०१३ में २९ फीसदी फोन कॉल प्राप्त किए गए। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के लिए १०९८ पर किए गए सभी फोन कॉल्स में से साल २०१२ में सिर्फ ०.८५ फीसदी फोन कॉल पीसीओ से किए गए। साल २०१३ में यह कम होकर सिर्फ ०.५३ फीसदी रह गया। साल २०१२ में लैंडलाइन से १६ फीसदी और २०१३ में ११ फीसदी (निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लैंडलाइन समेत) फोन किए गए और साल २०१२ में ५२ फीसदी और २०१३ में ५८ फीसदी फोन मोबाइल से किए गए। साल २०१२ में फोन करने वाले व्यक्तियों में १३ फीसदी बच्चे थे जबकि साल २०१३ में यह संख्या घट कर ८ फीसदी रह गई। साल २०१२ में ४४ फीसदी और साल २०१३ में ३६ फीसदी फोन आवासीय इलाकों से किए गए, रेलवे स्टेशनों/घरों से साल २०१२ में ८ फीसदी साल २०१३ में ६ फीसदी फोन आए। सड़कों/ फुटपाथों से साल २०१२ में १२ फीसदी और साल २०१३ में २३ फीसदी फोन आए। पुलिस स्टेशन से साल २०१२ में १२ फीसदी और साल २०१३ में १३ फीसदी फोन आए।

'चाइल्डलाइन कॉलिंग.... इज इंडिया लिस्टनिंग?' प्रकाशन का उद्देश्य फोन कॉल्स की प्र.ति, हस्तक्षेपों की प्र.ति, फोन करने वालों का प्रोफाइल, उनकी हैसियत और भारत में **चाइल्डलाइन** सेवा की स्थिति को दर्शाना है।

सीआईएफ बज

चाइल्डलाइन के संपर्क में बच्चे कैसे आते हैं

नोटः ९१४२ मामलों के लिए सूचना उलब्ध नहीं है।

(Not to scale)

कृपया ग्राफ और उस पर टेक्स्ट लगाएं

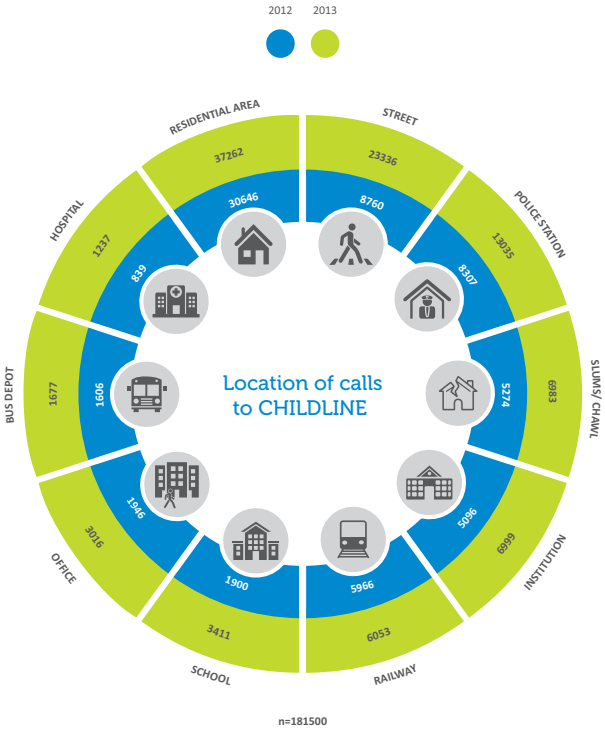

नोटः ८१४८ मामलों के स्थान की जानकारी नहीं है।

(Not to scale)

चाइल्डलाइन को फोन करने वालों का प्रोफाइल

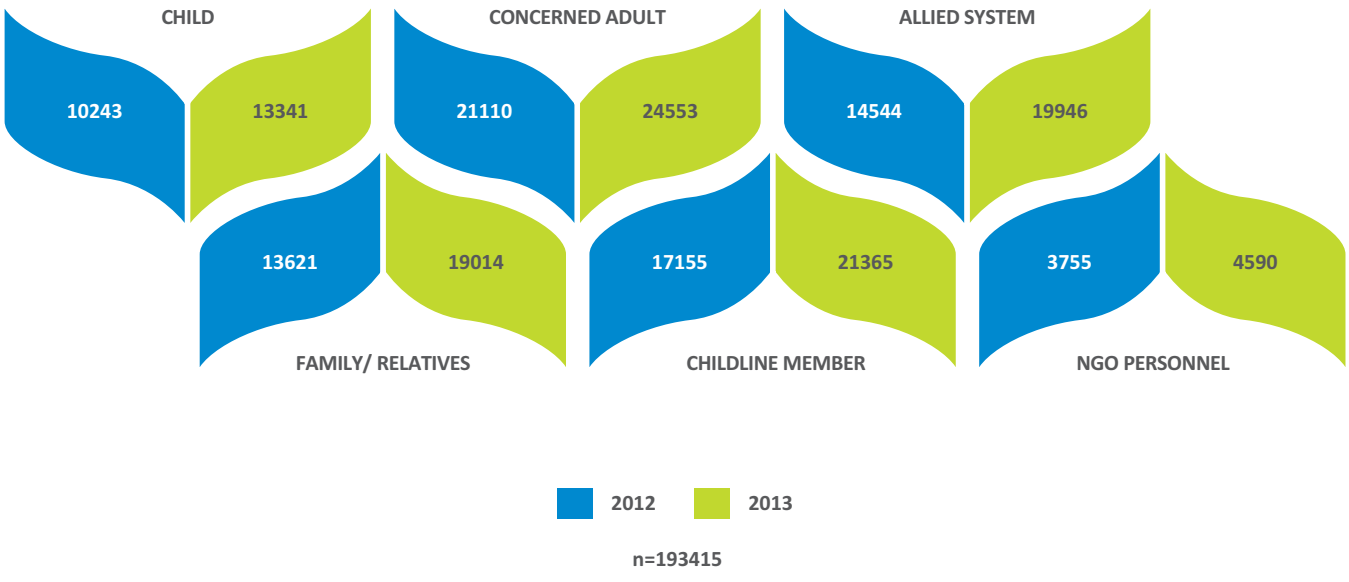

नोटः १०१७८ मामलों में फोन करने वालों का विवरण उपलब्ध नहीं है।

सीआईएफ बज

चाइल्डलाइन के संपर्क में आने वाले बच्चों की शैक्षणिक स्थिति

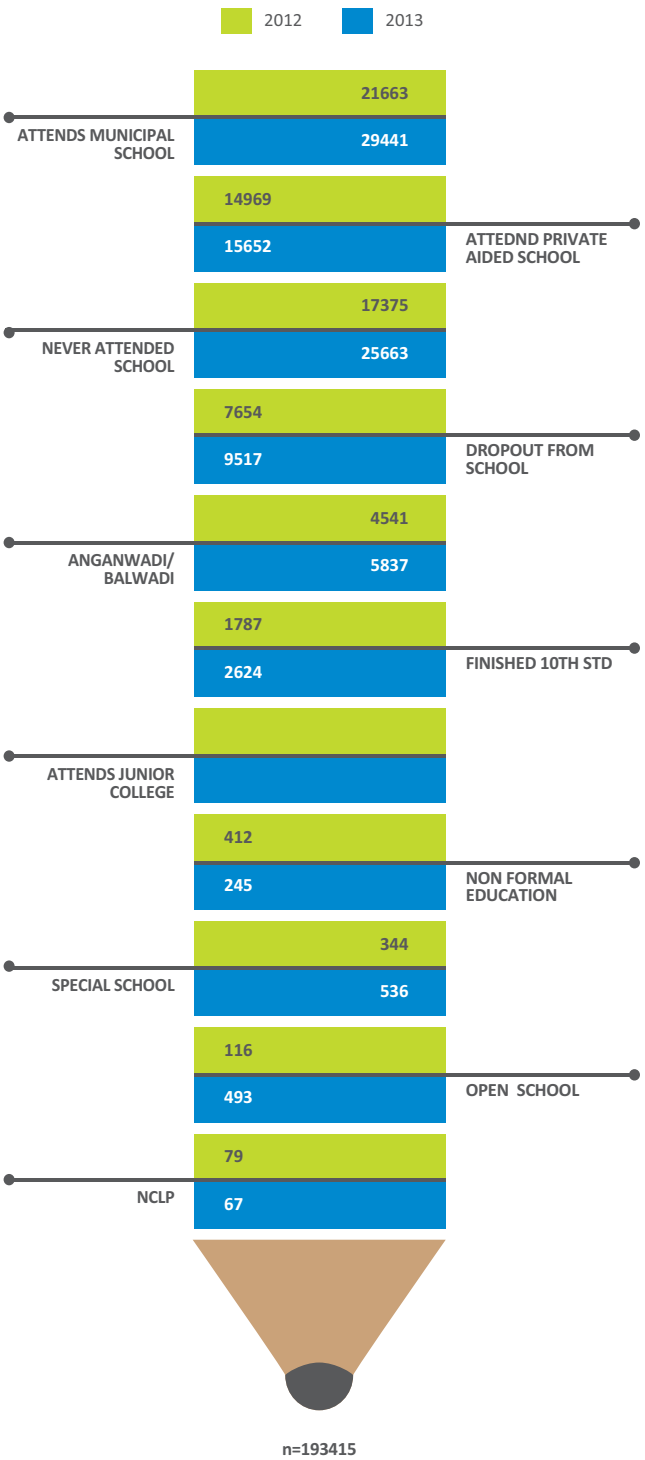

नोटः ३०,८०६ मामलों में बच्चों की शैक्षणिक स्थिति दर्ज नहीं है।

(Not to scale)

अलग-अलग फोन स्रोतों से चाइल्डलाइन को किए गए फोन

(Not to scale)

सीआईएफ बज

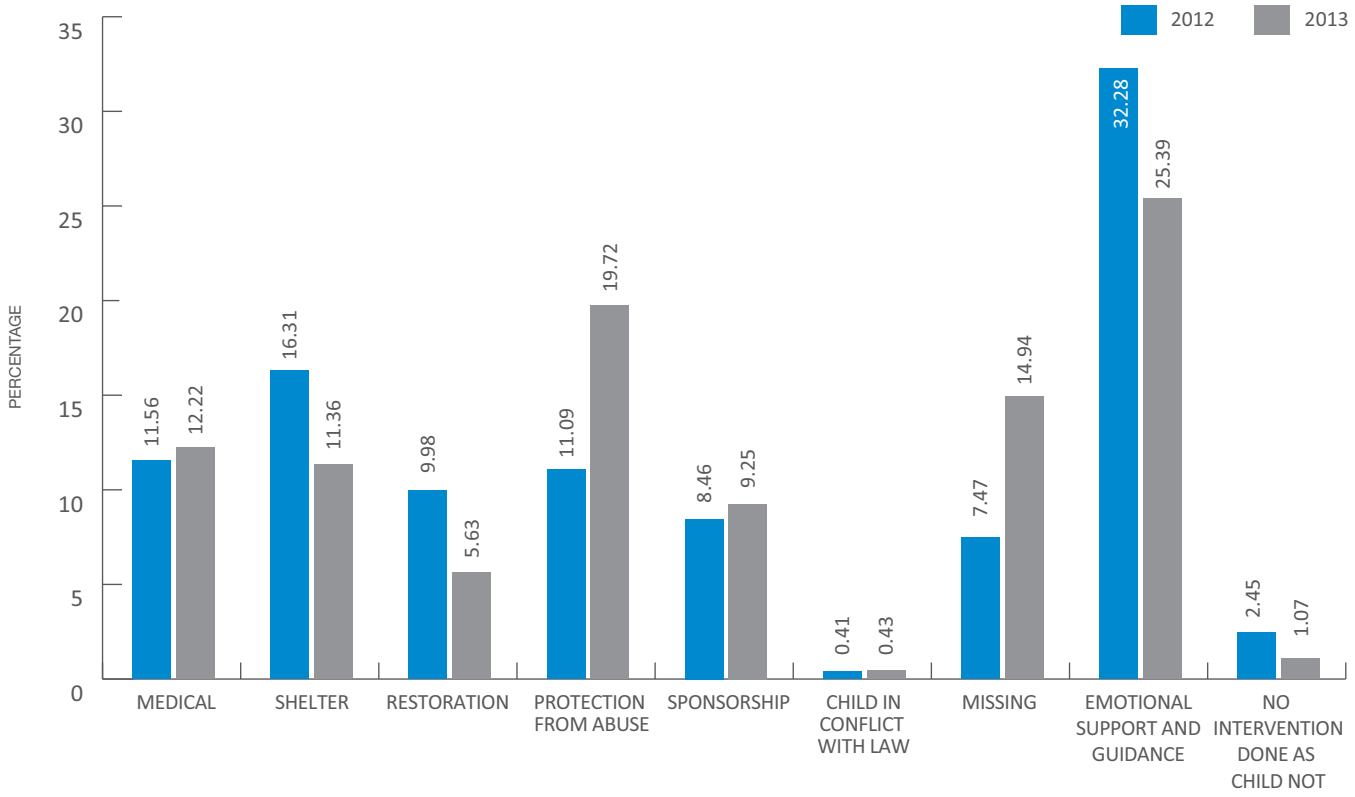

हस्तक्षेप श्रेणी

हस्तक्षेप के मामले

हस्तक्षेप में बच्चों तक पहुंचना, आपात स्थिति में उनकी सहायता करना एवं बच्चों को दीर्घकालिक देखभाल सेवाओं से जोड़ना शामिल होता है। इस प्रकाशन में दिए आंकड़ों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- साल २०१२ में ३२.२८ फीसदी और साल २०१३ में २५.३९ फीसदी के साथ इन दो वर्षों में उपलब्ध कराए गए हस्तक्षेपों में सबसे बड़ी श्रेणी भावनात्मक सहयोग एवं मार्गदर्शन की थी।
- साल २०१२ में ११.५६ फीसदी मामलों और साल २०१३ में १२.२२ फीसदी मामलों में चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई गई।
- शोषण संबंधी हस्तक्षेपों से बचाकर आश्रय और संरक्षण साल २०१२ में १६.३१ फीसदी और साल २०१३ में ११.३६ फीसदी एवं साल २०१२ में ११.०९ फीसदी और साल २०१३ में १९.७२ फीसदी मामलों में उपलब्ध कराए गए।

साल २०१२ की तुलना में २०१३ में मामलों की कुल संख्या में ४८ फीसदी की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक बढ़ोतरी शोषण से बचाव और लापता मामलों में दर्ज की गई। साल २०१२ की तुलना में २०१३ में इनमें क्रमशः १९६ फीसदी और १६४ फीसदी बढ़ोतरी हुई। कुल हस्तक्षेप में इन मामलों की भागीदारी भी २०१३ में बढ़ी और यह क्रमशः करीब ८ फीसदी और ७ फीसदी बढ़ी।

२८.१७ फीसदी के भावनात्मक सहयोग एवं मार्गदर्शन (ईएसएंडजी) हस्तक्षेपों के बाद, शोषण संबंधी हस्तक्षेपों, आश्रय, चिकित्सा और लापता हस्तक्षेपों की संख्या क्रमशः १६.२४ फीसदी, १३.३५ फीसदी, ११.९५ फीसदी और ११.९३ फीसदी रही।

'चाइल्डलाइन कॉलिंग.... इज इंडिया लिस्टनिंग?' पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
http://www.childlineindia.org.in/1098/ChildNET.htm

सीआईएफ बज

सुलभ संस्करणों में चाइल्डलाइन की फिल्में

*रास्ता भटके हुए लोगों की जरुरतों को पूरा करने और बाल अधिकारों, बाल संरक्षण एवं **चाइल्डलाइन** १०९८ के बारे में उनको बताने के लिए सीआईएफ ने बैरियर ब्रेक की मदद से **चाइल्डलाइन** फिल्मों को सुलभ संस्करणों में सफलतापूर्वक विकसित किया है। प्रारूप में कैप्शन, सांकेतिक भाषा व्याख्या और ऑडियो विवरण शामिल है।*

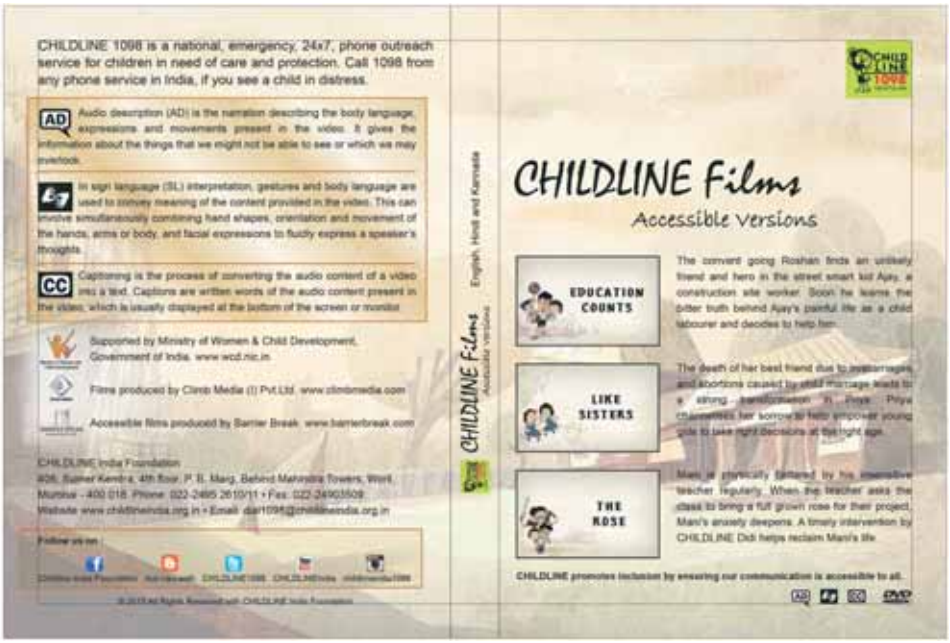

पिछले दो वर्षों से **चाइल्डलाइन** ने भौतिक या विकासात्मक क्षमताओं एवं खराबियों के बावजूद हमारी तरफ से होने वाले महत्वपूर्ण संचार सभी को सुलभ हों, को सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। हमारे वर्तमान और भविष्य के मीडिया तक, सहयोगात्मक तकनीक के जरिए विकलांगों की पहुंच बनाना हमारा लक्ष्य है। किसी भी प्रकार की पहुंच के लिए मूल अवधारणा 'यूनिवर्सल डिजाइन' है जिसका अर्थ है उम्र, क्षमता या स्थिति की परवाह किए बगैर बनाया गया एक ऐसा डिजाइन जिसे हर एक व्यक्ति उसके अधिकतम संभावित स्तर तक उपयोग कर सके। बैरियर ब्रेक में शिल्पी कपूर और उनकी टीम की मदद से **चाइल्डलाइन** ने हमारे एनिमेशन फिल्मों की तीन सुलभ संस्करणों का निर्माण किया है जो २०१२ में लॉन्च किए गए थे और इसमें बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर किया गया है। रोज में शारीरिक दंड, लाइक सिस्टर्स बाल विवाह के बारे में बात करती हैं और एजुकेशनल काउंट्स बाल श्रम के बारे में है।

प्रत्येक सुलभ संस्करण में कैप्शन, सांकेतिक भाषा व्याख्या और ऑडियो विवरण है। इसे कन्नड़, अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में बनाया गया है। फिल्म में कैप्शन का इस्तेमाल संवाद और ध्वनि के लिए किया गया है। जैसे– बजती हुई घंटी की आवाज। यह कान से सुनने में अक्षम (बहरों), सीखने में अक्षम या वैसे बच्चे जिन्हें डिस्लेक्सिया है और एकाग्रता कम सक्रियता (अटेंशन डेफेसिट हाइपरएक्टिविटी) वालों के लिए लाभदायक है।

कैप्शन वाली फिल्मों को सिर्फ संवाद के लिए ही नहीं बल्कि स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले अन्य आवाजों जैसे गुजरती हुई साइकल या बजती हुई घंटी, के लिए भी बनाई गई है। यह सुनने में अक्षम, सीखने में अक्षम और डिस्लेक्सिया और एकाग्रता कम सक्रियता (टेंशन डेफेसिट हाइपरएक्टिविटी) वालों के लिए लाभकारी है।

सांकेतिक भाषा व्याख्या वाली फिल्में सुनने में अक्षम (बहरों) लोगों के लिए भी लाभकारी है क्योंकि इसमें दुभाषिया स्क्रीन के सबसे नीचे दाहिने कोने से पूरी कहानी को भारतीय सांकेतिक भाषा में सुनाएगा।

ऑडियो विवरण के साथ फिल्म देखने में अक्षम लोगों की मदद करेगा जो संवाद तो सुन सकते हैं लेकिन स्क्रीन की पृष्ठभूमि को नहीं देख पाने की वजह से उसके विषयवस्तु को समझ नहीं पाते। इसमें जहां कहीं भी संवाद नहीं है वहां एक दूसरी आवाज पृष्ठभूमि के बारे में व्याख्या करती है– जैसे सेटिंग, वहां कौन है और वैसी चीजों के बारे में जिससे दर्शक को पृष्ठभूमि समझ आ जाए। यह उसे खास .श्य के बारे में पूर्ण तस्वीर समझाने में अधिक मदद करेगा।

सांकेतिक भाषा व्याख्या वाली फिल्में सुनने में अक्षम (बहरों) लोगों के लिए भी लाभकारी है क्योंकि इसमें दुभाषिया स्क्रीन के सबसे नीचे दाहिने कोने से पूरी कहानी को भारतीय सांकेतिक भाषा में सुनाएगा। ऑडियो विवरण नेत्रहीनों की मदद करता है। इसमें जहां कहीं भी संवाद नहीं है वहां एक दूसरी आवाज पृष्ठभूमि के बारे में व्याख्या करती है– जैसे सेटिंग, वहां कौन है और वैसी चीजों के बारे में जिससे दर्शक को पृष्ठभूमि समझ आ जाए। यह उसे खास .श्य के बारे में पूर्ण तस्वीर समझाने में अधिक मदद करेगा। **चाइल्डलाइन** हमारे सभी संचार जिसमें वेबसाइट, ई-न्यूजलेटर्स और ईमेलर्स शामिल है, तक सभी की पहुंच सुनिश्चित कर, अंतर्वेशन को बढ़ावा देता है।

सीआईएफ ने डीवीडी की प्रति.ति बनाने और **चाइल्डलाइन** फिल्मों के सुलभ संस्करणों के डीवीडी की प्रिंटिंग मार्च २०१५ में जारी की थी। इस डीवीडी में ३ फिल्में ३ सुलभ संस्कऱणों के साथ हैं। इसमें फ्रंट जैकेट में फिल्म के नाम की ब्रेल स्टीकर और जैकेट के भीतर फिल्म पर अंग्रेजी/ हिन्दी में एक छोटी ब्रेल नोट भी दी गई है। सीआईएफ के लिए ब्रेल नोट का मुद्रण राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ और स्टीकर का मुद्रण हेलेन केलर इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड एंड डेफ ने किया है।

सीआईएफ बज

सीआईएफ वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन

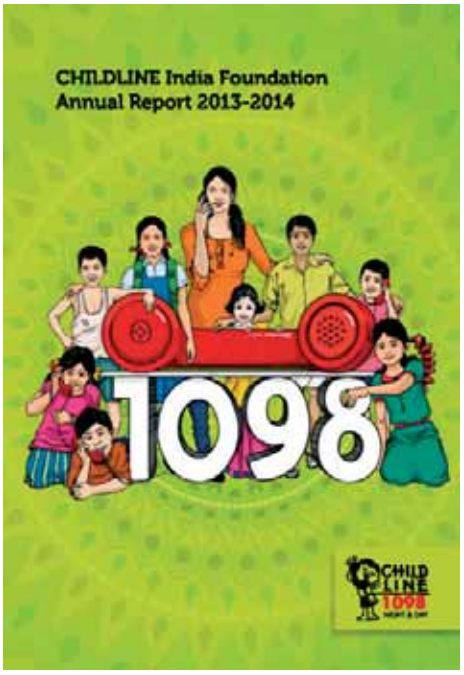

वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें :
http://bit.ly/1g0y3oi

सीआईएफ ईन्यूजलेटर्स का नवीनतम संस्करण

ईन्यूजलेटर्स देखने के लिए यहां क्लिक करें
http://bit.ly/1s2uw8F

सीआईएफ नया आईईसी २०१५

Banner:

Poster:

Standee:

Leaflet:

सीआईएफ बज

सोशल मीडिया अभियान

चाइल्डलाइन सोशल मीडिया अभियान पर संदेश के साथ आई प्लेज फॉर चाइल्ड राइट्स (मैं बाल अधिकारों के लिए शपथ लेता हूं) – १२दिनों तक चलने वाली सोशल मीडिया शपथ कार्यक्रम एवं जागरुकता अभियान को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर **चाइल्डलाइन** सेवाओं के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए २० मार्च से १ अप्रैल २०१५ तक चलाया गया। इस अभियान ने उपयोगकर्ताओं/ फॉलोअर्स को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

अभियान का प्रभाव

फेसबुक समग्र

पेज लाइक्सः २०,०६६
कुल पोस्ट पहुंच (रीच): १४,३७,३५०
पोस्ट वायरल रीचः ३,६७,९६०
कुल पहुंच (टोटल रीच): १५,०४,१६०
पेडः १०,११,३९२
ऑर्गेनिकः ४,९२,७६८

कुल शपथः १३८६ (एप्प के भीतर और बाहर)
संदेशः ३६१
संलग्नताः १,०५,८३७
पोस्ट लाइक्सः ७३२३८
पोस्ट कमेंट्सः ८९१
पोस्ट शेयर्सः ३९९०
पोस्ट क्लिक्सः १,००,४०३

२० मार्च से १ अप्रैल २०१५ के बीच अभियान में **१०५६३७ संलग्नता** दर्ज की गई। इसी अवधि में **पेज लाइक्स में कम – से– कम २०,०८९** – पिछले सप्ताह की तुलना में १,८०५ फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। संलग्नता पैदा करने वाले पोस्ट को **७०.२३ हजार लाइक्स, ८९१ कमेंट्स मिले और ३९९० बार शेयर किए गए।** इस अवधि में कुल पहुंच बढ़ कर **१.४** मिलियन हो गई।

आरएम खबरें

श्रीकाकुलम और नागांव में चाइल्डलाइन रेस्क्यू वैन की शुरुआत के लिए टाटा कम्युनिकेशंस ने चाइल्डलाइन के साथ हाथ मिलाया

भारत भर के ३०० से ज्यादा शहरों में अपनी उपस्थिति के साथ **चाइल्डलाइन** १०९८ सेवा पिछले कुछ वर्षों से लगातार आगे बढ़ रही है। प्रत्येक कस्बे, जिले और शहर में लाखों बच्चों तक पहुंचने की वजह से हमारे आगे बढ़ने के साथ हमारा काम और अधिक चुनौतियों से भर जाता है। **चाइल्डलाइन** रेस्क्यू वैन के मिलने से हम बच्चों तक समय पर पहुंच कर बचाव और पुनर्वास का काम और अच्छी तरह से कर पाएंगे।

१०९८ सेवा के लिए पूरक उपकरण के तौर पर टाटा कम्युनिकेशंस ने **चाइल्डलाइन** टीम को बच्चों को बचाने, किसी बच्चे को अस्पताल पहुंचाने या सार्वजनिक स्थानों पर आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन में सहूलियत के लिए वाहन उपलब्ध कराने के लिए **चाइल्डलाइन** के साथ समझौता किया है। हाल ही में ऐसे २ बचाव वैनों का शुभारंभ आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम और आसाम के नागांव में किया गया।

श्रीकाकुलम, आंध्रप्रदेश

श्रीकाकुलम में बैनरों से सजी **चाइल्डलाइन** रेस्क्यू वैन

रेस्क्यू वैन का शुभारंभ संयुक्त कलेक्टर श्री विवके यादव, आईएएस, पुलिस सुप्रिटेंडेंट, आईपीएस, श्री ए.एस.खान, श्रीकाकुलम के अतिरिक्त संयुक्त कलेक्टर श्री पी. रजनी कांत की उपस्थिति में जिला कलेक्टर डॉ. पी. लक्ष्मीनरसिम्हा ने गणतंत्र दिवस परेद के दौरान २६ जनवरी २०१५ को किया था। इस दिन को मनाने के लिए चाइल्डलाइन श्रीकाकुलम ने आम जनता के बीच १०९८ के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए एक **चाइल्डलाइन** स्टॉल लगाया था।

विभिन्न स्कूलों के बच्चों समेत करीब १०,००० लोग यहां उपस्थित थे और उन्होंने **चाइल्डलाइन** से सबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। रेक्स्यू वैन का शुभारंभ रैली के साथ किया गया। जिला कलेक्टर और अन्य गणमान्य अतिथियों ने **चाइल्डलाइन** स्टॉल का दौरा किया और टीम के साथ बात–चीत की। लाइन विभागों के सभी जिला अधिकारियों ने **चाइल्डलाइन** को हर संभव सहायता का वादा किया और बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने में मदद करने वाली रेस्क्यू वैन के लिए टीम को बधाई दी।

*Resource Mobilisation

आरएम खबरें

नागांव, आसाम

नागांव में **चाइल्डलाइन** रेस्क्यू वैन को झंडी दिखाकर रवाना करतीं श्रीमति मोनालिसा गोस्वामी

उप–आयुक्त, आईएएस, श्रीमति मोनालिसा गोस्वामी ने नागांव अदालत परिसर में **चाइल्डलाइन** वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने **चाइल्डलाइन** नागांव को मुश्किल हालातों में फंसे बच्चों की मदद के लिए धन्यवाद दिया। इसके अलावा उन्होंने समाज से पूर्ण सहयोग देने और किसी जरुरत मंद बच्चे को देखने पर १०९८ पर फोन करने की गुजारिश की।

श्रीमति गोस्वामी ने हस्तक्षेप के मामलों समेत **चाइल्डलाइन** के पहलों में जिला प्रशासन द्वारा लगातार समर्थन दिए जाने की भी बात कही। कार्यक्रम में राज्य बाल गृह के सुप्रिटेंडेंट, स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक, आईसीडीएल सेल के अदीन संभागीय कार्यक्रम अधिकारी, स्कूलों के निरीक्षक, सहायक श्रम आयुक्त, नागांव बार एसोसिएशन के कुछ वकील और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष श्री चिदानंद नाथ भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन **चाइल्डलाइन** टीम द्वारा धन्यावद के साथ किया गया।

टाटापावर एम्पलॉइई गिविंग कैंपेन

१२ और १३ मार्च २०१५ को टाटा पावर के परिसर में दो दिनों का एम्पलॉइई गिविंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टाटा पावर की सीएसआर यूनिट ने **चाइल्डलाइन** इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर टाटा स्वयंसेवा सप्ताह में शपथ के साथ कामना वृक्ष (विश ट्री) रखा। कामना वृक्ष (विश ट्री) ने कर्मचारियों को बाल अधिकारों के लिए योगदान देने में सक्षम बनाया। प्रदर्शन क्षेत्र में कर्मचारियों के आने के बाद **चाइल्डलाइन** इंडिया फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने **चाइल्डलाइन** के ब्रोशर बांटे और **चाइल्डलाइन** १०९८ सेवा के बारे में बताने के लिए कर्मचारियों से उन्होंने खुद बातचीत की।

*Resource Mobilisation

आरएम खबरें

मुंबई में लड़कों के लिए वाईएमसीए के आश्रय घर में टाटा एआईजी का एम्पलॉइई इंगेजमेंट प्रोग्राम

टाटा एआईजी के एम्पलॉइई इंगेजमेंट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर टाटा एआईजी से १५ स्वयंसेवकों की टीम ने २८ मार्च २०१५ को अंधेरी में वाईएमसीए बॉई होम्स में एक पूरा दिन बिताया। दिन की शुरुआत टीम द्वारा बच्चों के साथ बातचीत से हुआ और फिर टीम ने बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, कविता पाठ, एकल नृत्य और गायन गतिविधियों का आयोजन किया।

मस्ती से भरी गतिविधियों में करीब ६० बच्चों ने हिस्सा लिया और उन्होंने स्वयंसेवकों के साथ खूब मस्ती की। प्रत्येक बच्चे को मोमेंटो के तौर पर **चाइल्डलाइन** – कमीज दी गई जबकि टाटा एआईजी के स्वयंसेवकों ने बच्चों के लाभ के लिए खेल सामग्रियां दीं। बच्चों के लिए कार्यक्रम को आनंददायक बनाने के लिए हम टाटा एआईजी के सभी स्वयंसेवकों को धन्यवाद देते हैं।

*Resource Mobilisation

सीसैप (CSAAP) खबरें

मुंबईः CSAAP कार्यशाला ने २९ स्वयंसेवकों के एक और बैच को प्रशिक्षित किया

सीआईएफ के बाल यौन शोषण जागरुकता कार्यक्रम (CSAAP) द्वारा आयोजित स्वयंसेवक प्रशिक्षण कार्यशाला में अलग– अलग क्षेत्रों के २९ स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। इस दो दिवसीय कार्यशाला में छात्रों, माताओं और कामकाजी पेशेवरों ने हिस्सा लिया जबकि बचाव कर्मियों ने उन्हें सीएसए के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई।

यह दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला युवा मारिया क्रिस्चियन एसोसिएशन (वाईएमसीए) में आयोजित की गई थी जिसका उद्देश्य सभी स्वयंसेवकों को सीएसए से संबंधित मामलों (जानकारियों) को संक्षेप में बताना और स्कूलों में बच्चों को संवेदनशील बनाने के कार्य हेतु तैयार करने केलिए व्यवहारिक संचार कौशलों को उपलब्ध कराना था।

कार्यशाला का शुभारंभ सीआईएफ के संचार एवं रणीति पहलों के प्रमुख श्री निशित कुमार ने प्रतिभागियों को 'बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार (सीपीसीआर)' के बारे में संबोधित करते हुए किया। उन्होंने प्रतिभागियों को सीआईएफ के बारे में संक्षेप में बताया और 'अधिकारों' खासतौर पर बाल अधिकारों की अवधारणा को विस्तार से समझाया। इसके अलावा उन्होंने सीआईएफ द्वारा निपटाए जाने वाले बाल यौन शोषण के मामलों के वर्तमान आंकड़ों को पेश किया और बताया कि कैसे इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है।

अगला सत्र सुश्री काव्यल सदानी, प्रशिक्षक, थेरेपिस्ट ने लिया– उन्होंने रुप–रंग, पहला प्रभाव, शारीरिक हाव–भाव, आवाज के सुर, हाथों के इस्तेमाल और जगह आदि के बारे में प्रतिभागियों के लिए नियोजित गतिविधि के साथ समझाया। इस गतिविधि के जरिए उन्होंने प्रतिभागियों को सक्रिए और पूरे समय सजग बनाए रखा। प्रतिभागियों को समूहों में बांट दिया गया और प्रत्येक समूह को एक परी–कथा दे दी गई। उन्हें कहानी के अंत/ पराकाष्ठा को बदलते हुए परी– कथा का अभिनय करना था। उद्देश्य अज्ञात दर्शकों के सामने प्रस्तुति देते समय प्रत्येक प्रतिभागी के आवाज के सुर का मूल्यांकन करना था।

संचार कौशलों पर यह सत्र कुल पांच घटों (बीच में एक घंटे के भोजनावकाश के साथ) में समाप्त हुआ और इसके खत्म होने पर प्रतिभागी स्कूलों में CSAAP सत्र के आयोजन करने में सक्षम हो चुके थे।

दूसरे दिन की कार्यशाला सत्र की शुरुआत श्री निशित कुमार द्वारा पीओसीएसओ एक्ट २०१२ पर जानकारी देने के साथ हुई। उन्होंने बाल यौन शोषण के कानूनी पहलुओं, बिल का मसौदा कैसे तैयार किया गया, कब यह कानून बना, यह क्यों कानून बना आदि पर बात की। इसके बाद द फाउंडेशन की निदेशक सुश्री सुचिश्मिता बोस का सत्र चला। सुश्री बोस ने अपने सत्र की शुरुआत सीएसए क्या है, उसकी परिभाषा, प्रकार, मिथक आदि पर संक्षिप्त व्याख्या के साथ की।

*Child Sexual Abuse Awareness Program

सीसैप (CSAAP) खबरें

दोपहर के खाने के बाद, सुश्री बोस ने सीएसए के अन्य पहलुओं ; बाल यौन शोषण की पहचान कैसे करें, अगर कोई बच्चा यौन शोषण के बारे में बताता है तो क्या करें, आदि के बारे में बताया। तस्वीरों और वीडियो का उपयोग कर सुश्री बोस ने बाल यौन शोषण के सभी सैद्धांतिक पहलुओं को कवर किया। उन्होंने वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में भी बताया। सत्र के समाप्त होने तक, ज्यादातर स्वयंसेवक जागरुक रहने और बाल यौन शोषण जैसे विषय जिसपर समाज में बहुत कम बातचीत की जाती है, के महत्व को समझ चुके थे। साथ ही उनका कहना था कि अगर वे इस कार्यशाला में नहीं आते तो वे सीएसए के तथ्यों के बारे में नहीं जान पाते और न ही उसे जानने की कोशिश करते।

सत्र के आखिर में CSAAP टीम ने सभी तकनीकी पहलुओं के बारे में स्वयंसेवकों को संक्षिप्त जानकारी दी और नेकी के इस काम में साथ मिलकर काम करने के लिए सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया। दो दिनों की इस कार्यशाला में भारत में बाल अधिकारों, बाल यौन शोषण के विभिन्न घटकों और प्रबावों, बच्चों की रक्षा करने वाले कानूनों और स्कूलों में इस कार्यक्रम के संचालन के लिए आवश्यक संचार कौशलों, की जानकारी पर जोर दिया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य प्रत्येक स्वयंसेवक को सीएसए से संबंधित मामलों (ज्ञान) पर संक्षिप्त जानकारी देना और स्कूलों में बच्चों को संवेदनशील बनाने हेतु व्यवहारिक संचार कौशलों को उपलब्ध कराना था।

सुरक्षित स्पर्श एवं व्यक्तिगत सुरक्षा नियमों पर कार्यशाला

विकलांग बच्चों को बाल अधिकारों और बाल सुरक्षा के प्रति संवदेनशील बनाने के लिए **चाइल्डलाइन** के बाल यौन शोषण जागरुकता कार्यक्रम (CSAAP) की टीम ने इनर व्हील क्लब बॉम्बे अंधेरी ईस्ट के साथ मिलकर..... स्कूल में विकलांग बच्चों के लिए एक जागरुकता सत्र का आयोजन किया। इसमें सुरक्षित स्पर्श, असुरक्षित स्पर्श एवं व्यक्तिगत सुरक्षा नियमों जैसे विषयों के बारे में उनको जानकारी दी गई। सीएसए जागरुकता कार्यक्रम के हिस्सा के तौर पर कार्यशाला का उद्देश्य सभी बच्चों को संवेदनशील बनाने के साथ– साथ माता– पिता, शिक्षकों और अन्य देखभाल करने वालों के बीच भी जागरुकता फैलना था। इसके अलावा बच्चों में अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बीच फर्क समझाने की जिम्मेदारी में समाज को भी शामिल करना था।

*Child Sexual Abuse Awareness Program

सीसीसी समाचार

विस्तार मोड में चाइल्डलाइन कॉन्टैक्ट सेंटर (संपर्क केंद्र– सीसीसी)

(राजारहाट) कोलकाता, (थोराईपक्कम) चेन्नई, (गोरेगांव) मुंबई में सीसीसी खुला और दिल्ली में शुरु होने वाला है।

चाइल्डलाइन सेवा को देश के हर एक हिस्से में पहुंचने की जरुरत है। दक्षता में सुधार के लिए **चाइल्डलाइन** परंपरागत तकनीक के साथ कॉल सेंटर के आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है ताकि फोन प्रबंधन और दस्तावेजीकरण के लिए अधिक प्रणालीबद्ध .ष्टिकोण उपलब्ध करा सकते। प्रत्येक पीड़ित बच्चे की आवाज हमारे पास १०९८ पर किए गए फोन को निर्देशित करने वाली केंद्रीय सुविधा – **चाइल्डलाइन** कॉन्टैक्ट सेंटर (सीसीसी) के जरिए पहुंचती है।

चाइल्डलाइन कॉन्टैक्ट सेंटर (सीसीसी) २४ घंटे काम करने वाली **चाइल्डलाइन** की वॉयस रेस्पॉन्स सुविधा है जो आधुनिक व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) सुविधा से चलती है। सीसीसी राष्ट्रीय स्तर पर जरुरतमंद बच्चों के लिए २४ ७ फोन कॉल्स के जवाब देती है और सुनिश्चित करती है कि उन्हें स्थानीय स्तर पर भागिदारों से मदद उपलब्ध हो और कॉल प्रतिक्रिया के लिए स्क्रिप्टिंग. भाषा, हस्तक्षेप से लिंकेज के साथ कंटेट जैसे हस्तक्षेप इकाईयां और मामले का दस्तावेजीकरण के साथ एकी.त प्रणाली पर १०९८ फोन कॉल्स के लिए २४ घंटे मदद करती है।

सीसीसी में सीआईएफ के कर्मचारी होते हैं और तकनीक/बुनियादी ढांचा टीसीएस मुहैया कराती है। साल २०१४–१५ में सीसीसी ने उत्तर और पश्चिम क्षेत्र की मौजूदा कवरेज में विस्तार किया और इसे दक्षिण और पूर्व क्षेत्र तक पहुंचाया।

विस्तार से पहले सीसीसी मुंबई में १८ सीटों के साथ एक स्थान से संचालित किया जा रहा था। विस्तार के बादः सभी क्षेत्रों में ८० सीटों के साथ पूर्ण कालिक (२४ घंटे) संचालन। सीटें चार स्थानों में बटीं हैंः **मुंबई** (२ स्थानों पर) उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों के लिए सेवाएं देती है, **चेन्नई** दक्षिण क्षेत्र और **कोलकाता** पूर्वी इलाकों में सेवाएं देता है।

विस्तार मॉडल

- दूरदराज के प्राथमिक डाटा सेंटर (मुंबई) और अलग– अलग शहरों (चेन्नई) में आपदा बैकअप सेकेंडरी डाटा सेंटर।
- डाटा सेंटर सीआरएम सॉटवेयर सर्वर, कॉल रिकॉर्डिंग सर्वर, जेनेसिस प्लेटफॉर्म सर्वर, डाटा बैकअप सर्वर को होस्ट करेगा।
- प्रत्येक शहर में टीसीएस सुविधाओं पर सीसीसी स्थान को एमपीएलएस क्लाउड कनेक्टिविटी के जरिए डाटा सेंटर से जोड़ा जाएगा।
- वेंडर हैंः होस्टेड सॉल्यूशन मॉडल के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) (डाटा सेंटर और एमपीएलएस कनेक्टिविटी) और प्रत्येक शहर में सीसीसी सुविधा के लिए और सीआरएम सॉटवेयर के लिए तलिस्मा ।

विस्तार स्थिति

प्राथमिक डाटा केंद्र स्थापित हो चुका है और सेकेंडरी डाटा सेंटर का परीक्षण जारी है।

सीसीसी का शुभारंभ इस प्रकार हुआः

मुंबईः गोरेगांव (एनईएससीओ) में अतिरिक्त १२ सीटें

२९ अक्टूबर, २०१४ तो सीसीसी गोरेगांव का शुभारंभ

चेन्नईः थोरलपक्कम में १८ सीटें (टीक टावर)

११ नवंबर, २०१४ को चेन्नई में सीसीसी का शुभारंभ

कोलकाताः न्यू टाउन, राजारहाट(ईको स्पेस) १२ सीटें

१५, दिसंबर २०१४ को कोलकाता में सीसीसी का शुभारंभ

सीसीसी समाचार

कर्मचारी:
१.मुंबई: दोनों स्थानों पर ८०
२.चेन्नई: ६५
३.कोलकाता: ४५

परिवर्तन के लिए चाइल्डलाइन भागीदारों की बैठक:
१.चेन्नई: ७/८ जुलाई को सभी दक्षिणी राज्यों के भागीदारों के लिए पूरा किया।
२.कोलकाता: पूर्व/ उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के लिए २४, २५ और २८ सितंबर को पूरा किया।

कवरेज:
१. मुंबई सीसीसी: उत्तर और पश्चिम के सभी इलाके: जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब , हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई।
२. चेन्नई सीसीसी: दक्षिण के सभी पांच राज्य: तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी
३. कोलकाता सीसीसी: पूर्व के सभी राज्य: प. बंगाल, ओडीशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नगालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान।

सीसीसी स्नैपशॉट (३१ मार्च २०१५ तक)

संकेतक	संख्या
सीसीसी साइट्स की संख्या	४
सीटों की संख्या	६०
कवर किए गए चाइल्डलाइन स्थानों की संख्या	३१७
इनकमिंग लाइनों की संख्या	२१०
कवरेज	पूरे देश में

(जुलाई २०१५ में , सीटों की कुल संख्या ८२ थी)

क्षेत्र/ सीसीसी	फोन कॉल्स जिनके जवाब दिए गए	फोन कॉल्स की कुल संख्या
मुंबई (उत्तर/ पश्चिम)	२५५९७४१	२९८९६९२
चेन्नई (दक्षिण) (१० नवंबर २०१४ से)	६६२५४९	९१५४२९
कोलकाता (पूर्व) (१६ दिसंबर २०१४ से)	२६५२३५	३२८५८७
कुल सीसीसी २०१४	१५३४८७५२५	४२३३७०८

CCC 2014-15

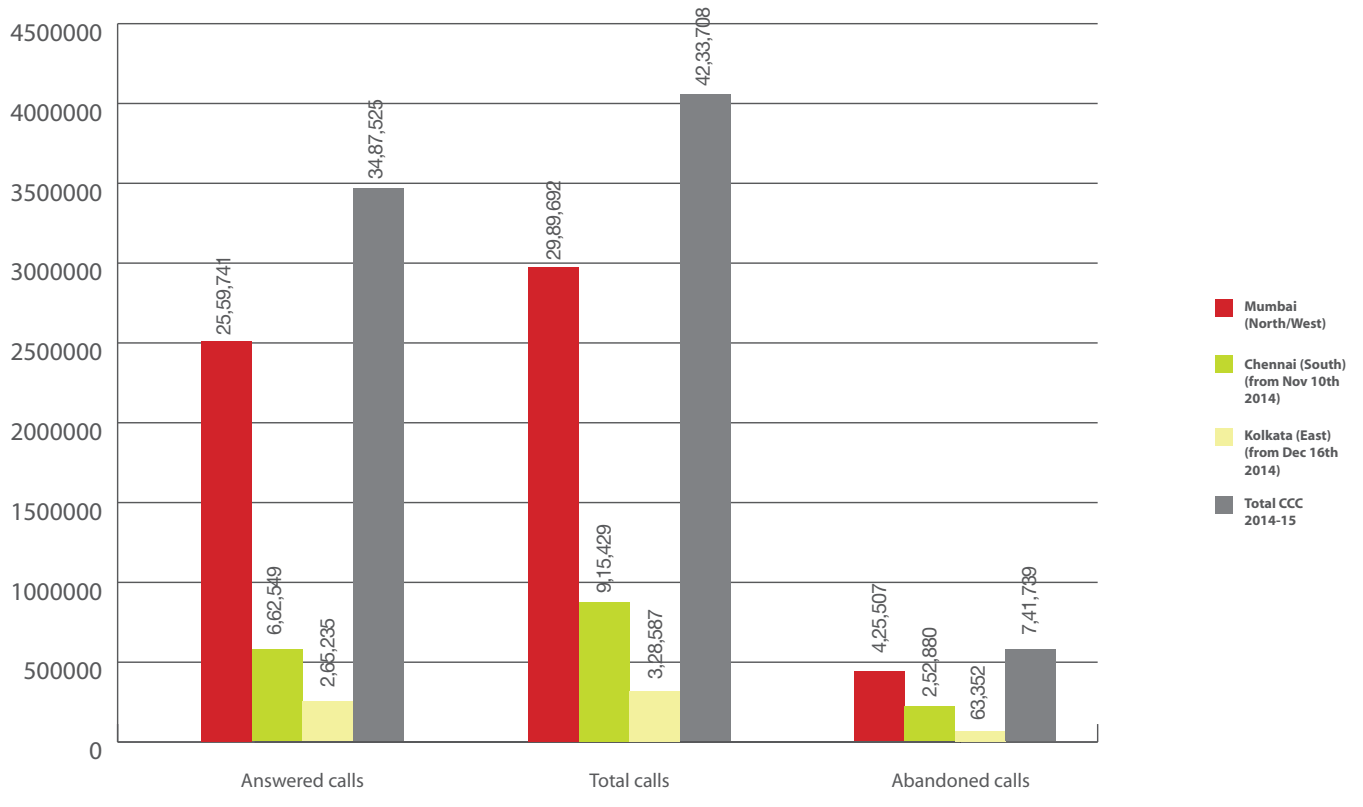

सीसीसी समाचार

हस्तक्षेप के मामले २०१४–१५

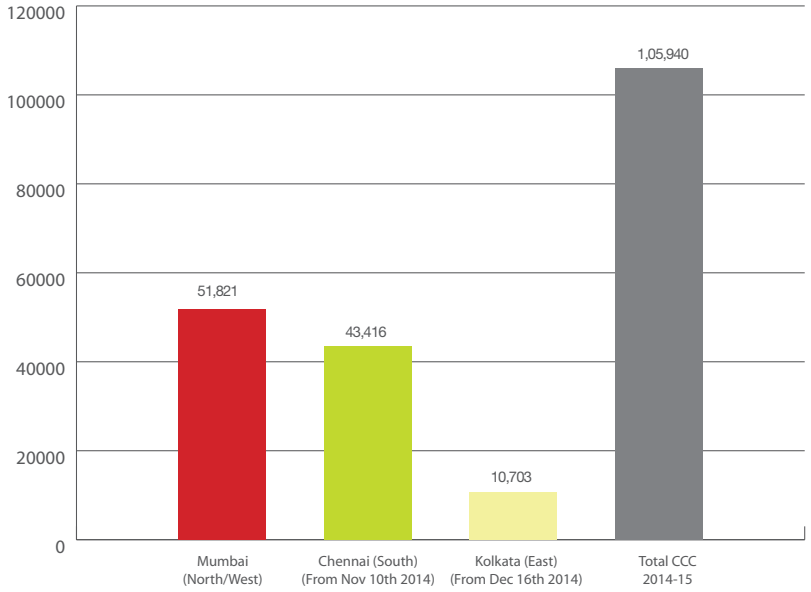

दक्षिण और पूर्व में सीसीसी का प्रभाव (२०१३–१४ बनाम २०१४–१५)

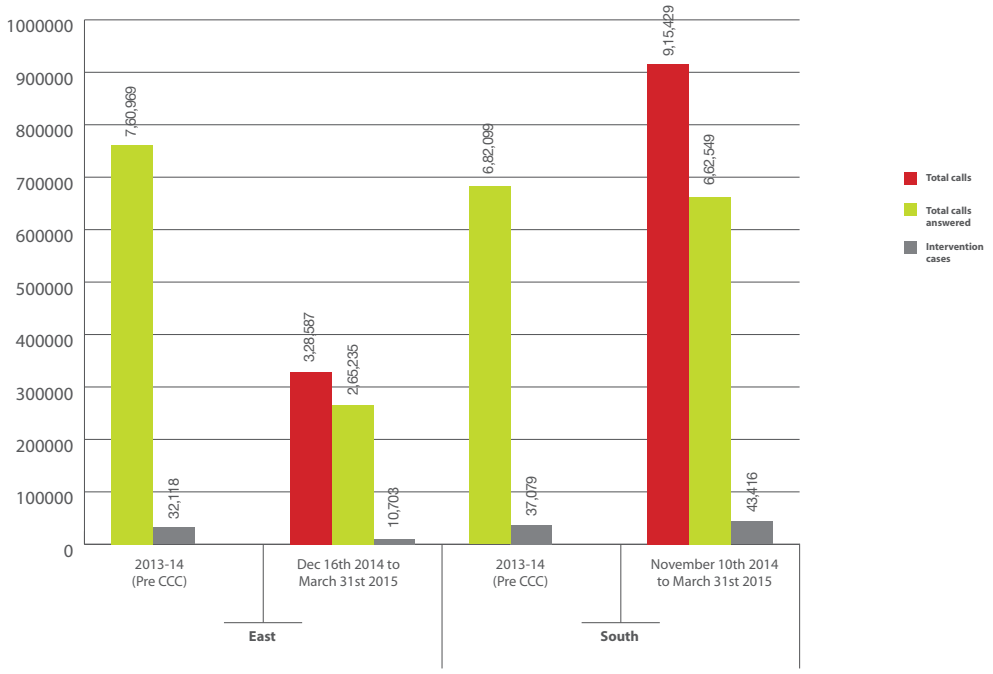

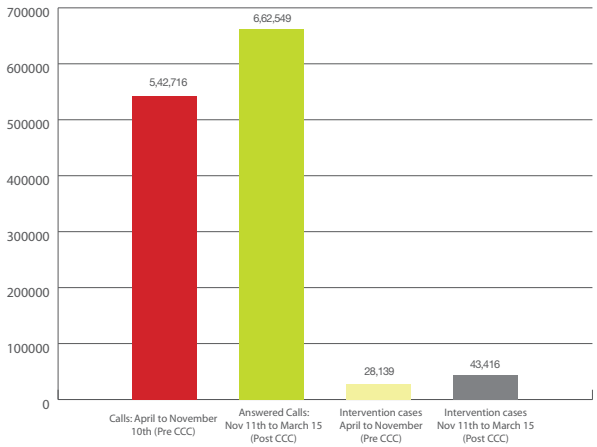

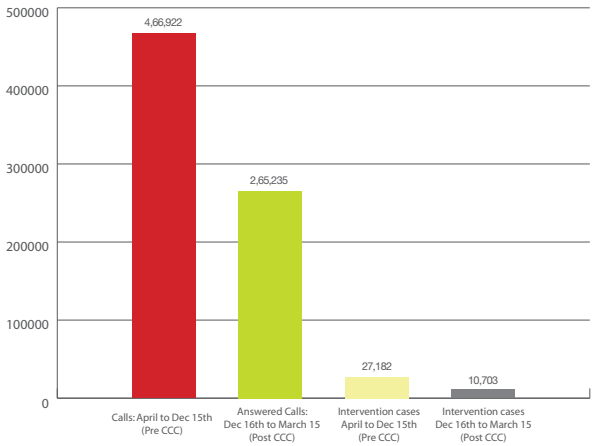

समाचारों की झलकियाँ

लाइव मिंट– जब सरकार और नागरिक समाज ने मिलकर काम किया

सरकार की उपस्थिति ने हमें सरकार द्वारा संचालित अन्य संस्थान जैसे अस्पताल, रेलवे, पुलिस तक पहुंचने में मदद की जिसकी वजह से अंततः बच्चों के पुनर्वास में मदद मिली। **–निशित कुमार, प्रमुख, संचार एवं रणनीति पहल, सीआईएफ**

कृप्या पूरी कहानी यहां पढ़ें:
http://www.livemint.com/Politics/DCRqCeXLVWHW4Ti0nDuvAM/When-govts-and-civil-society-work-together.html

अमृता टीवी– टॉक शो 'मलयाली दरबार' में चाइल्डलाइन

चाइल्डलाइन त्रिवेंद्रम के जिला समन्यवयक श्री जोबी ए पी ने अमृता टीवी पर अभिनेता मणियनपिल्ला राजू द्वारा होस्ट किया जाने वाला एक लोकप्रिय पारिवारिक चैट शो 'मलयाली दरबार' में हिस्सा लिया। श्री जोबी ने **चाइल्डलाइन** १०९८ के बारे में बताया और बाल अधिकारओं, **चाइल्डलाइन** सेवाओं, संरक्षण एवं बचाव पर हुए एपिसोड में बाल अधिकारों की व्याख्या की।

पूरा एपिसोड यहां देखें:
https://www.youtube.com/watch?v=oKFD7gJV-8E&list=PLfq-XURD5_0TwXuNnv7HN8gJ7AosSJ0eQ&index=7

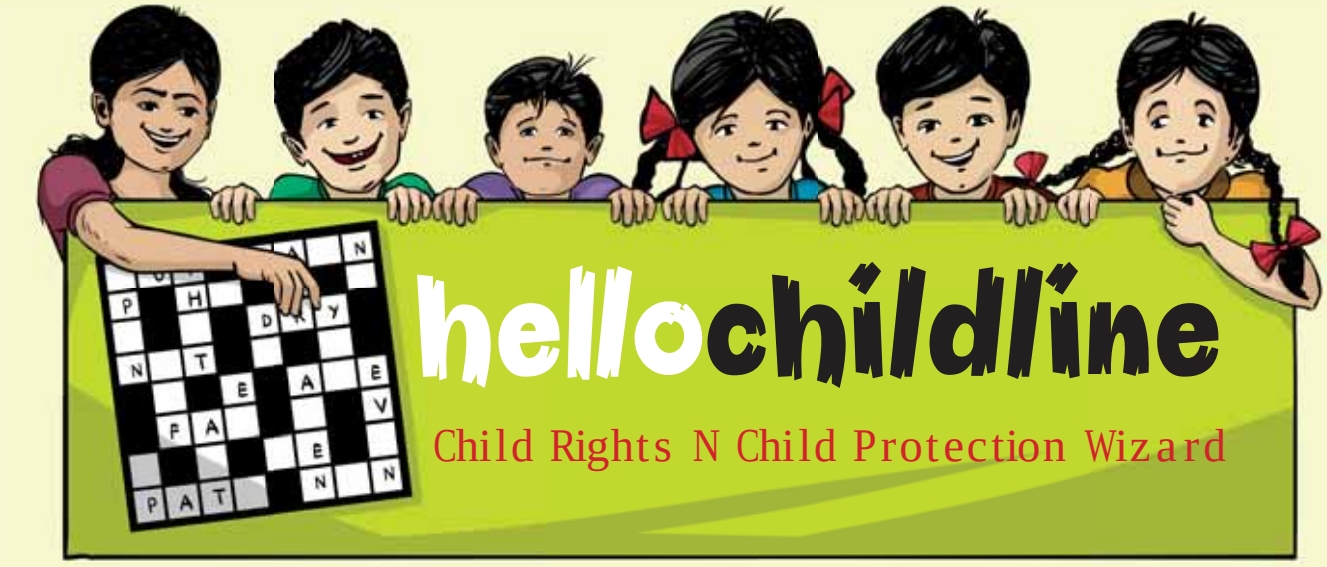

स्वयंसेवा की खुशी: अपेक्षा जे पुजारी ने चाइल्डलाइन के साथ अपने स्वयंसेवा के अनुभव बांटे

*अपेक्षा बहुत मेहनत करती है लेकिन वह इससे बहुत अधिक करती है। उसने **चाइल्डलाइन** के बाल यौन शोषण जागरुकता कार्यक्रम (CSAAP) के साथ बतौर स्वयंसेवक टीम का हिस्सा बनी थी ताकि सीएसए पर जागरुकता फैला सके। वह **चाइल्डलाइन** की बहुत बड़ी समर्थक है।*

*मैंने सीएसए क्या है, को व्यक्तिगत जानकारी से समझा था और बाल यौन शोषण जागरुकता कार्यक्रम (CSAAP) के लिए मेरी स्वयंसेवा का कारण यही थी। **चाइल्डलाइन** द्वारा विकसित सीएसए जागरुकता कार्यक्रम इतनी अच्छी तरह से शोध और डिजाइन कर बनाया गया है कि जिसे अपनाना बच्चों के लिए बहुत आसान है। बच्चे कहानी के प्रारुप को पसंद करते हैं और इसलिए संदेश का संचार शक्तिशाली और स्थायी हो जाता है।*

शिक्षण का हर पल स्वयंसेवक के लिए भी सीखने का पल होता है। मैंने सीखा है कि बच्चों में सहज ज्ञान युक्त भावना बहुत मजबूत होती है। जब मैंने पूछा कि 'इनर वॉयस– मन की आवाज' का मतलब क्या है तो ग्रेड २ के बच्चों द्वारा जवाब में 'आत्मा' और 'दिल की बात' बताने से मैंन आश्चर्यचकित हो गई। मैंने सीखा की बच्चों में जबरदस्त हास्यबोध होता है। जब उनसे पूछा गया कि, अगर वे खुद को किसी अपराधी के साथ पाते हैं तो भाग कर कहां जाएंगे? एक बच्चे ने जवाब दिया– शाहरुख खान के घर। इसके बाद सैनिक, जवान, पुलिस, सीआईडी या शेर खान (बंटी की कहानी से) जैसी प्रतिक्रियाएं आम थीं।

बतौर स्वयंसेवक मेरे अनुभव बहुत अलग थे। बच्चों द्वारा मुझे दिए गए महत्व और प्यार से मैं पूरी तरह विह्वल हो गई थी। उन्होंने मुझे इतना प्यार इसलिए दिया क्योंकि वे समझ रहे थे कि उनको सुनाई जाने वाली कहानी उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग सत्र लेने पर चिंतित होने वाले कुछ स्कूलों के अधिकारियों के प्रतिबंधात्मक .ष्टिकोण से मैं चकित हो गई थी। मुझे एक स्कूल के शिक्षक ने स्टाफ रुम में सत्र के दौरान बच्चों के अधिकारों या उससे जुड़ी अन्य बातों पर बहुत अधिक बात न करने को कहा था क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने से बच्चे अधिक आजादी ले सकते हैं।

***चाइल्डलाइन** के प्रत्येक सत्र में मैंने, हमारे समाज के बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को पूरा करने और कहानी सुनाने वाले सत्र के दौरान यह अहसास की मैं बच्चों को उन्हें सुरक्षित बनाने में मदद कर रही हूं, की मजबूत भावना महसूस की। **चाइल्डलाइन** के साथ हमने हम ारे बच्चों को सुरक्षित रखने की दिशा में पहला कदम उठाया है। सीएसए जागरुकता कार्यक्रम के लिए स्वयंसेवा करने और बच्चों तक पहुंचने की **चाइल्डलाइन** के प्रयासों में मदद करने की, मैं आपसे गुजारिश करती हूं।*

***अपेक्षा जे पुजारी, बाल यौन शोषण जागरुकता कार्यक्रम स्वयंसेवक** (चाइल्डल की समर्थक) (**चाइल्डलाइन** की घोर समर्थक)। वह मुंबई में संगठन विकास पेशेवर और स्वतंत्र सलाहकार के तौर पर काम करती है।*

चाइल्डलाइन अभिव्यक्तियाँ

तिरुनेलवेली में चाइल्डलाइन वॉल पेंटिंग

तिरुनेलवेलि के रोटरी क्लब के जिला गवर्नर ने तिरुनेलवेली में न्यू बस स्टैंड में **चाइल्डलाइन** वॉल पेंटिंग का अनावरण किया।

१०९८ पर चाइल्डलाइन के होर्डिंग ने पर्यटन स्थानों पर जागरुकता फैलाई

चाइल्डलाइन कन्नूर ने डीटीपीसी कन्नूर के साथ मिलकर कन्नूर जिले के मुझाप्पिलड, धर्मादम, पेय्याम्बालम तट समेत प्रमुख पर्यटन स्थानों पर १०९८ और बाल अधिकारों पर संदेश के साथ आकर्षक होर्डिंग्स लगाए।

जेजे एक्ट के तहत राज्य एडवाइजरी बोर्ड में **चाइल्डलाइन** अगरतला को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था।

मुर्शिदाबाद में रेलवे परिसरों में चाइल्डलाइन अभिव्यक्तियाँ

चाइल्डलाइन अभिव्यक्तियाँ अब अजिमगंज और बरहमोर कोर्ट रेलवे स्टेशनों पर भी देखी जा सकती हैं। १०९८ पर जागरुकता फैलाने में **चाइल्डलाइन मुर्शिदाबाद** के प्रयासों को धन्यवाद।

चाइल्डलाइन अब पश्चिम जैनतिया हिल्स के जिला प्रशासन के आधिकारिक वेबसाइ पर

यहां से देखें:
http://westjaintiahills.gov.in/

भिंड के पुलिस स्टेशनों में चाइल्डलाइन अभिव्यक्तियाँ

१०९८ पर जानकारी वाले **चाइल्डलाइन** के बोर्ड भिंड के पुलिस स्टेशनों में लगाए गए। एसपी के साथ **चाइल्डलाइन भिंड** के लगातार फॉलोअप को धन्यवाद।

जसपुर के स्कूलों में ओपन हाउस कार्यक्रम

जसपुर के आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि वे **चाइल्डलाइन** को ओपन हाउस कार्यक्रम का आयोजन करने की अनुमति दें।

चाइल्डलाइन अभिव्यक्तियाँ

मेरठ में चाइल्डलाइन होर्डिंग्स और वॉल पेंटिंग्स

मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मेरठ के क्षेत्रीय प्रबंधक, मेरठ रेलवे स्टेश के स्टेशन सुप्रिटेंडेंट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी– मेरठ आदि को मेरठ भर केबस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताओं/ पीएचसी में **चाइल्डलाइन** की वॉल पेंटिंग लगाने का निर्देश दिया।

पुडुक्कोटई में टीएनएसटीसी के साथ चाइल्डलाइन स्टीकर

तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी), पुडुक्कोटई डिविजन के सहयोग से **चाइल्डलाइन पुडुक्कोटई** ने न्यू बस स्टैंड पर स्टीकर अभियान चलाया।

तंजावुर में चाइल्डलाइन वॉल पेंटिंग

चाइल्डलाइन १०९८ और बाल विवाह पर जागरुकता फैलाने के उद्देश्य के साथ **चाइल्डलाइन तंजावुर** ने तंजावुर में न्यू बस स्टैंड के नजदीक वॉल पेंटिंग बनाई।

चाइल्डलाइन डैशबोर्ड

लम्भा में **चाइल्डलाइन अहमदाबाद** द्वारा आयोजित ओपन हाउस प्रतियोगिता में ४० से अधिक बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

चाइल्डलाइन बीडर द्वारा आयोजित संसाधन संगठन बैठक (रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन मीट) में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, सीडब्ल्यूसी के सदस्य, एनजीओ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

मक्काला कूबन पार्क, बैंगलोर में आयोजित पोस्टकार्ड अभियान– कार्य/ २०१५ में हिस्सा लेने के लिए ३०० से भी अधिक बच्चे आए। इसका आयोजन ..., क्राई, ब्रेड, क्रीम और **चाइल्डलाइन बैंगलोर** ने मिलकर किया था।

श्री नीधीश एम जॉर्ज, समन्वयक (नोडल), **चाइल्डलाइन कसारागोड** द्वारा आयोजित कार्यशाला में पीओसीएसओ एक्ट २०१२ के बारे में आंगनबाड़ी शिक्षकों को जानकारी देते हुए।

चाइल्डलाइन विदिशा द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा नियमों पर आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में लालबहादुर शास्त्री स्कूल के बच्चे।

कोल्लम ग्रामीण पुलिस की सहायता से **चाइल्डलाइन कोल्लम** द्वारा पीओएससीओ एक्ट २०१२ पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते पुलिस अधिकारी।

चाइल्डलाइन हरिद्वार द्वारा आयोजित ओपन हाउस बैठक में भाग लेते सरकारी स्कूल के छात्र।

कराईकल के कोट्टूचेरी में १०९८ पर अभिविन्यास सत्र में **चाइल्डलाइन कराईकल** टीम की बातों को ध्यान से सुनते कराईकल के यूथ क्लब के सदस्य।

राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह के अवसर पर **चाइल्डलाइन नोएडा** द्वारा बाल विवाह पर आयोजित जिला परामर्श बैठक (डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेशन मीट) में सरकारी विभाग के अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों ने हिस्सा लिया और चर्चा की।

चाइल्डलाइन पंचमहल द्वारा आयोजित समर कैंप में करीब १०० बच्चों ने बहुत मस्ती की।

चाइल्डलाइन रायरेन द्वारा आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में डीएम स्कूल, रायसेन में **चाइल्डलाइन** टीम की बातों को ध्यान से सुनते छात्र– छात्राएं।

चाइल्डलाइन सागर द्वारा आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में १०० से अधिक एनएसएस कैडेट्स ने आगे बढ़कर अपने सहयोग की शपथ ली।

सूरत में **चाइल्डलाइन सूरत** द्वारा ग्रांट भगवती होटल में प्रदर्शन यात्रा (एक्सपोजर विजिट) के दौरान बच्चे।

चाइल्डलाइन यवतमाल द्वारा आयोजित, एक जागरुकता रैली में कई बच्चों ने बाल अधिकारों और **चाइल्डलाइन** १०९८ पर बने नारों वाली तख्तियों के साथ मार्च किया।

चाइल्डलाइन सुर्खियों में

आश्रमातील प्रशांतची राष्ट्रीय भरारी

राष्ट्रीय पुरस्कारामध्ये 'कोमल' लघुपटाला पुरस्कार | 'सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक लघुपट' म्हणून मिळाला बहुमान

दिल्ली : राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते रजत कमळ स्वीकारताना प्रशांत शिकारे.

ॲनिमेशनच्या माध्यमातून ज्वलंत विषय रेखाटताना प्रशांत शिकारे.

ॲनिमेशनमधून ज्वलंत प्रश्नांवर भाष्य करायचेय : प्रशांत

ತೆರೆದ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

दिव्य मराठी

बेघरांसाठी जुने ब्लँकेट देण्याचे 'चाइल्डलाइन', 'अनामप्रेम'चे आवाहन

WCD Min to sensitise masses through films

JAYA SHROFF BHALLA
NEW DELHI

In a departure from routine, the Government has taken to entertainment to sensitise the masses. The Ministry of Women and Child Development has in the past one year made at least a dozen films to educate people on issues as varied as adoption, importance of child girl and nutrition.

The WCD Ministry has already spent one tenth of its ₹60-crore budget on publicity of the films. The Ministry has roped in agencies like Grey worldwide, Span Communications, DENTSU and the National Film Development Corporation (NFDC) for film-making.

"The audio-visual medium has the maximum connect with the audience. Moreover, the media, particularly the radio can reach places where workshops and camps do not," Maneka Gandhi, Minister of Women and Child Development, told The Pioneer. "We have made about six films under Beti Bachao Abhiyan (Save the girl child), six films on nutrition, and about three on adoption so far," she said.

The WCD Ministry is in talks with the HRD Minister Smriti Irani to make provisions for screening a film on gender sensitisation across schools in the country.

"We have written to the HRD Minister to include the film on 'Good touch, bad touch' in the school curriculum. It is equally necessary to educate both young girls and boys early to sensitise them," said Maneka.

Acting on a suggestion from Prime Minister Narendra Modi himself, the WCD Ministry has with the NFDC made a film for educating post-natal women.

"Most new mothers do not know how to take care of themselves and their newborns. We have made a 28 minute film to educate them on child protection, nutrition, care and immunisations," said Maneka.

"We will ask Health Minister JP Nadda to ask all hospitals, both at the Centre and states to screen the film in maternity wards across the country. This will be handy for all new mothers," she said.

The current Infant Mortality Rate of India, as per the Sample Registration System (SRS) 2013, is 40 per 1,000 live births while the Under-5 Mortality Rate as per SRS 2012 is 52 per 1,000 live births.

"What is most worrisome is that even as India accounts for the highest burden of Under-5 deaths in the world, there has been a faster decline in its reduction as compared to the rest of the world. We need to educate the women to bring down child deaths," Maneka added.

THE WCD MINISTRY HAS ALREADY SPENT ONE-TENTH OF ITS ₹60-CRORE BUDGET ON PUBLICITY OF THE FILMS

दिव्य मराठी

दिव्य सिटी

चाइल्डलाइनने घेतली बालकांसाठी खुली सभा

मोफत हेल्पलाइनवर संपर्क साधण्याचे आवाहन

चाइल्डलाइन सुर्खियों में

पुण्य नगरी

चाइल्ड लाईन व स्नेहालयतर्फे छेडछाड विरोधी जनजागृती कार्यक्रम

लोकमत

नगर येथील वीटभट्टी मालकाचा प्रताप : चाइल्ड लाईनच्या पुढाकाराने झाली सुटका

५ हजारांसाठी बालकाला ठेवले ओलिस

नवभारत

प्रमुख चौराहों में हेल्पलाइन नंबर 1098 जरूरी : बोरा

अहमदनगर, शनिवार, ७ फेब्रुवारी २०१५

दिव्य मराठी

'मुलांचे अधिकार' कार्यशाळेत मोहिते, महाजन यांचे मार्गदर्शन

नगर | सावेडी येथील रामकरण सारडा विद्यार्थी वसतिगृहात 'मुलांचे अधिकार' या विषयावरील कार्यशाळेचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले. चाइल्ड लाइनचे सुनील मोहिते व दिगंबर महाजन यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. मोहिते म्हणाले, शिक्षण घेणे व सर्व सुविधा मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे. बालक ही सुधारित पिढी असून त्यांच्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. महाजन यांनी मुलांच्या कर्तव्याबाबत विचार मांडले.

महाराष्ट्र टाइम्स, अहमदनगर ■ शुक्रवार, ९ जानेवारी २०१५

बालकामगार प्रकरणी अजूनही चौकशीच सुरू

मुलाची रवानगी बालगृहामध्ये

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

वसंत टेकडी येथील एक भरातून कथित बालकामगाराची सुटका झाली असली तरी या प्रकरणाची अद्याप चौकशी सुरू आहे. मुलाच्या पालकांशी पोलिसांनी संपर्क साधला असून ते बिहारमधून नगरला यायला निघाले आहेत. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मुलाला सुधारगृहात ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे गुरुवारीही याप्रकरणी कोणताही गुन्हा दाखल झाला नाही.

सावेडीतील श्रीराम चौकाजवळच्या ऐश्वर्य नगरीमधून कथित बालकामगाराची चाइल्ड लाइन व दक्ष नागरिकांच्या मदतीने बुधवारी सुटका करण्यात आली. रात्री उशीरापर्यंत पोलिसांनी या मुलाकडे चौकशी केली. परंतु, मुलाकडून स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने त्याच्या आई-वडिलांशी बिहार येथे संपर्क करण्यात आला. त्यांना येण्यासाठी दोन दिवस लागणार असून तोपर्यंत संबंधित मुलाला बालगृहामध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुलाचे पालक आल्यानंतरच चौकशी करून मुलगा त्यांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. ज्यांच्या घरात हा मुलगा होता, तेही बिहारमधील असून त्यांनी हा मुलगा सांभाळ करण्यासाठी येथे आणल्याचे पोलिसांना सांगितले आहे. त्यांनीच मुलाच्या पालकांशी पोलिसांचा संपर्क करून दिला. त्यामुळे पालक नगरमध्ये आल्यानंतरच आता पुढील कार्यवाहीसंबंधी निर्णय घेतला जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

सकाळ

बालकामगारविरोधी दिन नगरमध्ये साजरा

चाइल्डलाइनतर्फे प्रभातफेरी; तीनशे बालकांचा सहभाग, समाजप्रबोधन

लोकमत

अहमदनगर, शनिवार, दि. १० जानेवारी २०१५

छेडछाडविरोधी जनजागृती

CHILDLINE across the country

CHILDLINEfamily

Government Partners

Ministry of Women and Child Development, Department of Telecommunications, Ministry of Health, Railway Ministry, Department of Social Defence/ Social Welfare.

NGO Partners

North

Agra [Childhood Enhancement through Training & Action)**]**, **Ajmer [**DISHA-Roman Catholic Diocesan Social Service Society, Rajasthan Mahila Kalyan Mandal, Grameen Evam Samajik Vikas Sansthan, Mahila Jan Adhikar Samiti, Gharib Nawaz Mahila Awam Bal Kalyan Samiti**]**, **Aligarh [**UDAAN Society**], Alwar [**Nirvanavan Foundation**] Allahabad [**Gramothan Jan Seva Sansthan**]**, **Ambala [**Zilla Yuva Vikas Sanghatan**]**, **Amritsar [**Navjeevan Charitable Society for Integral Development**]**, **Azamgarh [**Ramsanwari Ramsinhasan Sikshan Prachar Samiti (RRSPS)**], Baharaich [**Pratham, Developmental Association for Human Advancement, Bhartiya Gramothan Seva Sansthan**], Balia [**Navbhartiya Nari Vikas Samity**]**, **Banda [**Chitrakoot Jan Kalyaan Samiti**], Barmer [**Dhara Sansthan, Gramin Vikas Sansthan**], Bareilly[**Deep Jan Kalyan Samiti**], Bharatpur [**Disha Foundation**], Barabanki [**Prayatna Foundation, Basic Utthan Evam Gramin Sewa Sansthan, Basic Utthan Evam Gramin Sewa Sansthan**], Banswara [**Vaagdhara **], Bhilwara [**CUTS CHD**]**, **Bikaner [**Urmul Trust**,** Urmul Jyoti Sansthan**,** Urmul seemant samiti, Urmul Setu Sansthan**]**, **Bulandshahar [**Navdeep Samajik Vikas Sanstha**]**, **Chamba [**Education Society**]**, **Chamoli [**Himad Samiti (Himalayan Society For Alternative Development), Jai Nanda Devi Swarojgar Shikshan Sansthan**], Chandigarh [**Youth Technical Training School**], Central Delhi [**Salaam Baalak Trust**], Chandauli [**Janak Samiti**]**, **Chitrakoot [**Sarvoady Sewa Ashram**], Churu [**Jhunjhunu Zila Paryawaran Sudhar Samiti **], Dehradun [**Mountain Children's Foundation**]**, **Central Delhi [**Salaam Baalak Trust**]**, **South West Delhi [**Don Bosco Ashalayam**]**, **North East Delhi [**Brotherhood Society**], North Delhi [**Prayas**], South Delhi [**Butterflies**]**, **Mathura [**Panchsheel Social Welfare Society**], Mewat [**Chetanalaya**], Dungarpur [**Rajasthan Bal Kalyan Samiti, Bhoruka Charitable Trust, Muskan Sansthan**]**, **Faridabad [**Nav Srishti**]**, **Faridkot [**Natural's Care**]**, **Firozabad [**Chirag Society**], Ferozepur [**Lala Fateh Chand Brij Lal Educational Society**], Gautam Budh Nagar [**FXB India Suraksha, SADRAG, Association for Welfare Social Action & Research India**]**, **Ghaziabad [**Asha Deep Foundation**]**, **Gorakhpur [**DISA, Purvanchal Gramin Seva Samiti**]**, **Gurdaspur[**District Child Welfare Council**]**, **Gurgaon [**Shakti Vahini**]**, **Haridwar [**Adarsha Yuva Samiti, *Shri Bhuvneshwari Mahilla Ashram **] Jaipur [**I-India, Jan Kala Sahitya Manch Sanstha, Institute for Development Studies**], Jhalawar [**Sankalp Seva Samiti **], Jaisalmer [**CECOEDECON**], Jalandhar [**Nari Niketan Trust**], Jammu [**Indian Red Cross Society, University of Jammu**], Jind [**District Council for Child Welfare (DCCW) **], Jodhpur[**Jai Bhim Vikas Shikshan Sansthan**], Kangra [**Urban Tribal & Hills Advancement Society**]**, **Kanpur [**Subhash Children's Society**]**, **Kannauj [**Warsi Sewa Sadan**]**, **Karnal [**District Council For Child Welfare Bal Bhawan, Karnal**], Kushinagar [**Samudaik Kalyan Evam Vikas Sansthan **], Kaushambi [**Vaishno Gram Vikas Sewa Samiti, Kamla Gram Vikas Sansthan, Jan Kalyan Mahasamiti**]**, **Kota [**Alarippu, Rajasthan State Bharat Scouts & Guides**]**, **Lakhimpur Khiri [**PACE, Chitranshu Samaj Kalyan Parishad**]**, **Lucknow [**Human Unity Movement, National Institute for Public Cooperation and Child Development**]**, **Ludhiana [**Swami Ganga Nand Bhuri Wale International Foundation**]**, **Maharajganj [**Vikalp**,** Srishti Seva Sansthan, Purvanchal Gramin Seva Samiti**]**, **Manali [**HP Mahila Kalyan Mandal, Himalayan Friends**]**, **Mandi [**Society for Rural Development and Action**]**, **Meerut [**Janhit Foundation**]**, **Moradabad [**Society for All Round Development**]**, **Nainital [**Vimarsh**], Pali [**Gram Vikas Seva Sansthan**], Palwal [**Abhivyakti Foundation**] Panipat [**Gandhi Smarak Nidhi**]**, **Pathankot [**Dr. Sudeep Memorial Charitable Trust, Saint Francis Home**]**, **Patiala [**Navjivini School of Special Education**], Poonch[**National Development Foundation**], Pithoragarh[**Association for Rural Planning and Action, Vardan Sewa Sanstha**,** Gomati Prayag Jan Kalyan Parishad**], Rohtak [**Bharat Gyan Vigyan Samiti**], Rupnagar[**Association for Social & Rural Advancement**], Rudraprayag** [Gomati Prayag Jan Kalyan Parishad (GPJKP) **], Saharanpur[**Bharat Sewa Sansthan**], Sri Ganganagar [**Tapovan Trust**], Sawai Madhopur [**Samantar-Centre for Cultural Action And Research**], Shimla [**Himachal Pradesh Voluntary Health Association**]**, **Siddharth Nagar [**Shohratgarh Environmental Society (SES)**]**, **Sirmaur[**Peoples Action for People in Need**]**, **Sirsa [**DISHA**], Solan [**Himachal Pradesh Voluntary Health Association**], Srinagar [**Human Efforts for Love & Peace Foundation**]**, **Tonk [**Shiv Shiksha Samiti**]**, **Udaipur [**Seva Mandir, Udaipur School of Social Work, Seva Mandir- sub-centre**]**, **Udhamsingh nagar [**Kumaun Sewa Samiti (KSS)**], Udhampur [**Hemophilia Society**], Uttarkashi [**Shri Bhuvneshwari Mahila Ashram, Tarun Paryavaran Vigyan Sanstha**]**, **Varanasi [**Gandhi Adhyanpeeth, Association for the Socially Marginalzed's Integrated Therapeutic Action (ASMITA)**], Yamuna nagar [**Utthan Institute of Development and Studies**].**

South

Adilabad [MAHITA**]**, **Alappuzha [**The Allepey Diocesan Charitable and Social Welfare Society**]**, **Anantapur [**Women's Development Trust, Human And Natural Resources Development Society, Praja Seva Samaj**]**, **Bangalore [**Association for Promoting Social Action, Bangalore Oniyavara Seva Coota, Child Rights Trust**]**, **Bagalkot [**Rural Environmental Awareness Community Help (REACH) **], Bangalore Rural [**SPARSHA, Nemmadi, Grameena Abyudaya Seva Samasthe **], Belgaum [**United Social Welfare Association**]**, **Bellary [**Centre For Rural Development, Bellary Diocesan Development Society,Don Bosco-The Hospet Salessian Society,Society for Integrated Community Development**], Bidar [**Sharada Rudseti Institution, Don Bosco Youth Empowerment Services, Sahayog, Dr. B. R. Ambedkar Cultural & Welfare Society, ORBIT**]**, **Bijapur[**Ujjwala Rural Development Service Society**], Chamarajnagar [**Organisation for Development of People (ODP), Health Environment & Socio- Economic Project -HELP **], Chennai [** Indian Council for Child Welfare, Don Bosco Anbu Illam, Asian Youth Centre, Bro.Siga Social Service Guild, Community Health Education Society (CHES)**]**, **Chittoor [**Rural Organization for Poverty Eradication Services, Academy of Gandian Studies**]**, **Coimbatore [**Don Bosco Anbu Illam**]**, **Cuddalore [**Indian Council for Child Welfare**]**, **Davangere [**Adarsha Samaja Karya Samsthe, The Don Bosco Charitable Society, SPOORTHY, Kolache Pradesha Parisara Parivarthane Mathu Halligala Abhivrddi Samsthe **]**, **Dharmapuri [**Thencodu Federation society, Don Bosco College, Hebron Caring Society for Children**]**, **Dharwad [**Belgaum Diocesan Social Service Society,Sneha Education & Development Society, Socio-Economic Education Development Action, Karmani Grameena Seva Pratishtan, Kalyana Kiran Social Service Institution**]**, **Dindigul [**Dindigul Multipurpose Social Service Society, CEDA Trust, Mutual Education for Empowerment and Rural Action**], Eluru [**Social Service Centre, Department of Social Work-DNR College**]**, **Erode[**Centre for Education and Empowerment of the Marginalized**]**, **Gulbarga [**Seth Shankarlal Lahoti Law College, Don Bosco PYAR, Margadarshi**]**, **Guntur [**Good Shepherd Convent, Social Educational and Economic Development Society**], Hassan [**PRACHODANA (Centre for Social Service)**]**, **Hyderabad [**Divya Disha, Society for Integrated Development in Urban and Rural Area**]**, **Idukki [**Marian College Kuttikanam, Voluntary Organization for Social Action and Social Development (Collab), Voluntary Organization for Social Action and Social Development (sub centre), Vijayapuram Social Service Society**], Kanchipuram [**Hand in Hand, Association for Community Development Service **]**, **Kannur [**Don Bosco College, Tellichery Social Service Society, Association for the Welfare of Handicapped**]**, **Kanyakumari [**Kottar Social Service Society, Holy Cross College**]**, **Karaikal [**Social Need Education and Human Awareness (SNEHA)**]**, **Karimnagar [**Pratham Education Initiative**], Kasargod [**Kasarragod Rotary Institute for Disabled ,Mar Thoma College of Special Education, People's Action for Non Formal Education & Development in Technology**]**, **Khammam[**Society for Community Participation & Education in Rural Development (SCOPE-RD), Centre for Action on Disabled Rights & Empowerment (CADRE)**]**, **Kochi [**Don Bosco Sneha Bhavan, Rajagiri College of Social Sciences**]**, **Kodagu [**Coorg Organization for Rural Development**]**, **Kolar [**MANASA Centre for development and social action**], Kollam [**Quilon Social Service Society, Quilon Don Bosco Society, Punalur Social Service Society**], Koppal [**Sarvodaya Integrated Rural Development Society, Pastoral Sociology Institute**], Kottayam [**Bishop Choolaparambi Memorial Outreach Joint Action to Strengthen Society (BCM OJASS**)**, Vijayapuram Social Service Society (VSSS), We Care Centre**]**, **Kozhikode [**Association for Welfare of the Handicapped, Farook College**]**, **Krishnagiri [**Association for Rural Community Development (ARCOD)**], Kurnool [**Sri Parameswari Educational Society**], Madurai [**Madurai Institute of Social Sciences, Sakthi (Vidiyal)**]**, **Mahabubnagar [***Lambada Hakkula Vedika (LHV) Eco-Club (Paryavarana Parirakshana Sanstha) **], Malappuram [**Pocker Sahib Memorial Orphanage College, Sheshy Charitable Society, Rajagiri Outreach**]**, **Mandya [**Vikasana Institute for Rural and Urban Development, Bheem Integrated Rural Development Society**]**, **Mangalore [**Roshni Nilaya, School of Social Work, PADI**]**, **Medak [**Centre for Action Research and People's Development, Divya Disha**], Mysore [**Organization for the Development of People, Rural Literacy & Health Programme, Nisarga Foundation**]**, **Nagapattinam [**Avvai Village Welfare Society, Society of DMI**]**, **Namakkal [**Leadership through Education and Action foundation Society (LEAF)**]**, **Nellore [**Association for the Rural Development (ARD)**], Nizamabad [**Perali Narasiah Memorial Charitable Trust**], Ongole [**HELP**]**, **Palghat [**Preshitha Social Service Society, Mercy College**]**, **Pathanamthhitta [**Bodhana**]**, **Puducherry [**Pondicherry Multipurpose Social Service Society,Integrated Rehabilitation & Development Centre, Pondicherry**]**, **Pudukkottai [**Pudukkottai Multipurpose Social Service Society (PMSSS), Rural Development Organization (RDO), Rural Education for Community Organization (RECO)**], Ramanthapuram [**Tamil Nadu Rural Reconstruction Movement (TRRM), Society for People's Education and Economic Development (SPEED), People's Action for Development (PAD)**], Salem [**Don Bosco Social Service Society, Young Women's Christian Association**]**, **Shimoga [**Siddeshwara Rural Development Society, Malnad Social Service Society**]**, **Srikakulam [**Youth Club of Bejjipuram, Bapuji Rural Enlightment and Development Society, Gunna Udatayya Eternal Service Team,(Palasa), Gunna Udatayya Eternal Service Team (Itchapuram), Action in Rural Technology and Services, Bapuji Rural Enlightenment and Development Society **]**, **Thanjavur [**Periyar Maniammai University, Social Health & Education Development India**]**, **Tiruvannamalai [**Rural Education & Development Society, Terre Des Homes Core Trust (Collab), Terre Des Homes Core Trust (sub centre)**]**, **Trivandrum [**Trivandrum Don Bosco Veedu Society, Loyola Extension Services, Trivandrum Social Service Society**]**, **Thiruvallur [**Mass Action Network, Arunodhaya Centre for Street and Working Children, Jeeva Jyothi**]**, **Tirunelveli [**Saranalayam-TSSS**]**, **Thrissur [**St.Christina Holy Angel's Home, Department of Social Work, Vimala College**]**, **Tirupur [**Tirupur Auxilium Salesian Sisters Society, Centre For Scial Education and Development (CSED)**]**, **Theni [**Ambelal Heinrich Memorial Trust**,** Mahavir Munnetra Sangam**,** The Society of Sister of The Presentation for the Blessed Virgin Mary**] Trichy [**Department of Social Work - Bishop Heber College, Sisters of the Cross Society for Education And Development**]**, **Tiruvarur [**National Mother Child Welfare Organization (NAMCO**)], Tuticorin [**People Action for Development**]**, **Tumkur [**BADUKU**]**, **Vijayawada** [Forum for Child Rights (Collab), Forum for Child Rights (Nodal)], **Villupuram [**Bullock Cart Workers Development Association, Association for Rural Masses (Collab), Association for Rural Masses (Sub Centre) Centre for Coordination of Voluntary Works and Research, Mother Trust, Nambikkai Trust**], Virudh Nagar [**Resource Centre for Participatory Development Studies, Society for People's Education & Economic Change (Collab), Society for People's Education & Economic Change (Sub centre), Madurai Multipurpose Social Service Society, Trust for Education & Social Transformation**], Vizianagaram [**Nature**], Vishakhapatnam [**Association for Rural Development and Action Research, UGC-DRS Programme, Department of Social Work**], Warangal [**Pragathi Seva Samithi, Modern Architects for Rural India**,** Franciscan Missionary of Mary Social Service Society**], Wayanad [**Joint Voluntary Action for Legal Alternatives, Hilda Trust**], YSR Kadapa [**Vijay Foundation Trust, Rural Action in Development Society, Rayalaseema Harijana Girijana Backword Minorities Seva Samajam**].**

*Partner only for part of the period

P.T.O

CHILDLINEfamily

Government Partners

Ministry of Women and Child Development, Department of Telecommunications, Ministry of Health, Railway Ministry, Department of Social Defence/ Social Welfare.

NGO Partners Continued

East

Agartala [Voluntary Health Association of Tripura, Tripura Council for Child Welfare, Tripura Adibasi Mahila Samity**], Andaman [**Dweep Prayas (Collab, Dweep Prayas (support)**], Aizwal [**Centre for Peace and Development, **Bhadrak[**Society for Weaker Community, Pragati Jubak Sangha**], Balasore [**,Bapuji Seva Sadan, Alternative for Rural Movement, Aswasana**], Behrampur [**Indian Society for Rural Development, National Institute for Rural Motivation Awareness & Training Activities], **Bhagalpur** [Disha Gramin Vikas Manch, Naugachia Jan Vikas Lok Karyakram, Utkrishta Seva Sansthan**], Birbhum[**Elmhirst Institute of Community Studies, Jayaprakash Institute of Social Change, Rampurhat Spastics and Handicapped Society**], Bhubaneswar [**Ruchika Social Service Organisation, Bhairabi Club], **Bilaspur** [Samarpit, Shikhar Yuva Manch], **Bolangir [**ADHAR, KALYAN, Youth Services Centre**], Bankura[**Shamayita Math**], Barpeta [**Anchalik Gram Unnayan Parishad, Students Welfare Mission**], Bishnupur [**New Life Foundation-Manipur, People's Resource Development Association (PRDA)**], Burdwan [**Asansol Burdwan Seva Kendra, Jayprakash Institute of Social Change (Asansol), Jayprakash Institute of Social Change (Katwa)**], Buxar[**Gramin Sansadhan Vikash Parishad, Disha Ek Prayas**], Chaibasa [**Society for Reformation and Advancement of Adivasis**], Cooch Behar [**Society for Participatory Action and Reflection (SPAR), Haldibari Welfare Organization**], Cuttack [**Open Learning System, Basundhara**], Dakshin Dinajpur [**Society for Participatory Action and Reflection**], Dhantewada [**Gramoday Sewa Sansthan, SHAMAYITA MATH**], Darbhanga [**East & West Educational Society, Kanchan Seva Ashram, Sarvo Prayas Sansthan, Gramoday Veethi (Keoti) , Gramoday Veethi (Singhwara), Gyan Seva Bharti Sansthan**], Dharmanagar [**Saghadip**,** Adarsha Sangha**,** Kanchanpur,Adarsha Sangha, Jampui hills**], Darjeeling [**CINI – North Bengal Unit, Kanchanjungha Uddhar Kendra Welfare Society, Bal Suraksha Abhiyan**], Deoghar [**Gram Jyoti, Network for Enterprise Enhancement and Development Support (NEEDS), Young Action for Mass, India (YAM, India)**], Dhalai[**Prabha Dhalai**], Dhanbad [**Bhartiya Kisan Sangh, Gram Praudyigik Vikas Santhan (Nirsa), Gram Praudyigik Vikas Sansthan (Tundi)**], Dibrugarh [**North East Society for the Promotion of Youth and Masses (NESPYM)**], Dimapur [**Prodigals Home, Community Educational Centre Society**], Durg [**LokShakti Samaj Sevi Sansthan,**], Gangtok [**Association for Social Health in India (ASHI), Youth Development Society of Sikkim (YODESS),Rongili, Youth Development Society of Sikkim (YODESS),-Rongpo**], Gaya [**People First Educational Charitable Trust**], Guwahati [**Indian Council for Child Welfare (ICCW), National Institute for Public Cooperation & Child Development (NIPCCD)**], Hazaribag [**Srijan Foundation, Darpan, Samadhan, Jan Sewa Parishad, Nav Bharati Jagritti Kendra**], Hooghly [**Satya Bharati**], Howrah [**Don Bosco Ashalayam**], Imphal [**Department of Anthropology, Manipur Mahila Kalyan Samity (MMKS)**], Itanagar [**Don Bosco School**], Jagdalpur[**Bastar Samajik Jan Vikas Samiti**], Jalpaiguri [**Jalpaiguri Welfare Organisation, Ananda Chandra College**], Jashpur [**Samarpit- Centre for Poverty Alleviation and Social Research], **Jamui** [Jan Pragati Sansthan, Samagra Seva, Parivar Vikas], **Jowai [**Jantai Hills Development Society**], Kailashahar [**Blind & Handicapped Association, Pushparaj Club**], Kandhamal [**Banabasi Seva Samity**], Katihar [**Bal Mahila Kalyan, Welfare India,**], Kishanganj [**East & West Educational Society, Cresent Educational & Welfare Trust, Nilu Jan Vikas Sansthan, Koshi Gramin Vikas Santhan Araria, Compeering Society for Social Work and Research Network**], Kohima [**Nagaland Voluntary Health Association**], Kolkata [**CINI ASHA, City Level Programme for Street & Working Children, Loreto Day School - Sealdah, Bustee Local Committee & Social Welfare Centre, Institute of Psychological & Educational Research**], Korba [**Social Revival group of Urban, Rural and Tribal (SROUT**),** Shikhar Yuva Manch ((SYM),Pali, Shikhar Yuva Manch ((SYM),Podiuprouda**,**], Koraput [**South Orissa Voluntary Action (SOVA), Women's Organization for Rural Development (WORD), Ekta **], Lakhimpur [**Dikrong Valley Environment & Rural Development Society**], Malda [**Haiderpur Shelter of Malda, Chanchal Jankalyan Samity**], Mayurbhanj [**Rural Development Action Cell (RDAC), Centre for Regional Education Forest & Tourism Development Agency**], Murshidabad [**Palsapally Unnayan Samity, CINI- Murshidabad Unit, Gorabazar Shahid Khudiram Pathagarh**], Muzaffarpur [**National Institute for Rural Development Education Social Upliftment and Health (NIRDESH), Mahila Development Centre, Gramin Jan Kalyan Parishad, Hanuman Prasad Gramin Vikas Samity**], Nabarangapur[**Socio-Economic Development Programe**,** Society for Agriculture, Health & Education, Animal Husbandary & Rural Developmental Action (SAHARA)**], Nadia [**Sreema Mahila Samity, Chapra Social and Economic Welfare Association], **Nagaon [**Gram Vikas Parishad, Sadau Asom Gramya Puthibharal Santha**], Nongstoin [**Nongston Social Service Society **], North 24 Parganas [** Centre for Communication and Development, Dhagagia Social Welfare Society, North 24 Parganas Sammyao Sramagivi Samiti, Khalisady Anubhab Welfare Association, Joygopalpur Youth Development Center, Charuigachhi Light House Society, Katakhali Empowerment & Youth Association, Sayestanagar Swanirvar Mahila Samity**], Pakur [**Bhartiya Kisan Sangh, Jan Lok Kalyan Parishad, Gramin Vikas Kendra, Lok Kalyan Seva Kendra, Tagore Society for Rural Development, Aman Samaj Kalyan, Jharkhand Vikas Parishad**], Paschim Medinipur [**Prabuddha Bharati Sishu Tirtha, Vidyasagar School of Social Work, Chak-Kumar Association for Social Service**], Patna [**Balsakha, East & West Educational Society, Nari Gunjan**], Purba Medinipur [**Vivekananda Lok Siksha Niketan**], Puri [**Rural and Urban Socio Cultural Help**], Purnea [**Tatvasi Samaj Nyas (Collab), Tatvasi Samaj Nyas (sub centre), Akhil Bhartiya Gramin Vikas Parishad, Parivesh Purna Jagran Sansthan**], Purulia** [Centre for Environmental & Socio Economic Regeneration, Manipur Leprosy Rehabilitation Centre**], Raigarh [**Lok Shakti Samiti], **Raipur [**Sankalp Sanskritik Samiti, Chetna Child & Women Welfare Society**], Rajnandgaon [**Srijan Samajik Sanstha], **Ranchi [**The National Domestic Workers Welfare Trust, Xavier's Institute of Social Service, Chotanagpur Sanskritik Sangh**], Rayagada [**Sakti Social Cultural & Sporting Organisation, Palli Vikash**], Rourkela [**Disha, Community Action for the Upliftment of Socio-Economically Backward People (CAUSE)**], Saharsa [**Anusuchit Jati / Anusuchit Janjati Kalyan Samiti, Mimansa Kalyan Samiti, Kosi Sewa Sadan**], Sambalpur [**ADARSA, Rural Organisation for People's Empowerment, ASHA**], Sarguja [**Manav Sansadhan Sanskriti Vikas Parishad (MSSVP), Sangata Sahabhagi Gramin Vikas Sansthan, Chhattishgarh Prachar Evam Vikas Sansthan (CGPS), **] Silchar [**Deshbandhu Club, Rajiv Open Institute**], Shillong [**Bosco Integrated Development Society (BIDS**)], Sitamarhi [**Karpuri Thakur Gramin Vikas Sansthan, Pratham Mumbai Education Initiative(Parihar), ADITHI, Pragati Ek Prayas, (Sonbarsa), Pragati Ek Prayas (Riga) **], South Sikkim [**Drishti, Drishti, Jorethang, Kapinzal Social Foundation (KSF), Turuk Development Society**], Surajpur [**Chhattishgarh Prachar Evam Vikas Sansthan, Path Pradarshak**], South 24 Parganas [**Sabuj Sangha, CINI-Diamond Harbour Unit, School of Women's Studies (Jadavpur University)**], Tura [**Bakdil], **Udaipur [**Organization for Rural Survival], **Uttar Dinajpur [**CINI Uttar Dinajpur Unit], **Vaishali [**Swargiya Kanhai Shukla Samajik Sewa Sansthan, Narayani Seva Sansthan, LAKSHYA, Vaishali Samaj Kalyan Sansthan,**], West Champaran[**Jan Vikas, Berojgar Sangh Valmikinagar.

West

Ahmedabad [Ahmedabad Study Action Group, Gujarat Vidyapith],Ahmednagar [**Snehalaya**], Akola [**Indian Institute of Youth Welfare**], Amravati [**Shree Hanuman Vyayam Prasarak Mandal**], Anand [**Tribhuvandas Foundation**], Balaghat [**Community Development Center **], Baroda [**Baroda Citizens Council, Faculty of Social Work, MS University**], Beed [**Manavlok,Yuva Gram Vikas Mandal**], Betul [**Pradeepan**], Bhavnagar [**Shaishav**], Bhind [**Mahila Bal Vikas Samiti (India)**], Bhopal [**Advocacy for Alternative Resources Action Mobilization & Brotherhood, The Bhopal School of Social Sciences**], Buldhana [**Savitribai Phule Mahila Mandal, Mahatma Phule Samaj Sewa Mandal**], Chandrapur[**Mahila Vikas Mandal **], Chhindwara [**Jan Mangal Sansthan**], Dadra Nagar & Havelli [**Indian Red Cross Society], **Dahod [**Area Networking And Development Initiative **(ANADI)] Dewas [**Jan Sahas Social Development Society**], Goa [**Nirmala Education Society, *VikalpTrust, Caritas-Goa**], Guna [**Kalpataru Vikas Samiti**], Gwalior [**Centre for Integrated Development**], Harda [**Synergy Sansthan], **Indore [**Indore School of Social Work Aim for Awareness of Society-AAS**], Jabalpur [**Jabalpur Diocesan Welfare Society**], Jhabua [**Jeevan Jyoti Health Service Society, Sampark Samaj Sevi Sanstha**], Jamnagar [**Late J.V. Naria Education & Charitable Trust**], Katni [**MP Bharat Gyan Vigyan Samiti**], Khandwa [**Aastha Welfare Society**], Kolhapur [**Sangli Mission Society**], Kutch [**Marag, Saraswatam, Yusuf Meherally Centre**], Kheda[**Kaira Social Service Society**,** Shri Vadlals S. Gandhi Charitable Trust (Kapadvanj) **], Latur [**Kala Pandhari Magasvargiya And Adivavasi Vikas Sanstha**], Mandsaur [**Vikalp Samajik Sansthan**], Mandla [**National Institute Of Women Child And Youth Development, Kamyab Yuva Sanskar Samiti **], Mumbai [**CHILDLINE India Foundation (Nodal), Youth for Unity and Voluntary Action, Hamara Foundation,**], Mumbai Suburban [**Committed Communities for Development Trust, Navnirman Samaj Vikas Kendra **], Nagpur [**Matru Seva Sangh, Institute of Social Work, Bapuji Bahujan Samaj Kalyan Bahuddeshiya Sanstha, VARDAAN, Indian Association of Promotion of Adoption, Indian Centre For Integrated Development**], Nanded [**Pariwar Pratisthan**], Nashik [**Navjeevan World Peace & Research Foundation, College of Social Work**], Osmanabad [**Shri Kulswamini Shikshan Prasarak Mandal (Collab), Shri Kulswamini Shikshan Prasarak Mandal (Sub centre)**], Panna[**Sankalp Samaj Sevi Sanstha, Jan Sahas Social Development Society**], Panch Mahal[**Developing Initiative for Social and Human Action**], Parbhani [**Socio Economic Development Trust (SEDT)**], Pune [**Dnyana Devi**], Raigad[**Disha Kendra, The Planning Rural Urban Integrated Development Through Education India**], Raisen [**Institute of Social Research & Development, Krishak Sahyog Sansthan**], Rajkot [**Shri Pujit Memorial Trust**], Ratlam [**Savigya, Samarpan Care Awareness & Rehabilitation Center**], Ratnagiri [**M.S. Naik Foundation**], Rewa [**Ramashiv Bahuudaesheya Vikas Samiti**], Sabarkantha [**Developing initiative for social and human action (DISHA) **], Sagar [**Manav Vikas Seva Sanga**], Satara [**Lokkalyan Charitable Trust**], Satna [**Samaritan Social Service Society**], Surendranagar[**Ganatar**], Sheopur[**Mahatama Gandhi Seva Asharam**,** Sahyog-Support In Development**], Shivpuri [**Parhit Samaj Sevi Sanstha, RACHNA**], Sholapur [**Solapur Zilha Samajik Karya Samitee **], Surat [**Pratham], **Sindhudurg [** Atal Pratisthan, Jagruti Foundation, Jan Jagruti Sansth**], Thane [**Salam Balak Trust, Aasara **], Ujjain [**Kripa Social Welfare Society, Madhya Pradesh Institute of Social Science & Research**], Valsad [**Pratham**], Vidisha[**Vidisha Social Welfare Organization], **Wardha [**National Institute of Women, Child and Youth Development, Aniket College of Social Work**], Yavatmal [**Gramin Samassya Mukti Trust**].**

*Partner only for part of the period

Contributions

CIF Team

Editor

Sudeesh PM

CHILDLINE India Foundation
406, Sumer Kendra, 4th floor, P. B. Marg,
Behind Mahindra Towers, Worli, Mumbai-400 018
Ph: 022-2495 2610 | Fax: 022-2490 3509
www.childlineindia.org.in | Email: dial1098@childlineindia.org.in

CHILDLINE 1098 is a project supported by the Ministry of Women and Child Development (GOI), working in Partnership with state Governments, NGO'S, International Organizations, the Corporate Sector, Concerned Individuals and Children.

BUBBLE DESIGN - design.bubble@gmail.com